वार्षिक रिपोर्ट

2013 - 2014

पवन हंस लिमिटेड

(पूर्ववर्ती पवन हंस हेलिकॉप्टर्स लिमिटेड)

हमारा ध्येय

कम खर्च
और
अधिक उड़ान
पूर्ण
सतर्कता का
एलान

तालिका

- निदेशक मंडल 4
- प्रबंध समूह 5
- सूचना 6
- सदस्यों को अध्यक्ष का संदेश 7
- निदेशकों की रिपोर्ट 11
- प्रबंधन का विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट 27
- मुख्य वित्तीय अंश 33
- संक्षिप्त लेखे 40
- वर्ष के खाते 45
- कैश फ्लो विवरण 81
- लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 83
- भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणी 104

निदेशक मंडल

डॉ॰ बी॰ पी॰ शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

जी॰ असोक कुमार
संयुक्त सचिव,
नागर विमानन मंत्रालय

मणि सथियावथी
नागर विमानन महानिदेशक

ए वी एम ए. एस. बुटोला
ए सी ए एस (ऑप्स एवं टी एंड एच)
वायु सेना मुख्यालय

टी॰ के॰ सेनगुप्ता
निदेशक (ऑफ शोर)
तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि॰

प्रबंध समूह

अध्यक्ष एवं प्रबध निदेशक	डॉ. बी. पी. शर्मा
मुख्य सर्तकता अधिकारी	श्री प्रभात कुमार, भा. रा. से.
कार्यपालक निदेशक	श्री संजीव बहल
संरक्षा प्रमुख	श्री दीपक कपूर
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	श्री धीरेन्द्र सहाय
कम्पनी सचिव एवं महाप्रबंधक (विधि)	श्री संजीव अग्रवाल
महाप्रबंधक (परिचालन)	एअर कमोडोर (सेवानिवृत्त) आलोक कुमार
प्रभारी (अभियांत्रिकी)	श्री एम. पी. सिंह
स्था. महाप्रबंधक (मानव संसाधन)	श्री आर बी कुशवाहा
प्रभारी (विपणन)	श्री एम. एस. बूरा
उप महाप्रबंधक (इन्फोकॉम सर्विस)	श्री संजीव राजदान
उप महाप्रबधंक (सामग्री)	श्री एस. के. शर्मा
महाप्रबंधक (पूर्वी क्षेत्र)	श्री संजय कुमार
महाप्रबंधक (पश्चिमी क्षेत्र)	श्री एम. श्री कुमार
महाप्रबंधक (उत्तरी क्षेत्र)	श्री विजय पथियान

पंजीकृत कार्यालय

सफदरजंग हवाई अड्डा
नई दिल्ली - 110 003

प्रधान कार्यालय

सी-14, सेक्टर-1
नोएडा-201301

क्षेत्रीय कार्यालय

पश्चिमी क्षेत्र

जूहू ऐरोड्रोम
एस. वी. रोड
विले पार्ले (पश्चिम)
मुम्बई - 400 056

उत्तरी क्षेत्र

सफदरजंग हवाई अड्डा
नई दिल्ली-110 003

पूर्वी क्षेत्र

3रा तल, होटल राजश्री इन
वी आई पी रोड, एलजीबीआई
एअरपोर्ट, गुवाहाटी, कामरूप
(मेट्रो), असम-781 015

लेखापरीक्षक

मैसर्स खन्ना एवं आनंदम
सनदी लेखाकार
नई दिल्ली-110 001

शाखा लेखाकार

मैसर्स लखानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
मुम्बई

बैंकर्स

विजया बैंक
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
पंजाब नैशनल बैंक

29वीं (स्थागित) वार्षिक सामान्य बैठक के लिए सूचना

सेवा में
समस्त शेयर धारक,
पवन हंस लिमिटेड

सूचित किया जाता है कि कंपनी की 29वीं (स्थगित) वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक 19 मार्च 2015 को अपराह्न 1.00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय सफदरजंग एअरपोर्ट, नई दिल्ली-110003 में निम्नलिखित कार्यो के लिए आयोजित की जाएगी:

सामान्य कार्य

1. लेखों का अंगीकरण

   यथास्थिति 31.03.2014, दिनांक 31 मार्च 2014 को वर्ष की समाप्ति का लेखापरीक्षाकृत तुलन-पत्र व लाभ-हानि खाता तथा उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, भारत के नियंत्रक व लेखा परीक्षक की टिप्पणी तथा निदेशकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा अंगीकार करना।

2. लाभांश की घोषणा

   विचारार्थ और यदि उपयुक्त धारणा हो निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में आशोधन के साथ या उसके बिना पारित करने के लिए :-

   "संकल्पित है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए कंपनी शेयर धारकों को ₹1245.616 करोड़ की प्रदत्त पूंजी पर कर पश्चात् शुद्ध लाभ (अर्थात् 38.57 करोड़) के 20% की दर पर ₹7,71,33,000/- के लाभांश राशि की एतद्द्वारा घोषणा की जाती।

पवन हंस लिमिटेड
के निदेशक मंडल के आदेशानुसार

नई दिल्ली
11 मार्च, 2015

(संजीव अग्रवाल)
कंपनी सचिव

टिप्पणी:

(क) ऐसे सदस्य जो इस बैठक में भाग लेने व मत देने के पात्र हैं, अन्य परोक्षी व्यक्ति को भी नियुक्त करने के पात्र है, जिन्हें कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं हैं। परोक्षी व्यक्ति के नामांकन बैठक से 48 घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। एक रिक्त परोक्षी फार्म संलग्न है।

पंजीकृत कार्यालय:
सफदरजंग एअरपोर्ट, नई दिल्ली-110003
कॉरपोरेट आईडेन्टिटी नंबर (सी. आई. एन.) : यू 62200 डी एल 1985 जीओआई 022233

सदस्यों को अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयरधारकों,

मैं आपकी कंपनी की 29वीं वार्षिक साधारण बैठक में आपक स्वागत करते हुए अपार हर्ष महसूस कर रहा हूँ। वित्तीय वर्ष 2013-14 की वार्षिक रिपोर्ट वितरित की जा चुकी है और आपकी अनुमति से मैं इसे पढ़ा हुआ मानता हूँ।

वित्तीय वर्ष 2013-14 चुनौतियों का वर्ष रहा तथा कंपनी ने विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष के प्रदर्शन में सुधार करने का प्रयास किया है। वित्तीय वर्ष 2011-12 में कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा तथा लाभप्रद पुनरूद्धार को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण व लेखापरीक्षा तथा लागत में कटौती करने के लिए सख़्त उपाय किए गए हैं। विगत वर्ष में 31,683 घंटे उड़ान की तुलना में 2013-14 के दौरान कुल उड़ान 31,890 घंटों का रहा। राजस्व के उड़ान घंटें विगत वर्ष के 30,310 की तुलना में 30,625 थे। 2012-13 के दौरान कंपनी के भौतिक प्रदर्शन को देखते हुए ये आंकड़े अधिक प्रोत्साहक नहीं है, लेकिन इस वित्तीय वर्ष के प्रचालन राजस्व आंकड़े काफी उत्साहवर्धक दिखाई पड़ते हैं। 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के दौरान 46 हेलीकॉप्टरों के बेड़े में से 32 हेलीकॉप्टरों (विगत वर्ष 31 हेलीकॉप्टरों की तुलना में) की औसत मासिक तैनाती की गई थी तथा कंपनी के पास सीमा सुरक्षा बल (गृह मंत्रालय) के 06 ध्रुव हेलीकॉप्टरों के प्रचालन एवं अनुरक्षण की संविदाएं भी थी।

विगत वर्ष की तुलना वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी के प्रदर्शन में सुधार होने के निम्नलिखित कारण हैं, जैसे-हेलीकॉप्टरों की मासिक तैनाती का उच्चतर औसत, उच्चतर प्रचालन राजस्व (विशेष रूप में एमआई-172 हेलीकॉप्टर) तथा राजस्व में वृद्धि, उच्चतर राजस्व दर, हेलीकॉप्टरों की लम्बी अवधि की तैनाती के लिए नई संविदाओं की प्राप्ति, उपरिप्रभारों, यात्रा व्यय, बीमा लागत तथा व्यापार संवर्धन व्यय में कटौती होने से प्रचालन व्यय में कटौती के कारण हुए लाभ।

वर्ष 2013-14 के दौरान प्रचालन राजस्व विगत वर्ष में 465.25 करोड़ रुपये की तुलना में 13.82 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 529.59 करोड़ रुपये रहा। इस वर्ष के दौरान कंपनी ने अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह के प्रशासनिक नियंत्रण में 4था अतिरिक्त डॉफिन हेलीकॉप्टर तथा अरूणाचल प्रदेश सरकार के नियंत्रण में एक एमआई-172 हेलीकॉप्टर की तैनाती की है।

इस वर्ष आपकी कंपनी ने प्रचालन राजस्व तथा निवल प्रचालन लाभ दोनों में सार्थक रूप से सुधार किया है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2013-14 में 73.03 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय एवं उच्चतम प्रचालन लाभ प्राप्त करने की उपलब्धि हासिल की है जो वर्ष 2012-13 में 39. 64 करोड़ रुपये की तुलना में 84 प्रतिशत अधिक है।

वर्ष 2012-13 की टर्न-अराउण्ड नीति वर्ष 2013-14 में भी जारी रहा, बदलाव लाने के लिए अनेक योजनाएं तथा लागत में कटौती करने के उपाय अप्रैल 2012 के बाद ही अपनाए गए। लागत में कटौती करने के उपायों से 9.40 करोड़ रुपये की राशि के बराबर कंपनी के व्यय में संतोषजनक कमी आई है। कमी मुख्य रूप से ओवरटाइम पर 3.20 करोड़ रुपये की बचत से तथा विज्ञापन, यात्रा व्यय, टीए/डीए, उपरिप्रभार एवं कारोबार संवर्धन व्यय पर सख्ती से अनुवीक्षण करने के कारण 6.20 करोड़ रुपये की बचत करने से आई है।

कर्मचारियों की दिन-प्रतिदिन की बैठक/चर्चाओं को विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से करने को प्रोत्साहित करने से सुधार हासिल किया गया है। इंवेंट्री बजट के सूक्ष्म व प्रभावी नियंत्रण के लिए इंवेंट्री प्रबंधन प्रणाली को कार्यान्वित किया गया है। ओएनजीसी हेतु हेलीकॉप्टर सेवाओं में हेलीकॉप्टरों में विलम्ब को घटाने के लिए समय पर बेहतर कार्य निष्पादन

की व्यवस्था नियन्त्रित कि गई है। परिचालन दक्षता में सुधार करने तथा एमआईएस के सभी बेसों को इंटिग्रटिड कंप्यूटर प्रणाली में दैनिक माल सूची की प्रविष्टि का निर्देश दिया गया है। विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टरों पर पायलटों के क्रास कंवर्जन को प्रोत्साहित करना जिसके चलते उनके दक्षतापूर्ण उपयोग और सभी प्रकार के बेड़ों पर सीएआर के अनुसार प्रति पायलट बढ़े हुए उड़ान घंटों की प्राप्ति हुई है। एफटीएल/एफडीटीएल की केंद्रीकृत कंप्यूटर प्रणाली के द्वारा निगरानी तथा निम्न निष्पादक क्रू पायलटों की छंटली। पूर्वोत्तर क्षेत्र पर समुन्नत फोकस के लिए पूर्वी क्षेत्र का सृजन। अधिकारियों के लिए मासिक/तिमाही/ वार्षिक लक्ष्यों के साथ कर्मचारियों के प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी और जवाबदेही निश्चित की गई है। कुल हानि के न्यूनीकरण और बेहतर राजस्व सृजन के लिए ओएनजीसी हेतु एओजी के हेलीकॉप्टरों की उपलब्धता और सख्त नियंत्रण/निगरानी द्वारा प्रस्थान में विलंब से बचना। उत्तरी पूर्वी राज्यों में बकाया राशि की शीघ्रता से वसूली के लिए आरंभिक रूप से एक समर्पित दल गठित किया है।

वर्ष 2012-13 के रुपये 238.91 करोड़ की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी की आरक्षितियां तथा अधिशेष रुपये 268.22 करोड़ रहे। यथास्थिति दिनांक 31.03.2014 दीर्घावधि ऋण रुपये 171.04 करोड़ (गत वर्ष रुपये 274.69 करोड़) था, इसके अतिरिक्त कंपनी ने विजया बैंक और एक्सिम बैंक से लिया सम्पूर्ण ऋण चुका दिया है। वर्तमान में बकाया ऋण रुपये 81.49 करोड़ (रुपये 38.22 करोड़ ओएनजीसी तथा रुपये 40.06 करोड़ एनटीपीसी से) है। कंपनी ने अपने ऋण इक्विटी अनुपात के दीर्घकलिक ऋणों की पुन: अदायगी के पश्चात 0.16:1 कम किया है। कंपनी की रेटिंग इंडिया ए से सुधरकर स्टेबल इंडिया ए + हो गई है। यह व्यापार में स्थिरता, राजस्व में सतत रूप में वृद्धि, बेहतर परिचालन प्रदर्शन और संरक्षा पहलों के कारण संभव हुआ है।

कंपनी का लगभग 85% प्रचालन राजस्व प्रतिस्पर्धा निविदाओं के माध्यम से संविदाओं से अर्जित होता है। ओएनजीसी ने हाल ही में क्रू परिवर्तन निविदा के साथ 5 से 7 वर्ष की विंटेज स्थिति में सुधार किया है जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 26.12. 2014 को क्रू परिवर्तन निविदा की समाप्ति पर पवन हंस ने ओएनजीसी को 3+1 डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टरों का प्रस्ताव दिया है। ओएनजीसी द्वारा दिनांक 20.02.15 को खुली नीलामी राशि में आपकी कंपनी को समूह-1 (क्रू परिवर्तन) निविदा में तीन मध्यम हेलीकॉप्टर के लिए एल-1 मिला है। हम उड़ान योग्यता प्रमाणन के आधार पर वैश्विक कार्यप्रणाली के समान इस विंटेज खंड के लिए आगे की समीक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। बाजार में अपतटीय एएस-4 अर्हता प्राप्त पायलटों की अनुपलब्धता एक मुख्य मजबूरी है और अत: पायलटों को डीजीसीए द्वारा निर्धारित एफडीटीएल/एफटीएल की सीमाओं तक ही उपयोग किया जा रहा है।

निदेशक मंडल ने कर पश्चात शुद्ध लाभ रुपये 38.57 करोड़ के @20% की दर से अर्थात् 771.33 लाख के लाभांश की अनुशंसा की है (गत वर्ष में कर पश्चात् शुद्ध लाभ (जो रुपये 11.70 करोड़ है) के 20% की दर से अर्थात् रुपये 233.96 लाख था) लाभांश रुपये 245.616 करोड़ की संपूर्ण प्रदत्त पूंजी पर देय है और रुपये 154.22 लाख (गत वर्ष रुपये 39.76 लाख) के लाभांश पर कॉर्पोरट कर के लिए प्रावधान किए गए है। आगामी वर्षों में कंपनी प्राप्त लाभों से अधिकतम लाभांश राशि की अदायगी करने का प्रयास करेगी।

वित्तय वर्ष 2013-14 के ही समाप्ति के पश्चात निम्नलिखित प्रगति हुई है:-

(I). मार्च-मई 2014 में हुए लोकसभा के आम चुनाव के दौरान कंपनी ने 11 हेलीकाप्टरों की तैनाती करके लगभग 32.21 करोड़ के राजस्व तथा 23.14 करोड़ के वर्धिक राजस्व के साथ कुल 1200 घंटों की उड़ान भरी।

(II). कंपनी 01.08.2014 से 31.07.2015 तक की अवधि के लिए (हेलीकॉप्टर बेड़ा प्रचालन के लिए 1228 करोड़ रुपये का निश्चित मूल्य तथा 300 करोड़ रुपये की सूची मूल्य के योग पर) सर्वोत्तम प्रतियोगी दरों पर बीमा पाने में सफल रही। कंपनी ने यह बीमा 11,07,47,261 रुपये के कुल प्रीमियम में, जैसे विगत वर्ष के प्रीमियम पर 47 प्रतिशत, वार्षिक प्रीमियम

में अनुमानतः शुद्ध कमी (23,56,33,885 रुपए - 12,48,86,624 रुपए) के साथ प्राप्त किया है। कंपनी में उन्नत सुरक्षा मानक भी बीमा प्रीमियम दरों की कटौती में सहायक सिद्ध हुआ है।

(III). वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल 31,890 उड़ान घंटे तथा 529.59 करोड़ रुपये की प्रचालन लागत की तुलना में इस वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान कुल उड़ान घंटे 30,565 तथा 529.08 करोड़ रुपये की प्रचालन लागत संभावित है। इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2013-14 में कर के बाद प्रचालन लाभ 43.29 करोड़ रुपये तथा निवल लाभ 73.03 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान कर के बाद प्रचालन लाभ 71.11 करोड़ रुपये तथा निवल लाभ 43.29 करोड़ रुपये प्राप्त होने की संभावना है।

12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि (2012-17) के दौरान योजना आयोग द्वारा अनुमोदित आंकलनों के द्वारा पवन हंस से संबंधित अदद 10 हेलीकॉप्टरों तथा 2 सीप्लेन, उपकरणों का आयात, अनुरक्षण केंद्रों का सृजन/संयुक्त उपक्रम, भवन परियोजनाएं और अन्य इसके लिए आईईबीआर के माध्यम से रुपये 725 करोड की कुल राशि से अर्जन किया जाना है। इन आंकनों को अगस्त 2013 में 1189 करोड़ रुपये के लागत से 22 हेलीकॉप्टरों और 2 सीप्लेनों के अर्जन से बेड़े को बढ़ाने हेतु संशोधित किया गया है। संशोधित योजना को नागर विमानन मंत्रालय के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है।

नई कारोबारी पहलों के लिए कंपनी अंडमान व निकोबार तथा पश्चिम बंगाल में सीप्लेन परिचालनों को प्रारंभ करने के लिए प्रयासरत है। उत्तर पूर्व और पूर्वी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाओं के विस्तार को देखते हुए कंपनी ने गुवाहाटी मुख्यालय के साथ पूर्वी क्षेत्र का सृजन किया है। कंपनी ने एम्स, अपोलो अस्पताल और मेदांत के साथ हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं को आरंभ करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

कंपनी ने रोहिणी, नई दिल्ली में हेलीपोर्ट के निर्माण की योजना को अंतिम रूप दे दिया है और रोहिण ी में मूलभूत हैलीपैड सुविधाओं का सृजन किया जा चुका है। पर्यावरण संबंधि मंजूरी एवं महायोजना और भवन के नक्शे डीजीसीए बीसीएस और एएआई से अनुमोदित किए गए है। वास्तुविद् सहपरियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (एपीएसी) नियुक्त किये गये हैं और डीडीए ने दिनांक 22.01.2014 को परियोजना के लिए अनुमति दे दी है। 18.07.2014 को निर्माण के लिए संविदा प्रदान की गई है और कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने हेलीकॉप्टर पायलट प्रशिक्षण संस्थान और पूणे ने हडस्पर पर हेलीपोर्ट के विकास का कार्य सौंपा गया है। पवन हंस ने निक्षेप कार्य आधार पर 10.40 करोड़ रुपये की लागत पर एनबीसीसी से योजना, अभिकल्पना और निर्माण कार्य पूर्ण कराया है और निर्माण कार्य 93 प्रतिशत तक पूरा कर दिया है। परियोजना लागत रुपये 11.30 करोड़ तक परिशोधित की गई है और एनबीसीसी से कार्य पूर्ण करने का निवेदन किया गया है।

पवन हंस ने ईकाओ / डीजीसीए के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने प्रचालनों में संरक्ष प्रबंधन प्रणाली (एसमएस) क्रियान्वित करके संरक्षा पहल को आरंभ किया है और चार में से दो चरणों में एसएमएस को क्रियान्वित किया है। एक नया संरक्षा पर्यवेक्षण विभाग का सृजन किया गया है और कंपनी में एक स्वैच्छिक प्रतिवेदन प्रणाली तथा जोखिम प्रतिवेदन प्रणाली प्रवर्तित की गई है। हेलीकॉप्टर प्रचालनों का विश्लेषण और अनुवीक्षण करने हेतु कंपनी ने एफओक्यूए (उड़ान प्रचालन गुणवत्ता आश्वासन) आरंभ किया है। संरक्षण को मुख्य क्रियाकिलापों के रूप में सम्मिलित करने हेतु कंपनी की संरक्षा नीति को भी संशोधित किया गया है। कंपनी का दिल्ली स्थित प्रशिक्षण केन्द्र (एनआईएएसएस) राष्ट्रीय विमानन संरक्षा व सेवा संस्थान पायलटों और तकनीकी कर्मचारियों के कौशल स्तर एवं ज्ञान वृद्धि करने के लिए वचनबद्ध है।

पवन हंस को अपने समग्र परिचालन उत्कृष्टता एवं सतत् व्यावसायिक प्रदर्शन के लिए हाल ही में निम्न मंचों पर सम्मानित किया गया है:-

- न्यूज़ इंक लेजॅन्ड पीएसयू शाईनिंग अवॉर्ड-2013,
- आईआईआईइ द्वारा आयोजित सीईओ सम्मेलन में वर्ष 2012-13 हेतु ओवरऑल ऑर्गनाइजेशनल

इफेक्टिवनेश के लिए गोल्डन कैटेगॅरि अवॉर्ड

- सेवा क्षेत्र के तहत ई-गवर्नेंस द्वारा आयोजित पीएसयू सम्मेलन-2014 के दौरान 'परफॉर्मेंस-हाइऐस्ट टर्नअराउण्ड'

- इंस्टीटयूट ऑफ डायरेक्टर्स, नई दिल्ली द्वारा आयोजित वर्ष 2014 के लिए 'सस्टेनेबिलिटी के लिए गोल्डन पीकॉक अवॉर्ड'

- हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्ट सर्विस क्वालिफाइंग के लिए भारत की सर्वश्रेष्ठ परियोजना-2014 सतत में संतुलित व्यापार प्रदर्शन और मार्केट में नेतृत्व स्थान पाने के लिए स्कॉच रेनेसा अवॉर्ड और

- नाविमं के अंतर्गत इससे जुड़े सभी उपक्रमों में पवन हंस लिमिटेड को अपने सभी कार्यालयों में हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए सचिव, नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा प्रथम पुरस्कार।

कंपनी ने डीपीई द्वारा जारी नैगमिक अभिशासन के दिशानिर्देशों को अंगीकार किया है और अवधि के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे तथा कर्मचारी प्रतिनिधि निकायों से नियमित बैठकें हुई।

भारत में हेलीकॉप्टर उद्योग के विकास में कंपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस उद्योग में विकास की व्यापक संभावना है।

प्रबंधन में अपना विश्वास जताने के लिए मैं इस अवसर पर आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। कंपनी के प्रभावी प्रबंधन में मैं भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय और इसके विभिन्न अभिकरणों के समर्थन और मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं गंभीरता पूर्वक ओएनजीसी, जीएआईएल, जीएसपीसी, एनटीपीसी, ऑयल इंडिया, ब्रिटिश गैस, गृह मंत्रालय, बीएसएफ और मेघालय, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, असम उड़ीसा, अण्डमान व निकोबार द्वीप और लक्ष्यद्वीप की राज्य सरकारों को कंपनी के परिचालन में विश्वास जताने की सराहना करता हूँ और कंपनी की प्रगति में कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की।

(डॉ. बी पी शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 19.03.2015

वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए पवन हंस ने भारत सरकार तथा ओएनजीसी को रु. 7.71 करोड़ के लाभांश का भुगतान किया। डॉ॰ बी पी शर्मा द्वारा डॉ महेश शर्मा माननीय राज्य मंत्री नागर विमानन की उपस्थिति में माननीय नागर विमानन मंत्री श्री अशोक गजपति राजू पुष्पति को चेक सौंपा गया।

निदेशकों की रिपोर्ट

शेयरधारकों,

सज्जनों,

आपके निदेशकों को दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष की, पवन हंस लिमिटेड (14.01.2013 के प्रभाव से पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड से परिवर्तित नाम) की 29वीं वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखे तथा भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अति प्रसन्नता हो रही है।

I. परिचालन

(क) परिचालनात्मक परिणाम

कंपनी संस्थागत ग्राहकों मुख्यत: तेल उद्योग और सरकारी क्षेत्र के साथ दीर्घावधि अनुबंध सुनिश्चित रखने में सफल रही है। हेलीकॉप्टरों के राजस्व घंटे और औसत मासिक डिप्लॉयमेन्ट निम्नवत हैं:-

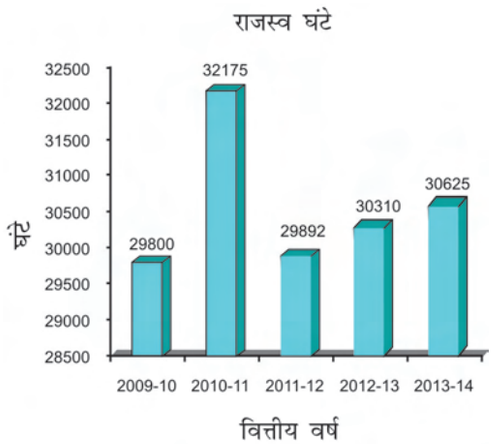

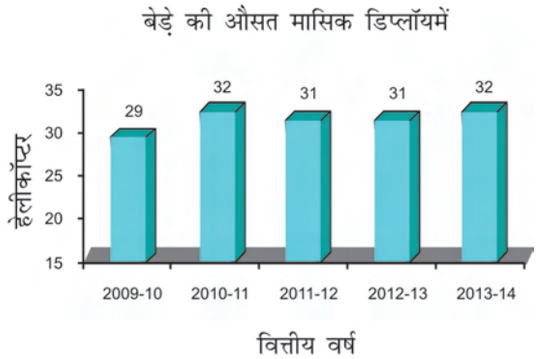

31.03.2014 को समाप्त वर्ष के दौरान 46 हेलीकॉप्टरों के बेड़े में से औसतन मासिक तैनाती 32 हेलीकॉप्टर का था। (1 डॉफिन एन 3 जो दिनांक 28.06.2013 को हरसिल में हैवी लैडिंग के कारण गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ और अक्टूबर 2014 से सेवाप्रयोज्य हुआ। विगत वर्ष में बेड़े की सेवाप्रयोज्यता औसत 83% की तुलना में वर्ष के दौरान 77% थी। विगत वर्ष के दौरान कुल उड़ान घंटे 31,683 की तुलना में कुल उड़ान घंटे 31,890 थे।

(ख) बेड़ों की विवरण/रूपरेखा

31.03.2014 को कंपनी के प्रचालन बेड़े का विवरण/रूपरेखा निम्नवत है:-

हेलीकॉप्टर का प्रकार	हेलीकॉप्टरों की संख्या	औसत आयु (वर्ष)
डॉफिन एसए 365 एन	18	29
डॉफिन एएस 365 एन3	17	9
बेल 407	3	9
बेल-206 एल 4	3	17
एएस 350 बी 3	2	3
एमआई 172	3	5
कुल	**46**	

दिनांक 31.03.2014 के अनुसार कंपनी ने सीमा सुरक्षा बल (एमएचए) के स्वामित्व के 06 ध्रुव हेलीकॉप्टरों के लिए एचएएल के साथ प्रचालन एवं अनुरक्षण का अनुबंध किया है। ध्रुव हेलीकॉप्टरों का उपयोग सीमा सुरक्षा बल द्वारा नक्सल विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। कंपनी ने मेसर्स एचएएल के प्रचालन एवं अनुरक्षण के साथ भी अदद 01 ध्रुव हेलीकॉप्टर की भी अनुबंध की थी। कंपनी ने एक डॉफिन एन हेलीकॉप्टर को महाराष्ट्र और ओडिसा सरकार प्रत्येक को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सल विरोधी गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराया है।

डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टर ओएनजीसी-ऑफ शोर पर उड़ता हुआ

(ग) बेड़े की तैनाती

पवन हंस ओएनजीसी के मुम्बई में स्थित अपतटीय प्लेटफार्मों के ड्रिलिंग रिंगों पर कर्मचारियों और आवश्यक साम्रगी को पहुँचाने के लिए अहर्निश हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराती आई है। पवन हंस मेन लैंड मुम्बई से 130 ना टि. मील त्रिज्या के अंदर ओएनजीसी के रिगों (मुख्य प्लेटफॉर्म तथा ड्रिलिंग रिगों) और उत्पादन प्लेटफार्मों (कुओं) में परिचालन करता है। ओएनजीसी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली के तहत 5 वर्ष विटेंज वाले अदद 7 डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टरें को उत्पादन कार्य अनुबंध हेतु उपलब्ध कराने की निविदा पवन हंस को प्रदान की गई है। दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार 10 डॉफिन हेलीकॉप्टर एन 3 हेलीकॉप्टर ओएनजीसी के पास उसके अपतटीय कार्य के निए अनुबंधित हैं जिनमें से 02 डॉफिन हेलीकॉप्टर हर समय आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए नाईट एम्बुलेन्स के अतिरिक्त मुख्य प्लेटफार्म पर तैनात रहते हैं।

कंपनी अनेक राज्य सरकारों मुख्यत: मेघालय, मिजोरम, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गृह मंत्रालय, अंडमान निकोबार द्वीप और लक्ष्यद्वीप प्रशासन को हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराती है। कंपनी एनटीपीसी और जीएआइएल, जीएसपीसी, ब्रिटिश गैस एक्सपलोरेशन (बीजी) आदि को भी हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराती है।

कंपनी ने वर्ष के दौरान अतिरिक्त 4थे डॉफिन हेलीकाप्टर को अंडमान और निकोबार द्वीप के प्रशासन और एक एमआई-172 हेलीकॉप्टर को अरुणाचल प्रदेश की सरकार को तैनात किया था।

कंपनी को प्रतिस्पर्धी दशाओं में अप्रैल 2008 से मार्च 2011 और पुन: अप्रैल 2011 से मार्च 2014 में माता वैष्णों देवी श्राइन बोर्ड द्वारा कटरा से सांझी छत के लिए हेलीकॉप्टर परिचालन सेवाओं के लिए अनुबंध प्राप्त हुआ था। पवन हंस प्रति वर्ष मई-जून एवं सितम्बर

अक्टूबर की नियतावधि के दौरान फाटा से श्री केदारनाथ के पवित्र धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं का प्रचालन कराती है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा पवन हंस को वर्ष 2012 व 2013 के लिए श्री अमरनाथ यात्रा के लिए भी पहलग्राम-पंजतरणी सेक्टर हेतु हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करने की संविदा प्रदान की गई है और सीजन के दौरान जून-अगस्त 2012 व 2013 के दौरान सेवाएँ प्रदान की गई है। आगे, कंपनी को पुनः श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सोनमर्ग-पंजतरणी सेक्टर में अनुबंध प्राप्त हुआ और 2 बेल 407/एएस 350 बी 3 हेलीकॉप्टरों के साथ जून-अगस्त 2014 से प्रचालित हुई।

(घ) नए बेड़े के अर्जन हेतु निधियन

ओएनजीसी ने 7 अदद डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टरों की लागत के 80% के रूप में 261 करोड रुपए के ऋण निधियन किया है। तत्पश्चात् ओएनजीसी ने इस ऋण की राशि के अंश को (95.85 करोड़ रुपए) कंपनी में प्रदत्त पूंजी के रूप में परिवर्तित कराया है। 10 वर्षों की दीर्घावधि चार्टर लीज पर एक डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टर हेतु एनटीपीसी ने 52 करोड़ रुपए का निधियन किया है। कंपनी ने 2 डॉफिन एन 3 के 80% लागत के वित्तीय हेतु 90.82 करोड़ रुपए मियादी ऋण एक्जिम बैंक से लिया है, और 2 एमआई 172 हेलीकॉप्टरों के लिए 80% लागत 95.18 (लगभग) करोड़ रुपए का मियादी ऋण विजया बैंक से लिया है, जिसकी अवधि 10 वर्ष की होगी। कंपनी की कार्यात्मक पूंजी की अपेक्षाओं के लिए विजया बैंक से 40 करोड़ रुपए की निधि आधारित सीमा की संस्वीकृति भी मिली है। कंपनी को इंडिया रेटिंग से मियादी ऋण पर इंड ए (स्थिर) श्रेणी मिली है जिसे हाल ही में समुन्नत कर इंड ए + (स्थिर) किया गया है।

31.03.2014 की स्थिति के अनुसार दीर्घावधि उधार रुपए 171.04 करोड़ (विगत वर्ष में रुपए 274.69 करोड़) था। कंपनी ने विजया बैंक और एक्जिम बैंक से लिया संपूर्ण अवधि ऋण चुका दिया है। वर्तमान में बकाया ऋण रुपए 83.82 करोड़, ओएनजीसी रुपए 42.90 करोड़ और एनटीपीसी 40.92 करोड़ है।

(ङ) दिल्ली तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में हेलीपोर्ट/ हैलीपैड:- दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जून 2009 में हेलीपोर्ट के निर्माण हेतु नागर विमानन मंत्रालय के नाम से रोहिणी, नई दिल्ली में 25 एकड़ भूमि का आबंटन किया है। पवन हंस ने भूमि पर अधिकार ले लिया और 64 करोड़ रुपए परियोजना लागत पर रोहिणी हेलीपोर्ट का विकास कार्य पवन हंस को सौंपा गया है, जिसमें सरकार भूमि लागत और विकास कार्य की लागत का 80% निधियन करेगी। नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 31.08.2010 को अनुदान के रूप में भूमि की लगात हेतु रुपए 19.07 करोड़ का योगदान दिया है इसके अतिरिक्त रोहिणी हेलीपोर्ट परियोजना लागत रुपए 64 करोड़ में से 36 करोड़ रुपए का इक्विटी केपिटल का अंशदान दिया है। कंपनी ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए रोहिण ी में बुनियादी हैलीपैड सुविधाओं का सृजन किया गया है। पर्यावरण संबंधि मंजूरी और (मास्टर प्लान) और भवन के नक्शे डीजीसीसी बीसीएएस और एएआई से अनुमोदित किए गए हैं। वास्तुविद् सह परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (एपीएमसी) नियुक्त किए गए और डीडीए ने 22.01.2014 को परियोजना के लिए अनुमति दे दी है। 18.07.2014 को निर्माण के लिए संविदा प्रदान की गई है। अक्टूबर, 2014 के अंत में निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ है।

(च) हडस्पर, पुणे में प्रशिक्षण अकादमी तथा हेलीपोर्ट पवन हंस को डीजीसीए के स्वामित्व वाले, पुणे स्थित वर्तमान ग्लाइडिंग सेन्टर में हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण अकादमी सह हेलीपोर्ट के विकास का कार्य सौंपा गया। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा परियोजना का अनुमोदन दे दिया गया है और डीजीसीए ने इस उद्देश्य हेतु जीबीएस के रूप में 10 करोड़ जारी किए हैं। पवन हंस ने डीजीसीए के साथ दिनांक 17 मई 2010 को

एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था तथा डीजीसीए की ओर से पवन हंस ग्लाईडिंग सेंटर की भूमि तथा अन्य संरचनात्मक सुविधाओं का उपयोग करेगी। पवन हंस ने निक्षेप कार्य आधार पर ₹10.40 करोड़ की लागत से एनबीसीसी ने योजना, अभिकल्पना और निर्माण कार्य पूर्ण कराए हैं। परियोजना लागत ₹11.30 करोड़ तक परिशोधित किए गए और एनबीसीसी से शेष कार्य पूर्ण करने का निवेदन किया गया है।

(छ) इक्विटी पूंजी

दिनांक 03.12.2010 को कंपनी की प्राधिकृत पूंजी ₹ 120 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 250 करोड की गई। कंपनी की प्रदत्त पूंजी भी बढ़कर ₹ 245.616 करोड़ हुई, जिसमें ₹ 125.266 करोड़ भारत सरकार के राष्ट्रपति के नाम पर है (पूर्व में ₹ 89.266 करोड़) तथा 14.02.2011 के शेयर आबंटन के बाद ₹ 120.35 करोड़ ओएनजीसी लिमिटेड के नाम है (पूर्व में ₹ 24. 50 करोड़)। तदनुसार कंपनी में भारत सरकार और ओएनजीसी का शेयर क्रमशः 78.46% तथा 21.54% से परिवर्तित होकर क्रमशः 51% तथा 49% हो गया है।

(ज) वित्तीय वर्ष 2013-14 की समाप्ति के पश्चात् हुई प्रगतिः-

वित्तीय वर्ष 2013-14 की समाप्ति के पश्चात् निम्नांकित प्रगति हुई है:-

(i) मार्च-मई 2014 में हुए लोकसभा के आमचुनावों के दौरान कंपनी ने 11 हेलीकॉप्टरों को तैनात करके लगभग ₹ 32.21 करोड़ के राजस्व तथा ₹ 23.14 करोड़ के अनुमानित वृद्धिशील राजस्व के साथ कुल 1200 घंटों की उड़ान भरी।

(ii) कंपनी 01.08.2014 से 31.07.2015 तक की अवधि के लिए हेलीकॉप्टरों के बेड़ा प्रचालन के लिए ₹ 1228 करोड़ का निश्चित आश्वासित मूल्य तथा रुपए 300 करोड़ के सूची मूल्य योग पर सर्वोत्तम प्रतियोगी दरों पर बीमा पाने में सफल रही। कंपनी ने यह बीमा ₹ 11,07,47,261/- के कुल प्रीमियम में, जैसे विगत वर्ष के प्रीमियम पर 47%, वार्षिक प्रीमियम में अनुमानतः शुद्ध कमी (₹23,56,33,885 - ₹12,48,86,624) के साथ प्राप्त किया। कंपनी में उन्नत सुरक्षा मानक भी बीमा प्रीमियम दरों की कटौती में सहायक सिद्ध हुआ है।

(iii) वित्तीय अनियमितता/कवारती में हुए गबन में पवन हंस के बैंक खाते से ₹ 1.29 करोड़ की नकदी के आहारण का पता चला था, इस माामले में सीबीआई को दिनांक 8.8.2014 को सूचित किया गया और आगे की जाँच पड़ताल जारी हैं।

II. वित्त

(क) वित्तीय परिणाम

वित्तय वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के वित्तीय निष्पादन का पूरा विवरण निम्नवत है:-

₹ करोड़ में

विवरण	2012-13	2013-14
(I) प्रचालन राजस्व		
– प्रचालन से राजस्व	456.43	516.26
– आकस्मिक राजस्व	8.82	13.33
योग (1)	465.25	529.59
(II) प्रचलन व्यय		
– प्रचालन व्यय	351.82	376.85
– मूल्यह्रास	73.79	79.71
योग (2)	425.61	456.56
(III) शुद्ध प्रचालन लाभ (I-II)	39.64	73.03
(IV) ब्याज आय उधारों पर प्रभारित ब्याज घटाकर	10.39 (28.51)	11.92 (31.81)
(V) पूर्वावधि/असाधारण समायोजन	6.42	8.10
(VI) कर पूर्व लाभ	27.94	61.24
(VII) कर/आस्थगित कर देयता	16.24	22.67
(VIII) कर के पश्चात् शुद्ध लाभ (हानि)	11.70	38.57

विगत वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान हेलीकॉप्टरों के अधिकतम परिनियोजन विशिष्टत: एमआई-172 हेलीकॉप्टर के कारण निष्पादन में सुधार हुआ है और उच्च राजस्व दर पर हेलीकॉप्टर सेवा के लिए दीर्घकालिक अनुबंध प्राप्त किया जिसके परिणामस्वरूप प्रचालन राजस्व में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त उपरिव्यय, परिवहन व्यय, बीमा लागत तथा कारोबार संवर्धन व्यय पर नियंत्रण करने के कारण परिचालन लाभ में 39.64 करोड़ से बढ़कर 73.03 करोड़ हुई है। कंपनी की आरक्षतियां और अधिशेष 268.22 (गत वर्ष ₹ 238.91 करोड़) थे।

प्रचालन राजस्व

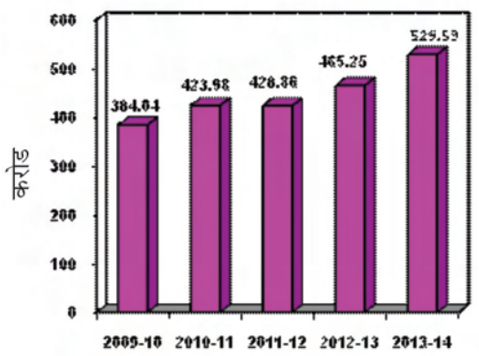

वित्तीय वर्ष

प्रचालन राजस्व

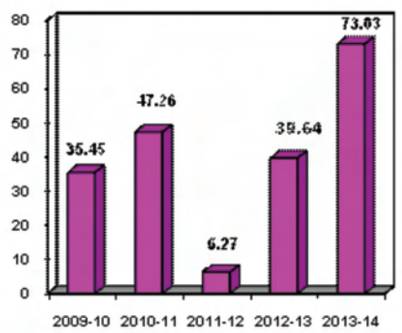

वित्तीय वर्ष

कंपनी का लगभग 85% प्रचालन राजस्व प्रतिस्पर्धी निविदाओं के माध्यम से संविदाओं से अर्जित होता है। ओएनजीसी ने हाल ही में क्रू परिवर्तन निविदा के साथ 5 से 7 वर्ष की विटेज स्थिति में सुधार किया है जिसके परिणामस्वरूप 26.12.2014 क्रू परिवर्तन निविदा की समाप्ति पर कंपनी ने ओएनजीसी को 3 से 4 डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टरों का सक्षम प्रस्ताव रखा है। बाजार में अपतटीय एएस-। अर्हता प्राप्त पायलटों की अनुपलब्धता भी एक मुख्य मजबूरी है अत: अनुभवी के साथ नए पायलटों को नियुक्त करने के लिए नियमित प्रवेश साक्षात्कार संचालित किए जा रहा हैं।

(ख) लाभांश

निदेशक मंडल ने कर पश्चात शुद्ध लाभ रुपये 38.57 करोड़ के @20% की दर से अर्थात् 771.33 लाख के लाभांश की अनुशंसा की है (गत वर्ष में कर पश्चात् शुद्ध लाभ (जो रुपये 11.70 करोड़ है) के 20% की दर से अर्थात् रुपये 233.96 लाख था) लाभांश रुपये 245.616 करोड़ की संपूर्ण प्रदत्त पूंजी पर देय है और रुपये 154.22 लाख (गत वर्ष रुपये 39.76 लाख) के लाभांश पर कॉर्पोरट कर के लिए प्रावधान किए गए है। आगामी वर्षों में कंपनी प्राप्त लाभों से अधिकतम लाभांश राशि की अदायगी करने का प्रयास करेगी।

(ङ) भारत सरकार की देयताएं

भारत सरकार के लंबित दावे के मुद्दे के संबंध में नागर विमानन मंत्रालय ने दिसंबर, 2007 में वित्त मंत्रालय को एक परिशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें वित्त मंत्रालय से सरकार द्वारा कंपनी से दावाकृत कुल राशि ₹ 470.22 करोड़ (मूल राशि ₹ 130.91 करोड़ तथा 31.03.2001 तक का ब्याज ₹ 339.31 करोड़) का अधित्याग करने पर पुनर्विचार करने हेतु कहा गया है ताकि मौजूद निधि का उपयोग बेड़े के वर्धन तथा अन्य पूंजीगत परिव्यय कार्यक्रम हेतु किया जा सके, जो नागर विमानन क्षेत्र में भारत में विद्यमान प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य में कंपनी का अस्तित्व बनाए रखने हेतु अपरिहार्य है। वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है तथा कंपनी की दावाकृत राशि को सरकारी कोष में जमा करने हेतु कहा गया है। कंपनी के

डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टर गुवाहाटी में

निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 21/08/2008 को आयोजित 115 वीं बैठक में निर्णय लिया गया है कि वित्त मंत्रालय के दावे का पूर्ण अधित्याग करने हेतु नागर विमानन मंत्रालय पैरवी करे और एक वित्त सलाहकार नियुक्त किया जाए, जो अन्य मुद्दों सहित इसकी जाँच करें। वित्त सलाहकार ने कंपनी के मूल्यांकन में भारत सरकार के दावे के प्रभाव पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी तथा समान विकल्पों की संस्तुति की है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के लिए वित्त मंत्रालय के दावे का भुगतान व्यवहार्य विकल्प नहीं है। निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार कंपनी ने नागर विमानन मंत्रालय के सचिवों की समिति को भारत सरकार द्वारा दावाकृत ₹ 470 करोड़ का अधित्याग करने हेतु जनवरी 2009 में मसौदा टिप्पणी प्रस्तुत की है।

वित्त मंत्रालय के दावे के निपटान के संबंध में दिनांक 29.04.2012 को वित्त मंत्रालय के साथ हुई बैठक के परिणामस्वरूप यह निर्णय लिया गया कि विद्यमान प्रतियोगी परिस्थितियों और निविदाओं के अंतर्गत ओएनजीसी को 5 वर्ष पुराने हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता और किस प्रकार वित्त मंत्रालय के ₹470.22 करोड़ का दावा कंपनी के सर्वांगीण विकास में अवरोध उत्पन्न करेगा को ध्यान में रखकर बारहवीं पंच वर्षीय योजना अवधि (2012-17) के लिए कंपनी की कारोबारी योजना तैयार की जाए। बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात् एसबीआई केपिटल मार्केट सर्विसेज लिमिटेड की रिपोर्ट दिनांक 02.07.2012 को वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करने हेतु नागर विमानन मंत्रालय को सौंपा गया। मामले पर चर्चा के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा 07 अगस्त, 2013 को एक बैठक बुलाई गई। मामला नागर विमानन मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के मध्य विचाराधीन है। कंपनी ने अनुसूची-VI के तहत भारत सरकार की देयता को गैर चालू देयता माना है।

कंपनी द्वारा 31.03.2001 तक ₹ 339.31 करोड़ का प्रावधान बनाया गया था वर्ष 1999-2000, 2000-01 और 2002-03 के दौरान वित्त

मंत्रालय द्वारा दावाकृत ब्याज तथा अन्य प्रभारों को अग्रेनीत किया गया है।

(घ) **नागर विमानन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन:**

पवन हंस प्रतिवर्ष नागर विमानन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन लोक उपक्रम विभाग की बैठक में कार्य दल के साथ समझौता वार्ता के उपरांत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करता है। पवन हंस द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2013-14 के लिए पवन हंस को "अति उत्तम" एमओयू रेटिंग प्रदान की गई है।

III. **अभियांत्रिकी/अनुरक्षण क्रियाकलाप:**

कंपनी ने अपने हेलीकॉप्टर बेड़े के अनुरक्षण के लिए डीजीसीए के अनुमोदन से दिल्ली और मुम्बई में अत्याधुनिक अनुरक्षण सुविधाओं की स्थापना की है। हेलीकॉप्टरों की गहन अनुरक्षण जाँच की जाती है तथा आंतरिक सुविधाओं सहित व्यापक कार्यशाला जाँच की सुविधाएँ भी उपलब्ध है। डॉफिन हेलीकॉप्टरों के मेजर 'जी' निरीक्षण के लिए बिना विदेशी सहायता के पूर्ण स्वदेशी आंतरिक सुविधाओं से अनुरक्षण क्षमता को उन्नत किया गया जिससे मरम्मत/निरीक्षण लागत में कमी आई है और विदेशी मरम्मत/निरीक्षण लागत में कमी आई है और विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मुम्बई में अनुरक्षण सुविधाओं के अनुमोदन पर डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टरों का 'जी' निरीक्षण करने हेतु विस्तार (6000 घंटे एअरफ्रेम ओवरहॉल) किया गया है। कंपनी ने अपने संसाधनों द्वारा टी/2टी/5टी (600 घंटे/1200 घंटे/3000 घंटे) सहित कुल 32 निरीक्षण और डॉफिन हेलीकॉप्टरों पर 2 'जी' निरीक्षण (5400 घंटे) सम्पन्न किया है।

वर्कशाप सुविधाओं में संवर्धन कार्य एक निरंतर प्रक्रिया है तथा प्रत्येक संवर्धन कार्य एक मील का पत्थर है। वर्ष के दौरान डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टरों के 'जी' निरीक्षण सुविधाओं के संवर्धन के अलावा डॉफिन एन 3 हेलीकाप्टरों के

नागर विमानन मंत्रालय के सचिव का पवन हंस के वरिष्ठ प्रबंधकों के साथ चर्चा सत्र

पवन हंस लिमिटेड की 29वीं वार्षिक सामान्य बैठक

औजारों के बैंच चैक हेतु वर्कशॉप सुविधाओं में वृद्धि की गई है। वर्ष के दौरान बेसों में भी बेल हेलीकॉप्टरों का महत्वपूर्ण अनुरक्षण निरीक्षण तथा मुख्य पूर्जों के बदलने का कार्य चलता रहता है।

IV. सामग्री प्रबंधन

अचल इन्वेंट्री के बेहतर नियंत्रण हेतु सामग्री प्रबंधन निर्देश जारी कर दिए गए थे। अभियांत्रिकी तथा सामग्री विभाग द्वारा संयुक्त समीक्षा के आधार पर इन्वेंट्री खरीदने की मात्रा को निर्धारित किया गया तथा स्पेयर्स को पूर्व मांग के आधार पर मंगवाया गया था। सामग्री प्रबंधन प्रक्रिया को इंटीग्रेटेड सुगठित कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से ऑन लाईन किया गया है। मांग और आपूर्ति की प्रक्रिया प्रभावी हो गई है और आँकड़े पारदर्शी हो गए है तथा सभी क्षेत्रों और बेसों में उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। यथा समय सतर्कता संकेतों के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की क्षमता में वृद्धि हुई है। वर्ष के दौरान ई-प्रापण प्रणाली भी प्रारंभ की गई।

V सूचना प्रणाली व प्रोद्यौगिकी योजना:

परिचालन, अभियांत्रिकी, सामग्री एवं वित्त जैसे महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र में सूचना प्रणाली व प्रोद्यौगिकी योजना के क्रियान्वयन हेतु मेसर्स टाटा कन्सलाटेन्सी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा बनाए गए इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर से कुशलता, सामर्थ्य और ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि हुई है। नोएडा, सफदरजंग एयरपोर्ट तथा मुम्बई के कार्यालयों के लिए एलएएन/डब्ल्यूएएम एकीकृत संरचना को क्रियान्वित किया गया है। कॉरपोरेट कार्यालय, क्षेत्रीय तथा डिटैचमेंन्टों हेतु एकीकृत वाक् संप्रेषण प्रणाली का कार्य क्रियान्वित किया गया है। कंपनी ने केदारनाथ जी और अमरनाथ जी के लिए यात्री सेवा प्रचालनों हेतु ई-टिकटिंग प्रणाली आरंभ की है। कंपनी की नई वेबसाइट http:pawanhans.co.in नियमित आधार पर अद्यतित की गई। कंपनी में हाल ही में ई-ऑफिस प्रणाली को लागू किया है।

VI. मानव संसाधन विकास

(क) <u>श्रमशक्ति</u>

31 मार्च 2013 को नियमित तथा अनुबंधित कर्मचारियों की संख्या 924 थी, जबकि 31 मार्च, 2014 को कर्मचारियों की संख्या 899 हो गई।

(ख) <u>ओद्यौगिक संबंध</u>

अवधि के दौरान ओद्यौगिक संबंध सद्भावपूर्ण रहे तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की गई। कर्मचारियों से संबंधित मुद्दे विचार-विमर्श के माध्यम से सुलझाये गए। यद्यपि दिनांक 01.01.2007 से प्रभावी नए वेतनमानों और भत्तों को भी समस्त अधिकारियों, अभियंताओं, और पायलटों के लिए लागू किया गया अभियन्ताओं और पायलटों ने लाइसेंस से संबंधित भत्तों की माँग उठाई और ये मुद्दे अभी विचाराधीन हैं।

(ग) <u>प्रशिक्षण</u>

समस्त कर्मचारियों यथा-अधिकारियों, पायलटों, इंजीनियरों, तकनीशियनों और सहायक स्टॉफ के लिए प्रशिक्षण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रबंधकीय निपुणता के विभिन्न विषयों पर नियमित रूप से व्याख्यान आयोजित किए गए। कंपनी द्वारा कर्मचारियों को विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आंतरिक प्रशिक्षणों में नामित किया जाता है। नियमित आधार पर पायलटों, इंजीनियरों, तकनीशियनों के लिए विभिन्न पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के लिए विमानन प्रशिक्षण विद्यालय की सुविधाओं का उपयोग किया जाता है। कंपनी ने सितंबर, 2009 में मुम्बई में डीजीसीए द्वारा अनुमोदित हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की है, जहाँ एएमई लाइसेंस अर्जन हेतु बेसिक एयरक्राफ्ट अनुरक्षण इंजीनियरिंग लाइसेंस आरंभिक पाठ्यक्रम प्रदान करवाया जाता है।

पवन हंस क्रू के प्रशिक्षण और आपातस्थितियों से निपटने के लिए पाइलटों को सक्षम बनाने वाली प्रशिक्षण कार्यप्रणाली पर विशेष बल दे रहा है। सभी क्रू को सिमुलेटर प्रशिक्षण भी सुनिश्चित किया जा रहा है जिसमें सभी प्रकार की विकट आपातस्थितियां सम्मिलित है ताकि पायलट उड़ान

मुंबई के जुहू एयरोड्रम पर अपतटीय प्रचालन के लिए तैयार डॉफिन हेलीकॉप्टर का बेड़ा

पद्मभूषण डॉ शिवाथ्नू पिल्ल्ई द्वारा पवन हंस को समग्र सांगठनिक प्रभाविता और विभिन्न कारोबारी पहलों के लिए परिचालनगत उत्कृष्टता पुरस्कार

के समय इन आपात स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार रहें। कंपनी द्वारा पिछले वर्ष में मेसर्स हैटसॉफ, बैंगलोर में 43 पायलटों का सिमुलेटर प्रशिक्षण करवाया गया है। अधिक संख्या में पायलटों तथा इंजीनियरों की सेवानिवृत्ति / त्यागपत्र को ध्यान में रखकर बढ़ते हुए बेड़े की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुभवी और युवा पायलटों की नियुक्ति और उनके प्रशिक्षण की कार्रवाई की जा रही है।

पवन हंस में जानकारी बढ़ाने वाली बैठकों का आयोजन भी प्रारंभ किया गया है जहाँ पायलटों को इंजीनियर और तकनीशियनों के साथ पेशेवर विषयों पर कक्षा व्याख्यान और परस्पर संवादात्मक सत्रों के माध्यम से पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाता है। इन गुणात्मक कदमों की शुरूआत पायलट और अनुरक्षण कार्मिकों दोनों के पेशेवर और कौशल क्षमता को बढ़ाने के लिए की गई तथा इससे उड़ान सुरक्षा अभियान में वृद्धि होगी।

VIII. संरक्षा उपाय

पवन हंस ने दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए परिचालन और अनुरक्षण प्रणाली को उन्नत करने संबंधी संरक्षा पहल की है। पवन हंस ने आईसीएओ/डीजीसीए के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने प्रचालनों में सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) क्रियान्वित करके संरक्षा पहल आरंभ की है और चार में से दो चरणों में एसएमएस क्रियान्वित किया है। एक नये पर्यवेक्षण विभाग का सृजन किया है और कंपनी में एक स्वैच्छिक प्रतिवेदन प्रणाली तथा जोखिम प्रतिवेदन प्रणाली को परिवर्तित किया है। हेलीकॉप्टर प्रचालनों का विलेषण और अनुवीक्षण करने हेतु कंपनी ने एफओक्यूए (फ्लाइट प्रचालन गुणवत्ता आश्वासन) समाविष्ट/आरंभ किया है। संरक्षा को केन्द्रीय/कोर क्रियाकलाप के रूप में सम्मिलित करने हेतु कंपनी ने संरक्षा नीति पुनरीक्षित की है। प्रबंधन प्रणाली और सुरक्षा जागरूकता के लिए कंपनी ने जून, 2010 में दिल्ली में विमानन सुरक्षा व सेवा संस्थान स्थापित किया है। संस्थान ने विमानन संरक्षा पाठ्यक्रम चलाना शुरू कर दिया है तथा अन्य नए ग्राहकों, नए प्रचालकों को परामर्श सेवाएँ प्रदान करने के साथ विभिन्न हैलीपैड/हैलीपोर्ट/ अपतटीय संस्थापनों को परामर्श सेवाएँ उपलब्ध कराएगी।

पीएचएल द्वारा उपक्रमित अनेक सुरक्षा पहलों का कार्यान्वयन पहले ही किया जा चुका है और पीएचएल के सभी परिचालन बेसों का व्यापक आंतरिक लेखा परीक्षण पीएचएल टीम द्वारा किया जा रहा है। सभी डिटैचमेंटों पर आवाधिक सुरक्षा बैठके आयोजित की जाती हैं जिसमें सभी सुरक्षा मुद्दों पर विस्तार से तर्क वितर्क किया जाता है और जब कभी आवश्यक हो कार्रवाई की जाती हैं। पीएचएल ने सूचित किया है संगठन में सुरक्षा तैयारियों की भावना और सुरक्षा संस्कृति में काफी सुधार हुआ है यद्यपि यह प्रक्रिया निरंतर है और अब पीएचएल की कारोबारी नीति का हिस्सा है। सुरक्षा पहलों और निगरानी तंत्र का कार्यान्वयन किया जा रहा है। उक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एमओई उल्लिखित सुरक्षा लेखा परीक्षणों का सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है। संगठनात्मक प्रक्रियाओं का गुणवत्ता लेखा परीक्षण, एयरक्राफ्ट का गुणवत्ता लेखा परीक्षण और सी.ए.आर. 145-ए-30-सी के अनुसार उपचारात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। क्षेत्रों में सभी अभियांत्रिकी विभागों के प्रमुखों, गुणवत्ता प्रबंधक, बेसों/डिटैचमेंट में अनुरक्षण कार्मिकों को उपयुक्त सी.ए.आर के आधार पर तुरंत अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। जिम्मेदार प्रबंधक को भी उसके अनुवर्ती उपचारात्मक कार्रवाई के लिए सूचित किया गया है।

ऊर्जा संरक्षण और प्रोद्यौगिकी अवशोषण

कंपनी द्वारा निष्पादित गतिविधियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कंपनी नियम 1988 के नियम 2 (क) और 2 (ख) (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विशेष प्रकटीकरण)से संबंधित ऊर्जा संरक्षण और प्रोद्योगिकी अवशोषण कंपनी पर लागू नहीं होता।

विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी ने विदेशी मुद्रा में ₹ 112.87 करोड़ (विगत वर्ष में ₹ 96.89 करोड़) का अर्जन किया है। विदेशी मुद्रा व्यय राशि ₹ 97.02 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 21.61 करोड़) है।

माननीय केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री एम वेंकैया नायडू द्वारा पवन हंस को इसके सतत व संतुलित कारोबारी प्रदर्शन और हेलीकॉप्टर उद्योग में अग्रणी बाजार स्थिति हासिल करते हेतु स्कोच रेनेंसा पुरस्कार 2014 प्रदान किया गया।

IX. निदेशक मंडल

वर्ष 2013-14 के दौरान निदेशक मंडल की चार बैठकें हुई। वर्तमान तथा वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान मंडल में निम्नांकित सदस्य हैं:-

वर्तमान

डॉ बी. पी. शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (09.03.2015 से)
श्रीमती मणि सथियावथी	एएस व वित्तीय सलाहकार ना.वि.मं. (04.04.2014 से 30.12.2014 तथा डीजीसीए (30.12.2014 से)
श्री जी. असोक कुमार	संयुक्त सचिव ना. वि.मं. (6.01.2015 से)
श्री टी. के. सेनगुप्ता	निदेशक (ऑफशोर), ओएनजीसी (1.02.2014 से)
ए.वी.एम.ए.एस बुटोला	एसीएएस (प्रचालन, टी व एच), वायुसेना (05.05.2014 से)

निवर्तमान निदेशक

श्री बी. एस. भुल्लर	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01.01.2015 से 09.03.2015 तक)
श्री अनिल श्रीवास्तव	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (23.03.2012 से 31.12.2014 तक)
सुश्री पूजा जिंदल	निदेशक, ना.वि.मं. (04.04.2014 से 06.01.2015 तक)
श्री प्रभात कुमार	डी.जी.सी.ए (01.01.2014 से 30.12.2014 तक)
श्री एस. मछेन्द्रनाथन	विशेष सचिव व वित्त सलाहकार, ना.वि.मं. (12.12.2011 से 19.11.2013 तक)
श्री पी.के बोरठाकुर	निदेशक (ऑफशोर), ओएनजीसी (5.11.2012 से 01.02.2014 तक)
श्री जी. असोक कुमार	संयुक्त सचिव-ना.वि.मं. (12.01.2012 से 04.04.2014 तक)
श्री अरूण मिश्रा	डी.जी.सी.ए (26.07.2012 से 31.12.2013 तक)
एवीएम एसआर के नायर	एसीएएस (प्रचालन, टी व एच), वायु सेना (01.02.2013 से 05.05.2014 तक)

निदेशक मंडल श्री एस मछेन्द्रनाथन, श्री पी के बोरठाकुर, श्री जी असोक कुमार, श्री अरूण मिश्रा, एवीएम एस आर के नायर, सुश्री पूजा जिंदल, श्री प्रभात कुमार, श्री अनिल श्रीवास्तव और श्री बी एस भुल्लर द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा दी गई मूल्यवान सेवाओं की सराहना करता है। वित्त वर्ष 2013-14 की बोर्ड बैठकों में तथा पिछली एजीएम में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति का विवरण निम्नांकित है:-

निदेशक का नाम	वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान बोर्ड बैठकों की तिथि-उपस्थित निदेशक				वा.सा. बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति
	9.5.13	30.10.13	18.12.13	15.01.14	18.12.13
श्री अनिल श्रीवास्तव अप्रनि	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ
श्री एस. मछेन्द्रनाथन	जी हाँ	जी हाँ	-	-	-
श्री जी. असोक कुमार	अवकाश	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ
श्री अरुण मिश्रा	जी हाँ	अवकाश	जी हाँ	-	जी हाँ
श्री पी. के. बोरठाकुर	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	अवकाश	जी हाँ
एवीएम एस. आर. के. नायर	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ
श्री प्रभात कुमार	-	-	-	जी हाँ	-

कंपनी के किसी भी निदेशक को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (1) (छ)/कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के प्रावधान के अनुसार अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

X. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2एए)/कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(5) के प्रावधान के अनुसार 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के वार्षिक लेखे के संबंध में आपके निदेशकों ने:-

(क) वार्षिक लेखों को तैयार करने में लागू लेखांकन मानकों का पालन तथा सामग्री के अपसरण के संबंध में उचित स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, समाविष्ट किया है।

(ख) ऐसी लेखांकन नीतियों को चुना है तथा उनका बराबर प्रयोग किया है तथा ऐसे विनिर्णय तथा प्राक्कलन किए हैं जो उचित तथा युक्ति संगत हैं, जिससे वित्त वर्ष के अंत में कंपनी के कार्य मामले तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ की सत्य तथा निष्पक्ष छवि प्रस्तुत हो सके।

(ग) कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों के रक्षार्थ पूर्वोपाय तथा जालसाजी और अन्य विसंगतियों को रोकने तथा पता लगाने के लिए समुचित तथा पर्याप्त ध्यान रखा गया; और

(घ) वार्षिक लेखों को लाभकारी कारोबारी संस्थान आधार पर तैयार किया गया है।

(ङ) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार करना और ऐसी प्रणाली पर्याप्त और प्रभावी ढंग से काम कर रही थी।

XI. **नैगमिक अभिशासन :**

कंपनी ने नैगमिक अभिशासन के विषय में पहल की है तथा इसकी कार्यप्रणाली को विभिन्न स्टेक होल्डरों द्वारा स्वीकारा गया है।

कंपनी ने डीपीई द्वारा 06.07.2007 को जारी नैगमिक अभिशासन के मार्गदर्शी सिद्धांतों को अपनाया है। डीपीई ने दिनांक 14.05.2010 के का.ज्ञा. के माध्यम से इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को अनिवार्य किया है तथा पवन हंस ने डीपीई के मार्गदर्शी सिद्धान्तों को सम्भाव्य अधिकतम रूप से अपनाया, सिवाय स्वतंत्र निदेशकों के अपेक्षित संख्या के, जो नागर विमानन मंत्रालय के विचाराधीन है। निदेशक मंडल द्वारा 110 वीं बैठक में आदर्श आचरण संहिता का अनुमोदन किया गया तथा इन पर कार्य प्रमुखों एवं निदेशकों ने हस्ताक्षर किये हैं।

<u>लेखापरीक्षा समिति</u>

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 292 (क) 177 कंपनी अधिनियम 2013 के अनुपालन में निदेशक मंडल द्वारा 24.05.2001 को इसके अध्यक्ष तथा दो निदेशकों को शामिल करके एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है लेखापरीक्षा समिति के द्वारा, वित्तीय विवरण, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, सी एवं एजी के टिप्पणियों की समीक्षा की जाती है तथा वित्त वर्ष में अपेक्षित बैठकों का आयोजन किया जाता है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा समिति द्वारा 30.10.2013 और 18.12.2013 को बैठकें की गई। अब तक वर्तमान में लेखापरीक्षा समिति में श्रीमती मनी सथियावथी, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में, श्री प्रभात कुमार, नागर विमानन मंत्रालय के महानिदेशक, एवीएम ए.एस. बुतेला एसीएएस (प्रचालन टी व एच), वायुसेना मुख्यालय और श्री टी. के. सेनगुप्ता, निदेशक (ऑफशोर)-ओएनजीसी सदस्य के रूप में शामिल हैं।

<u>नैगमिक अभिशासन पर डीपीई मार्गदर्शी दिशा-निर्देशों के अनुसार विवरण:-</u>

गत तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक आम बैठकों का विवरण निम्नांकित है:-

वार्षिक सामान्य बैठक	वा. सा. बै का समय	वा. सा. बै का स्थान	विशेष संकल्प, यदि कोई हो
26वीं वार्षिक आम बैठक 29.12.2011 को आयोजित की गई	12.30 (अप.)	पंजीकृत कार्यालय सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003	
27वीं वार्षिक आम बैठक 27.12.2012 को आयोजित की गई	04.30 (अप.)	पंजीकृत कार्यालय सफरदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003	कंपनी का नाम "पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड" से "पवन हंस लिमिटेड" में परिवर्तित
28वीं वार्षिक आम बैठक 18.12.2013 को आयोजित की गई	12.30 (अप.)	पंजीकृत कार्यालय सफरदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003	
29वीं वार्षिक आम बैठक 31.12.2014 को आयोजित की गई	12.30 (अप.)	पंजीकृत कार्यालय सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003	

राष्ट्रपति निर्देश

वर्ष के दौरान राष्ट्रपति का कोई निर्देश जारी नहीं किया गया।

लोक शिकायत निवारण

कर्मचारियों और जनता की शिकायतों के निवारण हेतु कंपनी सरकारी दिशा निर्देशों का अनुपालन कर रही है।

सिटीजन चार्टर

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुरूप कंपनी ने अपनी बेवसाइट पर सिटिजन चार्टर जारी किया है।

सत्यनिष्ठा समझौता

दिनांक 09.11.2011 को कंपनी ने ट्रांस्परेंसी इंटरनेशनल इंडिया के साथ सत्यनिष्ठा समझौता पर हस्ताक्षर किया है। सत्यनिष्ठा समझौता पर एक करोड़ या उससे अधिक मूल्य के प्रमुख निविदाओं और विक्रेता द्वारा हस्ताक्षर किए भाग से संबद्ध है।

वरिष्ठ प्रबंधन का संबंधित पार्टी लेन-देन

वरिष्ठ प्रबंधन से संबंधित कोई भी संबंधित पार्टी लेन-देन वर्ष के दौरान नहीं हुए जिसमें उनका कोई व्यक्तिगत हित हो।

कॉरपोरेट गवर्नेंश दिशा निर्देश के अनुपालन से संबंधित पेशेवर कंपनी सचिव का प्रमाणपत्र

कॉरपोरेट गवर्नेंश दिशानिर्देश के अनुपालन से संबंधित प्रमाणपत्र अभ्यासरत कंपनी सचिव से प्राप्त हो गए हैं।

पारिश्रमिक समिति

स्वतंत्र निदेशकों के अधिष्ठापन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार पारिश्रमिक समिति गठित की जाएगी जो वर्तमान में प्रशासनिक मंत्रालय के विचाराधीन है।

विसल ब्लोअर नीति

स्वैच्छिक पहल के रूप में विसल ब्लोअर नीति का अनुपालन किया जा रहा है। यह नीति सुनिश्चित करेगी कि किसी भी प्रकार के शोषण से एक सच्चे विसल ब्लोअर को उपयुक्त सुरक्षा मिले। यह नीति कंपनी के समस्त कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी तथा कंपनी के इन्ट्रानेट में लोड होगी। किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति की पहुँच से वंचित नहीं रखा गया।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी डीपीई द्वारा जारी सीएसआर मार्गदर्शी सिद्धांतों के समझौता ज्ञापन के अनुसार सौंपे गए निगमित सामाजिक दायित्व की भूमिका का पालन कर रही है। कंपनी ने डीपीई द्वारा बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर सितंबर 2010 में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा अवलंबनीय नीति बनाई है। सीएसआर समिति बोर्ड सीएसआर की प्रगति पर नजर रखता है। वित्त वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 0.35 करोड़ का सामाजिक उत्तरदायित्व बजट अनुमोदित किया गया। सीएसआर के अंतर्गत कंपनी ने अरुणाचल प्रदेश में रामकृष्ण मिशन अस्पताल को दो एम्बुलेंस उपलब्ध कराई और 2014-15 में गैर सरकारी संगठनों द्वारा

किए गए संबंधित कार्यों के लिए भुगतान जारी किया गया। इसके अतिरिक्त नागर विमानन मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को शौचालय निर्माण के लिए ₹ 1.00 करोड़ का योगदान देगी।

XII. **लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट**

सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा वित्त वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखे हेतु दी गई टिप्पणियों को उनके उत्तर सहित अनुलग्नक 'क' में संलग्न किया गया है। (कृपया पृष्ठ 83 देखिए)।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट अनुलग्नक 'ख' में संलग्न है (कृपया पृष्ठ 104 देखिए)

XIII. **कर्मचारियों का विवरण**

निगमित मामले मंत्रालय द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2011 अधिसूचना सं जीएसआर 289 (ई) द्वारा जारी कंपनी अधिनियम 1975 की धारा में संशोधन (कर्मचारियों का विवरण) के अनुसार अधिनियम, 1956 की धारा 217 (ए) के अनुसार सरकारी कम्पनी में प्रतिवर्ष ₹ 60 लाख या इससे अधिक वेतन पाने वाले या पूरे वित्तीय वर्ष में नियुक्त या प्रतिमाह 5 लाख पाने वाले, यदि वित्तीय वर्ष में नियुक्त हो या इसका एक हिस्सा हो, का विवरण शामिल करना आवश्यक नहीं है।

XIV. **राजभाषा नीति**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी ने सरकार की राजभाषा नीति के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु हिन्दी पखवाड़े का आयोजन, हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन, वित्तीय प्रोत्साहन, विज्ञापनों का द्विभाषी रूप में जारीकरण तथा राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

XV. **विकलांग व्यक्तियों को रोजगार**

कम्पनी विकलांग व्यक्तियों के लिए बने कानून के प्रावधानों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 का पालन करती है।

XVI. **सतर्कता**

कम्पनी में एक सतर्कता विभाग है, जिसका प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी है। मुख्य सतर्कता अधिकारी के मार्गनिर्देशानुसार ई-टेंडर, ई-टिकट, ई-पेमेन्ट और फाइल ट्रेकिंग को क्रियान्वित किया गया है। अधि प्राप्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नवम्बर, 2011 में ट्रांसपरेन्सी इंटरनेशनल इण्डिया के साथ इन्टेग्रिटी पैक्ट पर हस्ताक्षर किया गया है। सीवीसी के अनुमोदन पर एक स्वतन्त्र एवं बाह्य अनुवीक्षक (आई ई एम) की भी नियुक्ति की गई है। कम्पनी के निदेशक मंडल ने विसल ब्लोअर नीति का भी अनुमोदन किया है।

सतर्कता दृष्टिकोण को आकर्षित करने वाले मामलों पर सतर्कता मामले शुरू किये जा चुके है और कुछ अधिकारियों/वरिष्ठ कार्यपालकों के विरूद्ध प्रमुख जुर्माने कार्रवाही के लिए आरोप पत्र भी दाखिल किये गये है। सतर्कता विभाग की विवेकशील क्रियाशील से संगठन की कार्यक्षमता और छवि के साथ ही जवाबदेही कोड में संवर्धन हुआ है। सतर्कता विभाग ने कर्मचारियों को निविदा प्रक्रिया, आधिप्राप्ति एवं निविदाओं तथा अधिप्राप्ति से संबंधित सीवीसी के मार्गदर्शनों के बारे में शिक्षित करने के लिए द्वितीय सहायक पुस्तिका जारी की है।

सतर्कता विभाग विभिन्न मामलों का अध्ययन भी कर रहा है ताकि संगठन में मौजूदा प्रचलित पद्धति और कार्यप्रणाली में सुधार तथा सरलीकरण किया जा सके, विशेषकर उन क्षेत्रों में, जहाँ प्रणाली में सुधार की अपेक्षा है ताकि कार्यकुशलता, खर्च हटाने और पारदर्शिता में वृद्धि हो। ये अध्ययन विलम्ब होने के बिन्दुओं, विलम्ब के कारण तथा इसके सम्भावित उपायों पर केन्द्रित है ताकि एक उपयुक्त कार्यविधि तैयार करके विलम्ब को तथा भ्रष्टाचार के अवसरों को कम किया जा सके। ये अध्ययन वार्षिक सम्पत्ति विवरण, सतर्कता, जागरूकता, प्रशिक्षण, स्पेयर्स की खरीद और यान्त्रिक सुविधा की समीक्षा करके पारदर्शिता और सतर्कता व्यवस्था को किस प्रकार सशक्त बनाया जाए इस पर भी केन्द्रित है।

इस अवधि के दौरान, सतर्कता विभाग द्वारा कावारती बेस पर घटित वित्तीय अनियमिताओं की जाँच-पड़ताल

की गयी। इस जाँच-पड़ताल से पद्धति एवं अनुवीक्षण तंत्र में मौजूद त्रुटियों का खुलासा हुआ। लक्ष्यद्वीप बेस पर हुए वित्तीय अनियमिताओं पर आवश्यक कार्यवाई की जा रही है।

XVII. उभरता परिदृश्य

उभरते परिदृश्य में, कम्पनी के समक्ष प्रतियोगी, गुणात्मक एवं किफायती बनकर उभरने के अवसर एवं चुनौतियाँ है। पवन हंस भारत में हेलीकॉप्टर प्रचालन करने वाली सबसे बड़ी कम्पनी है तथा इसके प्रचालन और अनुरक्षण उच्च स्तरीय हैं। कम्पनी संरक्षा निष्पादन में समग्र विकास के लिए उत्कृष्टता हासिल करने हेतु अथक प्रयास करती रही है। कम्पनी के पास अपनी शक्तियों तथा कौशलों का लाभ उठाने का यही उपयुक्त समय है ताकि यह हेलीकॉप्टर परिचालन में एशिया में सबसे अग्रणी होने के साथ ही विमानन उत्पादों की मरम्मत व ओवरहॉल में विश्वस्तरीय बन सकें।

आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विशेषकर नागर विमानन मंत्रालय तथा नागर विमानन महानिदेशक से प्राप्त सतत सहयोग व सहायता के लिए उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता है।

निदेशक मंडल ओएनजीसी लिमिटेड एवं विभिन्न राज्य सरकारों तथा ग्राहकों, जिन्होंने कम्पनी के परिचालन में योगदान दिया है, को हार्दिक धन्यवाद देता है।

निदेशक मंडल कम्पनी की प्रगति के लिए प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों द्वारा किए गए उनके कर्तव्यनिष्ठ कार्यों की प्रशंसा करता है।

पवन हंस लिमिटेड के निदेशक मंडल
के लिए एवं उनकी ओर से

(डॉ. बी. पी. शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 19 मार्च, 2015
स्थान : नई दिल्ली

प्रबंधन का विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

हेलीकॉप्टर परिचालन का परिदृश्य

उद्योग संरचना एवं विकास

भारत में हेलीकॉप्टर का भविष्य उज्जवल है। हेलीकॉप्टरों का विभिन्न वातावरण में उड़ान भरने की क्षमता और साथ ही फिक्सड विंग विमानों हेतु अवसंरचना का केवल इन्क्रिमेंटल विस्तार हो सकने के कारण अभूतपूर्व गति से हेलीकॉप्टरों का विकास होना स्वाभाविक है। वर्तमान में, भारत में लगभग 267 सिविल हेलीकॉप्टरों का प्रचालन हो रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय आँकड़ों 35,750 की तुलना में बहुत कम है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सिविल हेलीकॉप्टरों की संख्या 300 से 267 होने के कारण हेलीकॉप्टर उद्योग में नकारात्मक वृद्धि हुई है।

यद्यपि, 1.25 अरब की आबादी वाले हमारे देश में लगभग 267 सिविल पंजीकृत हेलीकॉप्टर हैं। हमारे पास प्रति 47 लाख लोगों के लिए सिर्फ एक हेलीकॉप्टर है जो हमें विश्व के कई विकासशील देशो की तुलना में भी निचले पायदान पर रखता है।

देश की आर्थिक स्थिति विमानन, दोनों फिक्सड्विंग तथा रोटरी विंग विमान, में प्रगति को प्रोत्साहित करने का उत्प्रेरक रहा था। सरकार के द्वारा चलाई गई उपयुक्त नितियाँ भी इसकी प्रगति में सहायक रही थी। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, सिविल हेलीकॉप्टर बेड़े में उर्ध्वमुखी वृद्धि स्थिर रही है। यह स्थिरता अनेक कारकों से उत्पन्न परिचालन लागत में वृद्धि के कारण आई। जैसे यूएस डॉलर/यूरोप में गिरावट से रुपए कर गिरना हेलीकॉप्टरों एवं उनके पुर्जो का आयात किया जाता हैं। इसके अतिरिक्त, विमानपतन शुल्क, एटीएफ लागत तथा भूमि संचालन प्रभार में बढ़ोतरी के कारण प्रचालन लागत में वृद्धि हुई। जिन हेलीकॉप्टर परिचालकों को हेलीकॉप्टर का निपटान विदेश में करना पड़ता है, उनके लिए हेलीकॉप्टर परिचालन करने में उपर्युक्त कारक अलाभकारी सिद्ध हुए। हालांकि, अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन तथा रुपये की स्थिरता यह प्रदर्शित करती है कि परिचालन लागत किफायती होगी तथा भारत के सरकारी क्षेत्र में सिविल हेलीकॉप्टर की मांग होने के कारण निकट भविष्य में सिविल हेलीकॉप्टर बेड़ा वृद्धि मोड़ में वापस लौट आएगा।

भारत में हेलीकॉप्टर प्रचालनों की वृद्धि हेतु डीजीसीए तथा एएआई द्वारा हेलीकॉप्टरों के लिए अलग विंग बनाई जाएगी। हेलीकॉप्टरों के विनियामक प्रणाली को निरन्तर उन्नत किया जाएगा ताकि इस क्षेत्र में विकास हो सके।

विषय वस्तु	**कार्यनिति पहल**
हेलीकॉप्टर सेवा के माध्यम से हवाई सम्पर्कता	हेलीकॉप्टर प्रचालनों में शीघ्र वृद्धि
अवसंरचात्मक निर्माण	(I) देश में हेली पोर्टो और हेलीपैडों का निर्माण (II) हेलीकॉप्टरों के लिए विश्वस्तरीय एमआरओ का विकास (III) मानव संसाधन क्षमता विकास हेतु हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना।

2001-02 से 2013-14 के दौरान भारत में पंजीकृत सिविल हेलीकॉप्टरों की वृद्धि चार्ट निम्नानुसार है:-

भारत में पंजीकृत सिविल हेलीकॉप्टरों की वृद्धि (टरबाईन)

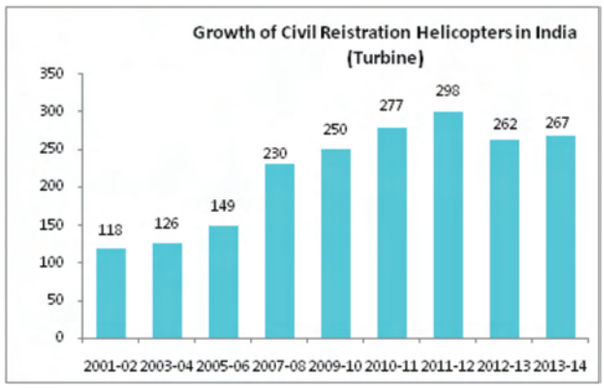

वर्ष 2013-14 में भारत में पंजीकृत कुल 267 सिविल हेलीकॉप्टरों में से 203 हेलीकॉप्टरों के बेड़े में 73 एनएसओपी प्रचालक थे, 30 हेलीकॉप्टरों के बेड़े सहित 16 सरकारी/प्रचालक और 34 हेलीकॉप्टरों के बेड़े सहित 24 निजी प्रचालक थे। कुल 267 हेलीकॉप्टरों में से 56 प्रतिशत यानी 140 हेलीकॉप्टर दो इंजन वाले तथा 44 प्रतिशत यानि 127 हेलीकॉप्टर एक इंजन वाले हैं। भारत में सिविल उपयोग के लिए कुल 267 हेलीकॉप्टरों में से 43 हेलीकॉप्टरों (15. 53%) को ई एंव पी कम्पनियों की परिवहन सहायता के लिए, 217 हेलीकॉप्टरों (76.53%) का हेलीचार्टर के लिए तथा 22 हेलीकॉप्टर (7.94%) को हेली तीर्थाटन हेलीपर्यटन के लिए उपयोग किया जाता है।

(स्त्रोत : हेलीपावर इण्डिया के लिए आर. डब्ल्यू. एस. आई, सितम्बर, 2014 की रिपोर्ट)

वर्तमान में, पवन हंस के पास 46 हेलीकॉप्टर है तथा यह अन्य एजेंसियों के स्वामित्व वाले 6 हेलीकॉप्टरों का प्रचालन एवं अनुरक्षण करता है। भारत में ऐसे छः प्रचालक है जिनके पास पाँच या उससे अधिक हेलीकॉप्टर हैं। पवन हंस सबसे बड़ी हेलीकॉप्टरों के प्रचालन में बाजार का प्रमुख शेयरधारक है। ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प लिमिटेड 26 हेलीकॉप्टरों के साथ दूसरी सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर प्रचालक कम्पनी है। अन्य वाणिज्यिक प्रचालक के साथ हिमालयन हेली सर्विसेज-7 हेलीकॉप्टरों, हेलीगो चार्टर-6 हेलीकॉप्टरों तथा मेसको एयरलाइन्स एवं ओएसएस के पास 5-5 हेलीकॉप्टर हैं।

भविष्य में कंपनी दृष्टिकोण संभावित (अवसर) तथा कंपनी द्वारा उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण जोखिम प्रबंधन का मूल्यांकन।

अग्रणी बने रहने के लिए पवन हंस ने अगले पाँच वर्षों में निम्नलिखित पहल करने पर विचार किया है।

- **हेलीकॉप्टर प्रचालन**
  - * वर्तमान बाजारों में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति सुदृढ़ करना
  - * नए बेड़ा का अर्जन
  - * नए क्षेत्रों में कारोबार
  - * अन्य स्वामित्व वाले हेलीकॉप्टर का प्रचालन एवं अनुरक्षण की संविदाएं
- एमआरओ सुविधाओं की स्थापना
- हेलीपोर्ट्स की स्थापना
- सी-प्लेन्स का प्रचालन
- फिक्सड् विंग का प्रचालन
- ग्राहक संतुष्टि में सुधार

वर्तमान बाजारों में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति का सुदृढ़ीकरण

- बाजार लाभ के लिए मौजूदा अनुबंधों का नवीकरण।
- संरक्षा तथा विश्वसनीयता के उच्च मानकों को कायम रखना।
- नए मध्यम श्रेणी के हेलीकॉप्टरों का अर्जन करते हुए अपतटीय प्रचालनों में कोर सक्षमता को बढ़ाना।
- अवसर उत्पन्न होने पर चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन करना।
- ग्राहकों की आवश्यकताओं पर केन्द्रित करते हुए अपनी प्रतिस्पर्धी स्थिति का सुदृढ़ीकरण।

– ग्राहकों एवं अन्य कारोबारी सहयोगियों के साथ संबंधों को सुदृढ़ बनाना।

नए बेड़े का अर्जन

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान योजना आयोग के द्वारा अनुमोदित पवन हंस से संबंधित प्रक्षेपण निम्नलिखित हैं। जैसे-अदद 10 हेलीकॉप्टर एवं 02 सी प्लेन्स, उपकरणों का आयात, अनुरक्षण केन्द्र का सृजन/जेवी, भवन निर्माण परियोजनाएं तथा अन्य उपर्युक्त प्रक्षेपणों के लिए आईईबीआर के द्वारा कुल 725 करोड़ रुपये की राशि द्वारा।

इसके अतिरिक्त, ओएनजीसी ने हाल ही में हुए कर्मीदल परिवर्तन के लिए 7 वर्ष की विंटेज शर्त रखी है। ओ.एन.जी.सी के साथ मौजूदा संविदा विंटेज खण्ड को अनुबंध करता है जबकि इसके साथ इसके अपने कार्यों के लिए तैनात किए गए हेलीकॉप्टर का विंटेज 7 वर्ष का होना चाहिए था। वर्तमान में, अदद 3 डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टरों के लिए एवं अदद 7 डॉफिन एन 3 के उत्पादन कार्य हेतु संविदा के लिए कर्मी दल परिवर्तन की समाप्ति क्रमशः अगस्त 2015 तथा मार्च 2017 में होनी है। ओ.एन.जी.सी. के पास अगले पाँच वर्ष की अवधि तक अतिरिक्त 25 अपतटीय प्लेटफार्म होने की संभावना है और तद्नुसार ओ.एन.जी.सी की अतिरिक्त माँगो को पूरा करने के लिए पवन हंस को और अधिक मध्यम/मध्यवर्ती श्रेणी के हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता है।

इसके अलावा, ब्रिटिश गैस, जी.एस.पी.सी, केर्न एनर्जी, पेट्रो गैस इत्यादि अपतटीय कम्पनियां भी है जिन्हें हेलीकॉप्टर की आवश्यकता हो सकती है इसलिए पवन हंस को अपने संशोधित प्रक्षेपणों के अंश के रूप में इन आवश्यकताओं पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

मौजूदा अदद 18 डॉफिन एन हेलीकॉप्टरों की बेड़े को वित्तीय वर्ष 1986-87 एवं 1987-88 के दौरान अधिगृहीत किया गया था। इन हेलीकॉप्टरों का उपयोगी जीवन काल 30 वर्षों का था। इन हेलीकॉप्टरों का उपयोगी जीवन काल वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 में पूरी होने की संभावना है। तद्नुसार, वित वर्ष 2016-17 के अंत तक पुराने बेड़े के अदद 9 हेलीकॉप्टरों को और वित्त वर्ष 2022 के अंत तक शेष अदद हेलीकॉप्टरों को मामूली सुधार के साथ यदि अपेक्षित हो, निपटान करने की योजना है।

उपर्युक्त बाजार परिदृश्य को देखते हुए, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हेलीकॉप्टरों का अर्जन। निपटान की समीक्षा और संशोधन किया गया है। तद्नुसार ₹ 559.35 करोड़ की प्राक्कलित राशि पर पूर्व में प्रक्षेपित अदद 10 हेलीकॉप्टरों के बदले अब 1189.50 करोड़ रुपए की प्राक्कलित राशि पर 22 हेलीकॉप्टरों का अर्जन प्रक्षेपित है जिसमें अदद 2 लाइट ट्विन इंजिन हेलीकॉप्टर, अदद 17 मध्यम हेलीकॉप्टर तथा अदद 01 एम.आई-172 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इस संशोधित योजना को नागर विमानन मंत्रालय के पास अनुमोदन हेतु भेजा गया है।

नए क्षेत्रों में कारोबार का फैलाव

– चिकित्सा निकासी, कानून प्रवर्तन, खबर जुटाना, मुख्य शहरों में विमान पत्तन को नगर-केन्द्रों से जोड़ने के लिए अन्तरानगरीय परिवहन, निगमित यात्रा, विद्युत रोधी इत्यादि के लिए हॉट लाइन वाशिंग।

– हमारे देश में पर्यटन/तीर्थाटन क्षेत्रों में जबरदस्त संभावना है। जिसका ध्यानपूर्वक लाभ उठाया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए जिन नए क्षेत्रों में खोज-बीन की जा सकती है-उन राज्यों के नाम हिमाचल, उत्तराखण्ड, गुजरात, दक्षिणी भारत, गोवा तथा उत्तरी-पूर्वी राज्य हैं।

आपदा प्रबंधन-समर्पित आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं/एस ए आर परिचालन

पवन हंस द्वारा ओ.एन.जी.सी. को देश का प्रथम मेडिवैक हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया गया था।

– एन.डी.एम.ए. के सहयोग से पवन हंस मेडिवैक/एस.ए.आर. सैक्टर में उद्यम की सम्भावना की खोज करेगी।

– आपात मेडिकल सेवाएं/एस.ए.आर की भूमिका तथा बेहतर अभिशासन और जिला स्तर पर हेलीपैडों/हेलीपोर्टों के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार जी.बी.एस. के माध्यम से वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता है।

हेलीकॉप्टर अनुरक्षण सेवाएँ

पवन हंस डॉफिन शृंखला हेलीकॉप्टरों के लिए मेसर्स यूरोकॉप्टर, फ्रांस का एक प्राधिकृत अनुरक्षण केन्द्र हैं। पवन हंस ने प्रारम्भिक तौर पर डॉफिन बेड़ा रखने वाले अन्य प्रचालकों को अपनी सेवाएं देकर मरम्मत एवं ओवरहॉल कारोबार को और भी बढ़ाने की योजना बनाई है।

हेलीपोर्ट

नागर विमानन मंत्रालय ने पवन हंस को रोहिणी, नई दिल्ली में हेलीपोर्ट निर्माण का कार्य सौंपा है। जो देश का प्रथम एकीकृत हेलीपोर्ट होगा, जिसमें हेलीकॉप्टरों का प्रचालन, पार्किंग, अनुरक्षण सुविधाएँ, छोटे वाणिज्यिक केन्द्र आदि की व्यवस्था होगी। इसका निर्माण कार्य अक्टूबर 2014 में ही शुरू हो चुका है।

ग्राहक संतुष्टि में सुधार

पवन हंस समय-समय पर यात्रियों तथा ग्राहक संगठनों से प्रतिपुष्टि संग्रह करता आया है तथा एक बाहरी एजेंसी को प्रपत्र पुनर्विकास करने तथा संग्रह करने हेतु लगाया गया है।

सामर्थ्यता तथा असमर्थता

संस्थानिक ग्राहकों (जैसे-ओ.एन.जी.सी, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम) को दीर्घावधि आधार पर हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराना, अत्याधुनिक अनुरक्षण सुविधाएँ, बेड़े में भिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टरों के होने से ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रतिस्पर्धा सुविधा, बृहत आकार की निपुण श्रमशक्ति (अनुभवी पायलटों, इंजीनियरों तथा तकनीशियनों) और सरकारी सहायता भी पवन हंस के कुछ सामर्थ्य है। तथापि, विशिष्ट प्रतिस्पर्धा वातावरण के फलस्वरूप हेलीकॉप्टर सेवा के कम चार्टर दरें तथा बढ़ती निवेश लागत के मद्देनजर अनुवर्ती अवधि में लाभ में कमी होने की संभावना है।

जोखिम एवं चिन्ता

सार्वजनिक उपक्रम जैसे-ओ.एन.जी.सी तथा जी.एस.पी.सी. ने 5 से 10 वर्ष पुरानी अवस्था की हेलीकॉप्टरों के लिए टेंडरों को जारी किया है। पूर्वोतर के राज्य जैसे-अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 5 वर्ष पुराने हेवी हेलीकॉप्टरों के लिए टेंडर जारी किया है। अत: यदि इस प्रवणता का कुछ अन्य ग्राहकों द्वारा अनुसरण किया जाए तो पुराने हेलीकॉप्टर बेड़े के लिए नया कारोबार खोजना हो सकता हैं। विशेषकर कुछ राज्य सरकारों से वसूली अवधि लम्बी होने के फलस्वरूप बृहत राशि का बकाया देय हैं। यह नए हेलीकॉप्टरों के बेड़े का अर्जन करने हेतु लिए गए टर्म-लोन को ध्यान में रखते हुए कंपनी के नकदी प्रवाह को प्रभावित कर सकता है। यद्यपि, ग्राहकों के साथ प्राय: सभी अनुबंधों में विदेशी मुद्रा तथा ऐविएशन टर्बाइन फयूल दरों में घट-बढ़ के संबंध में हानि से बचने का प्रबंध का प्रावधान है। यद्यपि, ग्राहकों के साथ अधिकांशत: अनुबंधों में विदेशी मुद्रा तथा ऐविएशन टरबाइन फ्यूल की दरों में मुद्रास्फीति से संबंधित हानि से बचने के प्रबंध का प्रावधान बनाया हुआ है। ऐसी मुद्रास्फीति उन अनुबंधों को प्रभावित करती है जिनमें हेलीकॉप्टर सेवा की चार्टर दरें निर्धारित एवं स्थिर होती हैं। इसके परिणामस्वरूप निवेश लागत में वृद्धि एवं लाभ में कमी होती है। हवाई एवं जमीनी संरक्षा ही विमानन कारोबार को विशेषता प्रदान करती है। हेलीकॉप्टर संबंधी दुर्घटनाएं ग्राहक के विश्वास एवं कम्पनी के कारोबार दोनों को प्रभावित करती है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और इनकी पर्याप्तता

क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में बेहतरीन प्रक्रियाओं को संस्थात्मक बनाने के लिए समय-समय पर मानक पद्धतियाँ और मार्गदर्शी सिद्धान्तों को जारी किया जाता है। पवन हंस में आंतरिक नियंत्रण हेतु एक पर्याप्त प्रणाली है, ताकि क्रियाकलापों का अनुवीक्षण तथा परिसम्पत्तियों को किसी भी प्रकार की अप्राधिकृत उपयोग के विरूद्ध नियंत्रण किया जा सके तथा जो संव्यवहार प्राधिकृत्य है उसको रिकॉर्ड और रिपोर्ट किया जा सके। कंपनी सभी आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुवर्तन सुनिश्चित करती है और साथ ही उपयुक्त सुधारात्मक उपाय, यदि कोई है, सहित विनियामक मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन करती है। निदेशक मंडल के ऑडिट समिति आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता का निरीक्षण करता है। समय-समय पर विनियामक प्राधिकारियों द्वारा प्रचालन तथा संरक्षा पहलुओं का ऑडिट किया जाता है।

वित एवं प्रचालनों का विश्लेषण

प्रत्येक तिमाही में अनुपात विश्लेषण सहित वास्तविक एवं वित्तीय कार्यनिष्पादनों को अंतिम रूप दिया जाता है और निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी की वेबसाइट पर वार्षिक रिपोर्ट के साथ कार्यालयीन समाचार को नियमित रूप से एवं तुरंत ही प्रकाशित किया जाता हैं।

कंपनी के अंशकालिक निदेशकों के धन संबंधी लेन-देन

वर्षभर के दौरान कंपनी का अंशकालिक निदेशकों से किसी भी प्रकार का लेन-देन नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, किसी भी अंशकालिक निदेशकों को कोई पारिश्रमिक या बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है।

मानव संसाधन, औद्योगिक संबन्ध तथा प्रतिभा प्रबंधन से संबंधित मुद्दे

31 मार्च, 2013 में कर्मचारी बल की संख्या 924 की तुलना में 31 मार्च, 2014 में 899 हो गई। पूरे वर्ष के दौरान औद्योगिक संबन्ध काफी सौहार्दपूर्ण रहा। कम्पनी अपने पायलटों एवं अन्य स्टॉफ को प्रशिक्षण के लिए भेजती रही है और इसके साथ ही नियमित रूप से अपने कर्मचारियों का आन्तरिक प्रशिक्षण विकास भी करती रही है। कर्मचारियों के साथ औद्योगिक संबन्ध सामान्यत: सौहार्द पूर्ण रहे है।

पर्यावरण संरक्षण, अक्षय ऊर्जा का उपयोग तथा आर एवं डी से संबंधित मुद्दे

कंपनी ने हमेशा ऊर्जा की बचत और प्रौद्योगिकी समावेशन को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना तथा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इसे उच्च प्राथमिकता दी गई। कंपनी को आई.एस.ओ-14001 तथा 18001 प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है, जिसे एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के रूप में जाना जाता है एवं इसमें पर्यावरण और संरक्षा पहलू शामिल है। इसके नवीकरण की प्रक्रिया जारी है। कंपनी को हाल ही में रोहिणी में हेलीपोर्ट निर्माण करने हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। कंपनी ने नवप्रवर्तन के रूप में पुर्जों का स्वदेशीकरण तथा एच.एम.यु (डॉफिन एन-3 हेलीकॉप्टर) की विश्वसनीयता का अध्ययन किया है।

वित्तीय अंश
(2013-14 के लिए)

आय के श्रोत

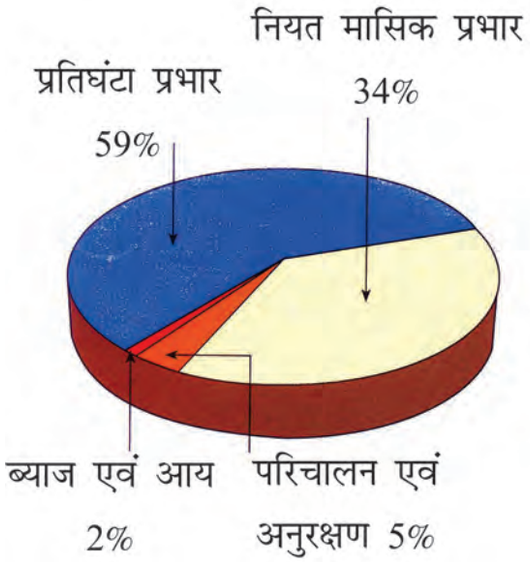

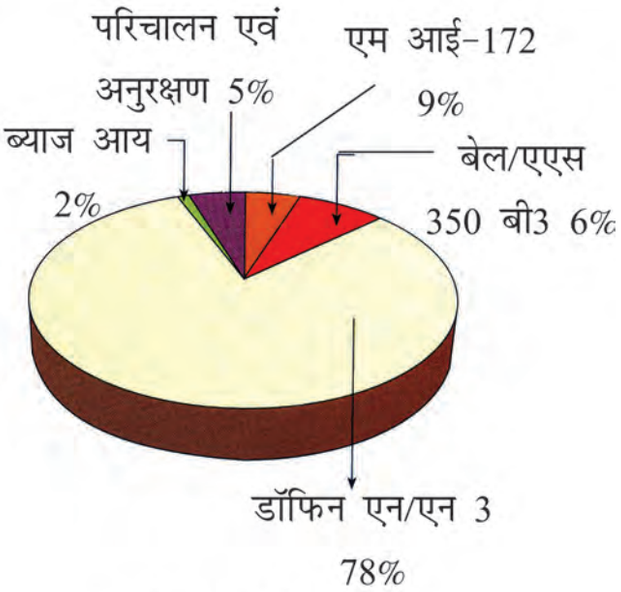

लागत संरचना

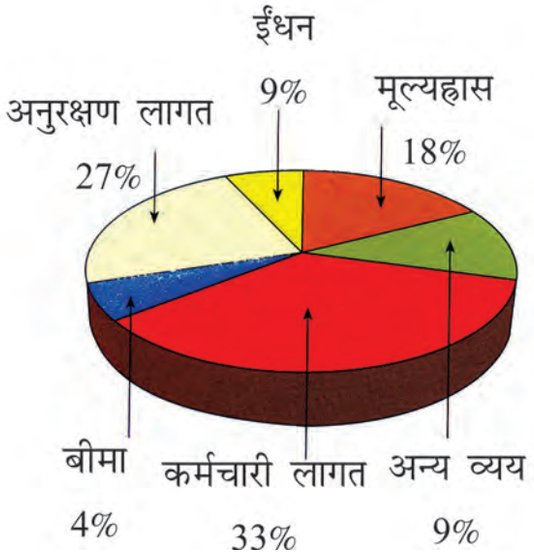

जनशक्ति विवरण

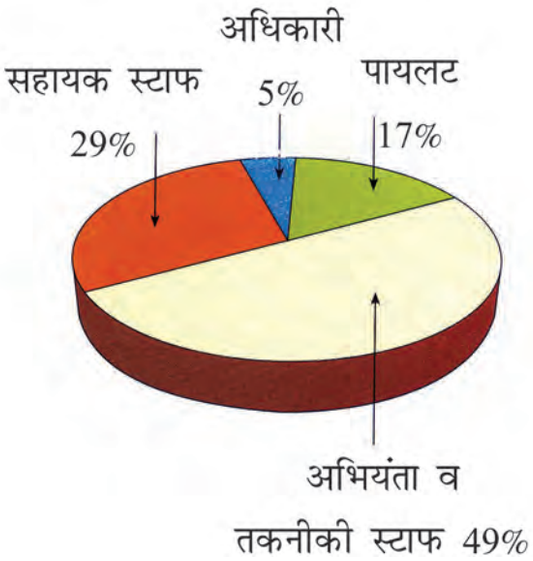

परिचालन से राजस्व और परिचालन लाभ एवं कर पश्चात लाभ

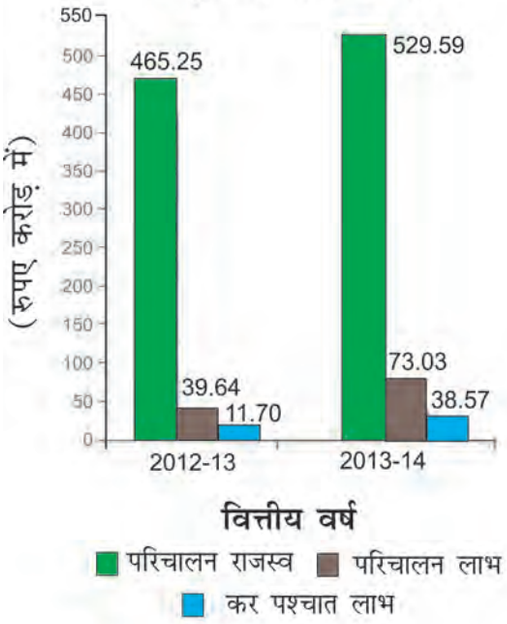

उड़ान घंटे

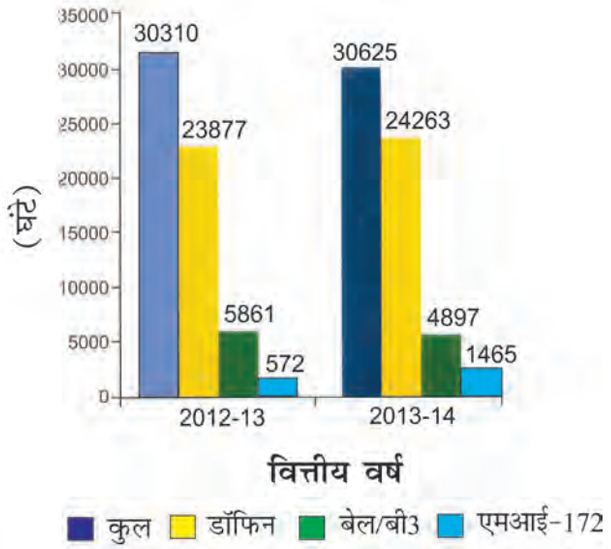

राजस्व

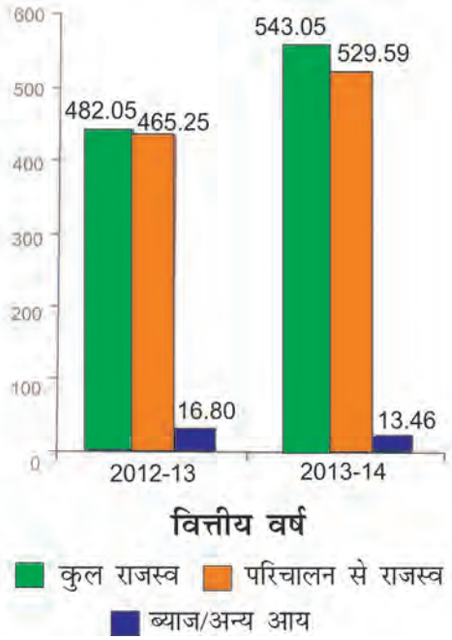

स्थाई परिसम्पतियां

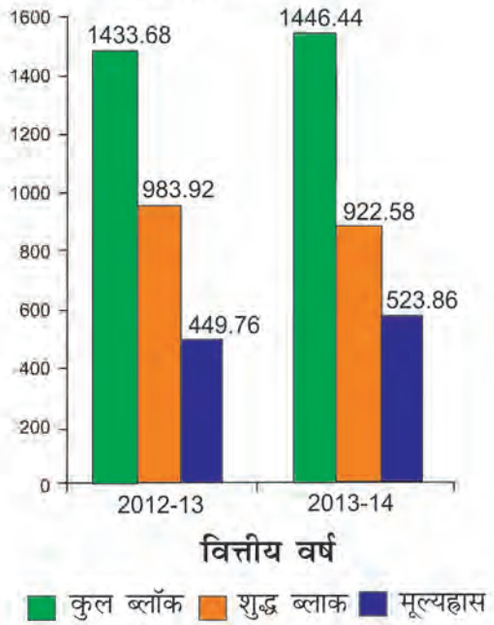

29. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

(1) अचल परिसम्पत्तियां/मूल्यह्रास

(क) मूल्यह्रास का प्रावधान अचल परिसम्पत्तियों के तुलन-पत्र में मूल्यह्रास के बिना वास्तविक लागत पर दर्शाया गया है।

(ख) हेलीकॉप्टर बेड़े का मिड-लाइफ अपग्रेडेशन कार्यक्रम (टाइप प्रमाणिकता लागत सहित) की मुख्य रिट्रोफिट को पूंजीकृत किया गया है।

(ग) मूल्यह्रास का प्रावधान कम्पनी (संशोधन), अधिनियम, 1956 की अनुसूची-XIV के अंतर्गत विहित दरों पर सरल रेखा पद्धति के आधार पर किया गया है। जब तक कि उपयोगी आस्तियों का मूल्यह्रास, इस प्रकार का मूल्य ह्रास आस्तियों के मूल्य का 95% तक बढ़ाया गया। पुराने हेलीकॉप्टरों तथा विमान इंजनों को खरीदने के मामले में मूल्यह्रास को एक दर से उपलब्ध कराया जाता है इस मूल्यह्रास को आस्तियों के मूल्य के 95% की सीमा तक उपलब्ध कराया जाता है। एम.आई. 172 हेलीकॉप्टरों के संबंध में, इनकी जीवन सीमा पर विचार करके, जो कि 7000 घंटे अथवा 15 वर्ष तक, के स्थान पर 12,000 घंटे अथवा 25 वर्ष, जो भी पहले हो प्रत्येक वर्ष 480 घंटे की उड़ान के लिए मूल्यह्रास को 5.60% वार्षिक न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराया जाता है। अतिरिक्त घंटों की उड़ान के लिए मूल्यह्रास को 480 घंटे से अधिक की गई वास्तविक उड़ान घंटे को प्रतिघंटा दर से गुणा करके, प्रत्येक हेलीकॉप्टर के लिए मूल लागत के 95% को 12,000 घंटे से भाग करके गणना की जाती है।

(घ) एयरफ्रेम तथा एयरोइंजन उपस्कर-रोटेबल्स तथा हेलीकॉप्टर के मिड लाइफ अपग्रेडेशन कार्यक्रम (टाइप प्रमाणिकता लागत सहित) की लागत/मुख्य रिट्रोफिट पर मूल्यह्रास की गणना सरल रेखा आधार पर इस तरह से की जाती है, जिससे कि प्रमुख परिसम्पत्ति (हेलीकॉप्टरों के प्रकार) के शेष उपयोगी जीवन में उसकी 95% राशि को बट्टे खाते डाला जा सके, बशर्ते इसे संविधि दरों पर न्यूनतम प्रभार से लगाया गया हो। एम आई 172 हेलीकॉप्टरों के संबंध में एयरफ्रेम तथा एयरो इंजन रोटेबल्स को बेड़े की वार्षिक औसतन अनुरक्षण उड़ान घंटे तथा वित्त वर्ष के आरम्भ में न्यूनतम परिचालित हेलीकॉप्टरों के शेष उपयोगी जीवनावधि की उड़ान घन्टे के आधार पर मूल्यह्रास की गणना की गई है। इस उद्देश्यार्थ, हेलीकॉप्टरों के अंतिम बैच (डॉफिन एन डेलीकॉप्टर, जिनकी हेलीकॉप्टर बेड़े में महत्वपूर्ण संख्या है) अथवा हेलीकॉप्टर (अन्य हेलीकॉप्टरों, के लिए) के शेष उपयोगी जीवन को माना जाएगा। वित्त वर्ष 2006-07 से तकनीकी प्राक्कलनों तथा कम्पनी की परिव्यय नीति के अनुसार हेलीकॉप्टरों का उपयोगी जीवन काल 30 वर्ष अथवा 25000 घंटे, जो भी बाद में होगा (एम आई 172 हेलीकॉप्टर के अतिरिक्त, जिनकी सीमा उपर्युक्त बताए गए अनुसार सीमित है) माना गया है। अब से पहले हेलीकॉप्टरों का उपयोगी जीवन काल 20 वर्ष अथवा 16000 घन्टे, जो भी बाद में होगा माना जाता था। इन शीर्षों के अधीन स्क्रैप की गई मदों को एफआईएफओ आधार पर रीटेन ऑफ किया गया है। वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर बेड़े के रोटेबल्स "इन्वेन्ट्री" के रूप में बने रहेंगे, क्योंकि इनका पूरा बही मूल्य प्रदान किया गया है।

(ङ) पट्टाधारी भूमि की लागत, पट्टे की अवधि के बीतने पर अमॉरटाइज की गई। इसी तरह संयुक्त विकास करार के अधीन ए.ए.आई के साथ निर्माण किए गए आवासीय फ्लैटों को करार

29. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

(1) अचल परिसम्पत्तियां/मूल्यह्रास

(क) मूल्यह्रास का प्रावधान अचल परिसम्पत्तियों के तुलन-पत्र में मूल्यह्रास के बिना वास्तविक लागत पर दर्शाया गया है।

(ख) हेलीकॉप्टर बेड़े का मिड-लाइफ अपग्रेडेशन कार्यक्रम (टाइप प्रमाणिकता लागत सहित) की मुख्य रिट्रोफिट को पूंजीकृत किया गया है।

(ग) मूल्यह्रास का प्रावधान कम्पनी (संशोधन), अधिनियम, 1956 की अनुसूची-XIV के अंतर्गत विहित दरों पर सरल रेखा पद्धति के आधार पर किया गया है। जब तक कि उपयोगी आस्तियों का मूल्यह्रास, इस प्रकार का मूल्य ह्रास आस्तियों के मूल्य का 95% तक बढ़ाया गया। पुराने हेलीकॉप्टरों तथा विमान इंजनों को खरीदने के मामले में मूल्यह्रास को एक दर से उपलब्ध कराया जाता है इस मूल्यह्रास को आस्तियों के मूल्य के 95% की सीमा तक उपलब्ध कराया जाता है। एम.आई. 172 हेलीकॉप्टरों के संबंध में, इनकी जीवन सीमा पर विचार करके, जो कि 7000 घंटे अथवा 15 वर्ष तक, के स्थान पर 12,000 घंटे अथवा 25 वर्ष, जो भी पहले हो प्रत्येक वर्ष 480 घंटे की उड़ान के लिए मूल्यह्रास को 5.60% वार्षिक न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराया जाता है। अतिरिक्त घंटों की उड़ान के लिए मूल्यह्रास को 480 घंटे से अधिक की गई वास्तविक उड़ान घंटे को प्रतिघंटा दर से गुणा करके, प्रत्येक हेलीकॉप्टर के लिए मूल लागत के 95% को 12,000 घंटे से भाग करके गणना की जाती है।

(घ) एयरफ्रेम तथा एयरोइंजन उपस्कर-रोटेबल्स तथा हेलीकॉप्टर के मिड लाइफ अपग्रेडेशन कार्यक्रम (टाइप प्रमाणिकता लागत सहित) की लागत/मुख्य रिट्रोफिट पर मूल्यह्रास की गणना सरल रेखा आधार पर इस तरह से की जाती है, जिससे कि प्रमुख परिसम्पत्ति (हेलीकॉप्टरों के प्रकार) के शेष उपयोगी जीवन में उसकी 95% राशि को बट्टे खाते डाला जा सके, बशर्ते इसे संविधि दरों पर न्यूनतम प्रभार से लगाया गया हो। एम आई 172 हेलीकॉप्टरों के संबंध में एयरफ्रेम तथा एयरो इंजन रोटेबल्स को बेड़े की वार्षिक औसतन अनुरक्षण उड़ान घंटे तथा वित्त वर्ष के आरम्भ में न्यूनतम परिचालित हेलीकॉप्टरों के शेष उपयोगी जीवनावधि की उड़ान घन्टे के आधार पर मूल्यह्रास की गणना की गई है। इस उद्देश्यार्थ, हेलीकॉप्टरों के अंतिम बैच (डॉफिन एन डेलीकॉप्टर, जिनकी हेलीकॉप्टर बेड़े में महत्वपूर्ण संख्या है) अथवा हेलीकॉप्टर (अन्य हेलीकॉप्टरों, के लिए) के शेष उपयोगी जीवन को माना जाएगा। वित्त वर्ष 2006-07 से तकनीकी प्राक्कलनों तथा कम्पनी की परिव्यय नीति के अनुसार हेलीकॉप्टरों का उपयोगी जीवन काल 30 वर्ष अथवा 25000 घंटे, जो भी बाद में होगा (एम आई 172 हेलीकॉप्टर के अतिरिक्त, जिनकी सीमा उपर्युक्त बताए गए अनुसार सीमित है) माना गया है। अब से पहले हेलीकॉप्टरों का उपयोगी जीवन काल 20 वर्ष अथवा 16000 घन्टे, जो भी बाद में होगा माना जाता था। इन शीर्षों के अधीन स्क्रैप की गई मदों को एफआईएफओ आधार पर रीटेन ऑफ किया गया है। वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर बेड़े के रोटेबल्स "इन्वेन्ट्री" के रूप में बने रहेंगे, क्योंकि इनका पूरा बही मूल्य प्रदान किया गया है।

(ङ) पट्टाधारी भूमि की लागत, पट्टे की अवधि के बीतने पर अमॉरटाइज की गई। इसी तरह संयुक्त विकास करार के अधीन ए.ए.आई के साथ निर्माण किए गए आवासीय फ्लैटों को करार की शर्तों के अनुसार सम्पत्ति पर कब्जा लेने के अधिकार की अवधि में अमॉरटाइज किया गया है।

(च) अचल परिसम्पत्तियों के अर्जन के लिए विदेशी मुद्रा में देयताओं से संबंधित परिवर्तन अंतरों को परिसम्पत्ति की मूल लागत में समायोजित किया

गया है और परिवर्तन की तारीख तक संचयी मूल्यह्रास को पुनः संगठित किया गया है। इस नीति का अनुसरण 31.3.2007 तक किया गया।

(छ) सक्रिय उपयोग से हटाई गई और निपटान के लिए धारित सामग्री मूल्य की परिसम्पत्तियों को निवल बही मूल्य और निवल वसूली योग्य मूल्य (जहां लागू हो) से कम पर दर्शाया गया है और लेखों में अलग से दिखाया गया है। ऐसी परिसम्पत्तियों (वित्त वर्ष 1995-96 से प्रभावी वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों तथा संबंधित मदों सहित) का मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया गया है।

(ज) हेलीकॉप्टरों/स्पेयर्स एयरो इंजन की वृद्धियों या विलोपों के संबंध में मूल्यह्रास की गणना समानुपातिक आधार पर की जाती है जो अर्जन/बिक्री के दिनांक से प्रभावी है। समस्त अन्य अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास समानुपातिक आधार पर लगाया जाता हैं। ऐसी अर्जित परिसम्पत्तियों के उपयोग की प्रभावी तारीख, मद की खरीद के माह के आगामी माह के प्रथम दिन से मानी गई है। इसी प्रकार विलोपों के संबंध में परिसम्पत्ति के विलोप पूर्व माह के अंतिम दिन को समानुपातिक मूल्यह्रास के लिए माना गया है। परिसम्पत्तियों के समापन या निपटान से हुए लाभों और हानियों के लाभ एवं हानि लेखों में क्रेडिट/प्रभारित किया गया है।

(झ) ₹ 5000 या उससे कम यूनिट मूल्य की परिसम्पत्तियों को 100% रुप में खरीद के वर्ष में मूल्यह्रासित किया गया।

(ञ) **असमर्थताः**

किसी असमर्थता का संकेत न हो इसके लिए प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को आस्तियों के अग्रेनित राशि की समीक्षा की जाती है। यदि कोई संकेत विद्यमान हो, आस्तियों के वसूली योग्य राशि का प्राक्कलन किया जाता है। जहाँ कहीं आस्तियों की अग्रेनित राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है वहाँ असमर्थता हानि की पहचान की जाती है।

(2) निवेश

निवेश को लागत में से प्राप्त अंतरिम भुगतान, यदि कोई है, घटाकर कहा गया है तथा उन निवेशों के संबंध में जिनका पुनर्भाजन मूल्य अर्जन लागत से भिन्न है, ऐसे मामलों में अर्जन लागत तथा निवेशों के पुनर्भाजन दिनांक तक ऑन टाइम आधार पर लेखांकित किया गया है। वर्ष की इस रकम को लाभ व हानि खाते में ब्याज आय के रूप में समायोजित किया गया है और तदनुसार ऐसे निवेशों की लागत का समायोजन किया गया है।

(3) विदेशी मुद्राओं का लेन-देन

(क) कम्पनी के प्रधान बैंकर द्वारा उपलब्ध कराई गई अचल परिसम्पत्ति, माल तथा सेवाओं को खरीदने से संबंधित विदेशी मुद्रा में लेन-देन की तिथि में प्रचलित दर के अनुसार लेखांकित किया गया है। उसी तरह कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई। सेवाओं के लिए विदेशी मुद्रा में लेन देन को लेन-देन की तिथि में प्रचलित दर के अनुसार लेखांकित किया गया है जिसे इस मामले में संबंधित माह की अंतिम तिथि माना गया है।

(ख) वर्षान्त में वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं को वर्ष के अंत में लागू मुद्रा विनिमय दर पर बदला जाता है जबकि गैर वित्तीय मदों पर इसे ऐतिहासिक दरों पर लिया जाता है।

(ग) वित्तीय परिसम्पायिों अथवा देयताओं के पुनर्लेखन अथवा विदेशी मुद्रा लेन-देन के कारण होने वाले मुद्रा विनिमय उतार-चढ़ाव के कारण हुई हानि अथवा लाभ को उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में अन्तरित किया जाता है।

(4) मालसूची

(क) स्पेयर्स और खपत योग्य सामान इत्यादि सहित हेलीकॉप्टर की सूची को चल भारित औसत विधि का प्रयोग करके लागत पर दर्शाया गया है। शॉप फ्लोर पर पड़े ऐसे स्पेयर्स एवं स्टॉक को वर्ष के अंत में अन्तिम इन्वेन्ट्री माना जाता है।

29. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

(1) अचल परिसम्पत्तियां/मूल्यह्रास

(क) मूल्यह्रास का प्रावधान अचल परिसम्पत्तियों के तुलन-पत्र में मूल्यह्रास के बिना वास्तविक लागत पर दर्शाया गया है।

(ख) हेलीकॉप्टर बेड़े का मिड-लाइफ अपग्रेडेशन कार्यक्रम (टाइप प्रमाणिकता लागत सहित) की मुख्य रिट्रोफिट को पूंजीकृत किया गया है।

(ग) मूल्यह्रास का प्रावधान कम्पनी (संशोधन), अधिनियम, 1956 की अनुसूची-XIV के अंतर्गत विहित दरों पर सरल रेखा पद्धति के आधार पर किया गया है। जब तक कि उपयोगी आस्तियों का मूल्यह्रास, इस प्रकार का मूल्य ह्रास आस्तियों के मूल्य का 95% तक बढ़ाया गया। पुराने हेलीकॉप्टरों तथा विमान इंजनों को खरीदने के मामले में मूल्यह्रास को एक दर से उपलब्ध कराया जाता है इस मूल्यह्रास को आस्तियों के मूल्य के 95% की सीमा तक उपलब्ध कराया जाता है। एम.आई. 172 हेलीकॉप्टरों के संबंध में, इनकी जीवन सीमा पर विचार करके, जो कि 7000 घंटे अथवा 15 वर्ष तक, के स्थान पर 12,000 घंटे अथवा 25 वर्ष, जो भी पहले हो प्रत्येक वर्ष 480 घंटे की उड़ान के लिए मूल्यह्रास को 5.60% वार्षिक न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराया जाता है। अतिरिक्त घंटों की उड़ान के लिए मूल्यह्रास को 480 घंटे से अधिक की गई वास्तविक उड़ान घंटे को प्रतिघंटा दर से गुणा करके, प्रत्येक हेलीकॉप्टर के लिए मूल लागत के 95% को 12,000 घंटे से भाग करके गणना की जाती है।

(घ) एयरफ्रेम तथा एयरोइंजन उपस्कर-रोटेबल्स तथा हेलीकॉप्टर के मिड लाइफ अपग्रेडेशन कार्यक्रम (टाइप प्रमाणिकता लागत सहित) की लागत/मुख्य रिट्रोफिट पर मूल्यह्रास की गणना सरल रेखा आधार पर इस तरह से की जाती है, जिससे कि प्रमुख परिसम्पत्ति (हेलीकॉप्टरों के प्रकार) के शेष उपयोगी जीवन में उसकी 95% राशि को बट्टे खाते डाला जा सके, बशर्ते इसे संविधि दरों पर न्यूनतम प्रभार से लगाया गया हो। एम आई 172 हेलीकॉप्टरों के संबंध में एयरफ्रेम तथा एयरो इंजन रोटेबल्स को बेड़े की वार्षिक औसतन अनुरक्षण उड़ान घंटे तथा वित्त वर्ष के आरम्भ में न्यूनतम परिचालित हेलीकॉप्टरों के शेष उपयोगी जीवनावधि की उड़ान घन्टे के आधार पर मूल्यह्रास की गणना की गई है। इस उद्देश्यार्थ, हेलीकॉप्टरों के अंतिम बैच (डॉफिन एन डेलीकॉप्टर, जिनकी हेलीकॉप्टर बेड़े में महत्वपूर्ण संख्या है) अथवा हेलीकॉप्टर (अन्य हेलीकॉप्टरों, के लिए) के शेष उपयोगी जीवन को माना जाएगा। वित्त वर्ष 2006-07 से तकनीकी प्राक्कलनों तथा कम्पनी की परिव्यय नीति के अनुसार हेलीकॉप्टरों का उपयोगी जीवन काल 30 वर्ष अथवा 25000 घंटे, जो भी बाद में होगा (एम आई 172 हेलीकॉप्टर के अतिरिक्त, जिनकी सीमा उपर्युक्त बताए गए अनुसार सीमित है) माना गया है। अब से पहले हेलीकॉप्टरों का उपयोगी जीवन काल 20 वर्ष अथवा 16000 घन्टे, जो भी बाद में होगा माना जाता था। इन शीर्षों के अधीन स्क्रैप की गई मदों को एफआईएफओ आधार पर रीटेन ऑफ किया गया है। वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर बेड़े के रोटेबल्स "इन्वेन्ट्री" के रूप में बने रहेंगे, क्योंकि इनका पूरा बही मूल्य प्रदान किया गया है।

(ङ) पट्टाधारी भूमि की लागत, पट्टे की अवधि के बीतने पर अमॉरटाइज की गई। इसी तरह संयुक्त विकास करार के अधीन ए.ए.आई के साथ निर्माण किए गए आवासीय फ्लैटों को करार की शर्तों के अनुसार सम्पत्ति पर कब्जा लेने के अधिकार की अवधि में अमॉरटाइज किया गया है।

(च) अचल परिसम्पत्तियों के अर्जन के लिए विदेशी मुद्रा में देयताओं से संबंधित परिवर्तन अंतरों को परिसम्पत्ति की मूल लागत में समायोजित किया

गया है और परिवर्तन की तारीख तक संचयी मूल्यह्रास को पुनः संगठित किया गया है। इस नीति का अनुसरण 31.3.2007 तक किया गया।

(छ) सक्रिय उपयोग से हटाई गई और निपटान के लिए धारित सामग्री मूल्य की परिसम्पत्तियों को निवल बही मूल्य और निवल वसूली योग्य मूल्य (जहां लागू हो) से कम पर दर्शाया गया है और लेखों में अलग से दिखाया गया है। ऐसी परिसम्पत्तियों (वित्त वर्ष 1995-96 से प्रभावी वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों तथा संबंधित मदों सहित) का मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया गया है।

(ज) हेलीकॉप्टरों/स्पेयर्स एयरो इंजन की वृद्धियों या विलोपों के संबंध में मूल्यह्रास की गणना समानुपातिक आधार पर की जाती है जो अर्जन/बिक्री के दिनांक से प्रभावी है। समस्त अन्य अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास समानुपातिक आधार पर लगाया जाता हैं। ऐसी अर्जित परिसम्पत्तियों के उपयोग की प्रभावी तारीख, मद की खरीद के माह के आगामी माह के प्रथम दिन से मानी गई है। इसी प्रकार विलोपों के संबंध में परिसम्पत्ति के विलोप पूर्व माह के अंतिम दिन को समानुपातिक मूल्यह्रास के लिए माना गया है। परिसम्पत्तियों के समापन या निपटान से हुए लाभों और हानियों के लाभ एवं हानि लेखों में क्रेडिट/प्रभारित किया गया है।

(झ) ₹ 5000 या उससे कम यूनिट मूल्य की परिसम्पत्तियों को 100% रुप में खरीद के वर्ष में मूल्यह्रासित किया गया।

(ञ) **असमर्थताः**

किसी असमर्थता का संकेत न हो इसके लिए प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को आस्तियों के अग्रेनित राशि की समीक्षा की जाती है। यदि कोई संकेत विद्यमान हो, आस्तियों के वसूली योग्य राशि का प्राक्कलन किया जाता है। जहाँ कहीं आस्तियों की अग्रेनित राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है वहाँ असमर्थता हानि की पहचान की जाती है।

(2) निवेश

निवेश को लागत में से प्राप्त अंतरिम भुगतान, यदि कोई है, घटाकर कहा गया है तथा उन निवेशों के संबंध में जिनका पुनर्भाजन मूल्य अर्जन लागत से भिन्न है, ऐसे मामलों में अर्जन लागत तथा निवेशों के पुनर्भाजन दिनांक तक ऑन टाइम आधार पर लेखांकित किया गया है। वर्ष की इस रकम को लाभ व हानि खाते में ब्याज आय के रूप में समायोजित किया गया है और तदनुसार ऐसे निवेशों की लागत का समायोजन किया गया है।

(3) विदेशी मुद्राओं का लेन-देन

(क) कम्पनी के प्रधान बैंकर द्वारा उपलब्ध कराई गई अचल परिसम्पत्ति, माल तथा सेवाओं को खरीदने से संबंधित विदेशी मुद्रा में लेन-देन की तिथि में प्रचलित दर के अनुसार लेखांकित किया गया है। उसी तरह कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई। सेवाओं के लिए विदेशी मुद्रा में लेन देन को लेन-देन की तिथि में प्रचलित दर के

पवन हंस लिमिटेड

2010-11, 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के संक्षिप्त लेखे

विवरण	अनुपात	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
संसाधन					
शुद्ध मूल्य		513.84	484.53	475.57	485.38
गैर-चालू देयताएं					
. ऋण-निधियाँ-प्रतिभूत ऋण		100.59	274.69	232.83	64.10
. अन्य दीर्घावधि देयता		471.22	471.40	471.51	470.69
. दीर्घावधि प्रावधान		46.91	39.33	34.56	19.62
. आस्थगित कर देयता		143.63	136.27	126.53	97.63
योग		**1276.19**	**1406.22**	**1341.00**	**1137.42**
संसाधनों का उपयोग					
अचल परिसम्पतियाँ		1446.44	1433.68	1287.45	1015.33
घटा : मूल्यह्रास		523.86	449.77	375.48	324.48
शुद्ध अचल परिसम्पतियाँ		922.58	983.91	911.97	690.85
पूंजीगत क्रार्य प्रगति पर		11.36	18.07	23.03	29.36
दीर्घावधि ऋण व अग्रिम		75.95	81.48	90.69	132.61
अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ		5.26	3.57	3.93	4.08
निवेश		2.89	2.89	2.89	2.89
शुद्ध कार्यशील पूंजी		258.14	316.28	308.50	277.63
		1276.17	1406.21	1341.00	1137.42
नियोजित पूंजी		**1192.07**	**1318.27**	**1243.49**	**997.84**
आय					
परिचालय से राजस्व		529.59	465.24	428.86	423.98
ब्याज/अन्य आय		13.46	10.39	9.29	6.49
योग		**543.05**	**475.63**	**438.15**	**430.47**
व्यय					
हेलीकॉप्टर परिचालन व अनुरक्षण व्यय		187.40	155.12	167.63	155.34
कर्मचारी हित व्यय		148.98	149.06	135.93	121.47
वित्तीय लागत		31.81	28.51	14.46	6.17
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		79.71	73.79	60.30	46.53
योग		40.45	47.63	58.73	53.38
		488.35	**454.11**	**437.05**	**382.89**
असाधारण पूर्व वर्ष के लिए लाभ		54.70	21.52	1.10	47.58
पूर्वावधि असाधारण समायोजन		6.54	6.42	21.34	1.85
कर पूर्व लाभ		**61.24**	**27.94**	**22.44**	**49.43**
कर के लिए प्रावधान		14.50	6.50	4.50	9.97
गत वर्षो हेतु कर प्रावधान		0.81	0	(-0.61)	0.54
आस्थगित कर देयता		7.36	9.74	28.90	20.42
कर के बाद शुद्ध लाभ		**38.57**	**11.70**	**(-10.35)**	**18.50**

विशिष्ट अनुपात					
(क) शुद्ध लाभ का अनुपात	शुद्ध लाभ/(हानि) / कुल राजस्व	7.1%	2.5%	(-2.4%)	4.3%
(ख) निवेश से आय	शुद्ध लाभ/(हानि) / नियोजित पूंजी	3.2%	0.9%	(-0.8%)	1.9%
(ग) शुद्ध मूल्य पर आय	शुद्ध लाभ/(हानि) / शुद्ध मूल्य	7.5%	2.4%	(-2.2%)	3.8%
(घ) ऋण उगाही अवधि (माह में)	परिचालन देनदार / औसत मासिक परिचालन राजस्व वर्ष	6.2	5.4	4.7	5.2
(ड़) मालसूची खपत (माह में)	एवं मालसूची	1.2	1.7	2.2	2.0
	----------	4.1	3.4		
	औसत मासिक			3.3	3.2
(च) चालू अनुपात	परिचालन राजस्व चालू	1.11	1.34		
ऋण इक्विटी अनुपात	परिसम्पत्तियाँ : चालू देयताएं	0.53	0.68		

लेखे

तुलन पत्र

यथास्थिति 31 मार्च, 2014

(₹ लाख में)

	नोट संख्या	31 मार्च 2014		31 मार्च 2013	
I. इक्विटी व देयताएं					
(1) अंशधारकों की निधि					
(क) शेयर पूंजी	1	24,561.60		24,561.60	
(ख) आरक्षतियां एवं अधिशेष	2	26,822.22		23,891.12	
			51,383.82		**48,452.72**
(2) गैर चालू देयताएं					
(क) दीर्घावधि उधार	3	10,059.26		27,469.39	
(ख) आस्थगित कर देयता (शुद्ध)	4	14,362.99		13,626.81	
(ग) अन्य दीर्घावधि देयता	5	47,121.89		47,140.47	
(घ) दीर्घावधि प्रावधान	6	4,690.57		3,932.96	
			76,234.71		**92,169.63**
(3) चालू देयताएं					
(क) कारोबार देय	7	2,725.66		1,622.49	
(ख) अन्य चालू देयताएं	8	20,907.77		8,417.24	
(ग) अल्पावधि प्रावधान	9	3,595.37		2,933.21	
योग			**27,228.80**		**12,972.94**
			1,54,847.33		**1,53,595.29**
II. परिसंपत्तियां					
(1) गैर चालू परिसंपत्तियां					
(क) अचल परिसंपत्तियां					
(i) मूर्त परिसंपत्तियां	10	92,131.43		98,206.50	
- क्रियाशील परिसंपत्तियां		981.74		956.13	
- सक्रिय उपयोग से निवर्तमान तथा निवर्तनाधीन अक्षम परिसंपत्तियां		981.74		956.13	
- निवर्तमान/असमर्थता के लिए घटाया प्रावधान					
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां	11	126.12		185.74	
(iii) पूंजीगत कार्य प्रगति पर- मूर्त परिसंपत्तियां	12	1,135.97		1,807.46	
		93,393.52		1,00,199.70	
(ख) गैर चालू निवेश	13	289.34		289.34	
(ग) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	14	7,595.47		8,148.48	
(घ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	15	526.36		356.81	
			1,01,804.69		**1,08,994.33**

(2) चालू परिसंपत्तियां

(क)	इन्वेन्ट्रीज	16	5,513.79	6,727.53	
(ख)	कारोबार प्राप्य	17	27,451.66	21,020.67	
(ग)	नकद और नकद तुल्य राशि	18	15,504.53	12,567.48	
(घ)	अल्पावधि ऋण और अग्रिम	19	2,025.03	1,904.60	
(ङ)	अन्य चालू परिसंपत्तियां	20	2,547.62	2,380.68	
			53,042.64		**44,600.96**
	योग		**1,54,847.33**		**1,53,595.29**

वित्तीय विवरण पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ **28**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति **29**

समसंख्यक दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल के लिए व उनकी ओर से
कृते खन्ना एवं आनंदम

सनदी लेखाकार	अनिल श्रीवास्तव	श्रीमती मणि सथियावथी
फर्म रजि. नं. 1297-एन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक

बी. जे. सिंह	संजीव बहल	संजीव अग्रवाल	धीरेन्द्र सहाय
पार्टनर	कार्यपालक निदेशक	कम्पनी सचिव एवं महाप्रबंधक	महाप्रबंधक (वि.व.ले.)
(एम.सं. 7884)		(विधि)	एवं सी.एफ.ओ.

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12-12-2014

लाभ एवं हानि की विवरणी

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाख में)

	नोट संख्या	31 मार्च 2014	31 मार्च 2013
राजस्व :			
प्रचालन से राजस्व	21	51,626.18	45,642.98
अन्य आय	22	2,678.63	2,562.41
कुल राजस्व :		54,304.80	48,205.39
व्यय :			
हैलीकॉप्टर प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय	23	18,740.26	15,511.99
कर्मचारी लाभ व्यय	24	14,898.91	14,906.20
वित्तीय लागत-ब्याज व्यय		3,180.68	2,851.16
मूल्यह्रास और परिशोधित व्यय		7,971.29	7,378.70
अन्य व्यय	25	4,044.57	4,763.63
कुल व्यय :		48,835.71	45,411.68
		5,469.10	2,793.71
असाधारण मदों एवं कर पूर्व लाभ			
अपवादी मदें	26	-89.12	-
असाधारण मदें	27	743.41	-
कर पूर्व लाभ :		6,123.39	2,793.71
कर व्यय :			
(1) चालू कर (एम ए टी)		1,450.00	650.00
(2) पूर्व वर्षों का कर		80.56	-
(3) आस्थगित कर		736.18	973.89
अवधि के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि)		3,856.65	1,169.82
प्रति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य रु. 10,000/-)			
(1) मूल			
(2) डायलूटेड			
वित्तीय विवरण पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ	28	1,570	476.00
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति	29	1,570	476.00

समसंख्यक दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल के लिए व उनकी ओर से

कृते खन्ना एवं आनंदम

सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 1297-एन

अनिल श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्रीमती मीणा सथियावथी
निदेशक

बी. जे. सिंह
पार्टनर
(एम.सं. 7884)

संजीव बहल
कार्यपालक निदेशक

संजीव अग्रवाल
कम्पनी सचिव एवं महाप्रबंधक
(विधि)

धीरेन्द्र सहाय
महाप्रबंधक (वि.व.ले.)
एवं सी.एफ.ओ.

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12-12-2014

नोट सं. 1
अंशधारकों की निधियाँ

		नोट संख्या	31 मार्च 2014	31 मार्च 2013
				(₹ लाख में)
अंशधारकों की निधियाँ				
शेयर पूंजी				
(क)	प्राधिकृत पूंजी			
	₹10,000/- प्रत्येक के 2,50,000 इक्विटी शेयर	-	25,000.00	25,000.00
(ख)	जारी पूंजी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त ₹10,000/- प्रत्येक के 2,45,616 इक्विटी शेयर	-	24,561.00	24,561.60
(ग)	रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ व अंत का बकाया शेयरों का समाधान	प्रारंभिक	2,45,616	2,45,616
		जोडे: आबंटित शेयर	-	-
		अंतिम	**2,45,616**	**2,45,616**
(ज)	कम्पनी के प्रत्येक साधारण शेयर के लिए संलग्न अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध का सममूल्य ₹10,000 प्रति शेयर है और शेयरों के रेंक क्लास में सम्मिलित है मतदान के अधिकार सहित सभी माामलों में, समरूप वितरण पर प्रतिबंध और लाभांश के लिए पात्रता और पूंजी का पुर्नभुगतान			
(झ)	धारित शेयरों का विशेष विवरण के साथ कंपनी में 5 प्रतिशत शेयरों से अधिक शेयरों को धारित करने वाले प्रत्येक शेयर धारक।	शेयर धारक के नाम	धारित शेयरों की संख्या	
		भारत के राष्ट्रपति	1,25,266	1,25,266
		ओ.एन.जी.जी.सी. लिमिटेड	1,20,350	1,20,350
योग			**24,561.60**	**24,561.60**

नोट सं. 2

आरक्षितियाँ एवं अधिशेष

		31 मार्च 2014		31 मार्च 2013
				(₹ लाख में)
(क) आरक्षितियाँ एवं अधिशेष				
(i) सामान्य आरक्षिति				
पिछले खाते के अनुसार		2,050.00		2,050.00
(ii) **लाभ व हानि की विवरणी-अधिशेष**				
पिछले खाते के अनुसार	21,841.12		20,945.02	
जोड़िए : वर्ष के दौरान परिवर्धन	3,856.65		1,169.82	
घटाइए : इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित डिविडेंट	-771.33		-233.96	
घटाइए : प्रस्तावित डिविडेंट पर कर	-154.22		-39.76	
		24,772.22		21,841.12
योग		**26,822.22**		**23,891.12**

नोट सं. 3

दीर्घावधि उधार

	31 मार्च 2014	31 मार्च 2013
		(₹ लाख में)
सुरक्षित मियादी ऋण		
- ओएनजीसी लिमिटेड	3,678.85	7,453.33
- एनटीपीसी लिमिटेड	4,015.40	4,499.84
- एक्जिम बैंक	2,365.01	7,055.78
- विजया बैंक		8,460.44
योग	10,059.26	27,469.39
उधारों की पूर्णता का सार निम्नवत है:		
- एक वर्ष से अधिक देर तक नहीं (नोट सं. 8)	31.03.2014	31.03.2014
दीर्घावधि ऋण की चालू पूर्णता	17,103.58	5,526.87
- एक वर्ष से अधिक देर और पांच वर्ष से अधिक देर नहीं	17,103.58	5,526.87
- पांच वर्ष से अधिक देर	8,131.07	17,402.80
	1,928.19	10,066.59
	10,059.26	27,469.39

वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट (नोट सं. 28) के नोट सं. (X) का संदर्भ लें।

नोट सं. 4
आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)

		31 मार्च 2014		(₹ लाख में) 31 मार्च 2013
आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)				
1. **आस्थगित कर देयता**				
– बही मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास का अंतर	22,641.27		20,080.42	
सकल आस्थगित कर देयता		22,641.27		20,080.27
2. **आस्थगित कर परिसंपत्तियां**		**22,641.27**		**20,080.42**
सर्जित प्रावधान				
– कर्मचारी लाभ	2,387.08		2,059.37	
– अचल इन्वेन्ट्री	764.77		538.41	
– निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व/सतत विकास निधि	68.29		53.80	
– आगे ले जाया गया अनावशोषित मूल्यह्रास	4,876.24		3,617.27	
– संदेहास्पद ऋण / अग्रिम	181.90		184.76	
सकल आस्थगित कर परिसंपत्तियां		**8,278.28**		**6,453.61**

नोट सं. 5
अन्य दीर्घावधि देयताएं

		31 मार्च 2014		(₹ लाख में) 31 मार्च 2013
(क) प्रतिभूति जमा	99.67		118.25	
(ख) केन्द्र सरकार द्वारा दावाकृत राशि				
– मूलधन राशि	13,091.03		13,091.03	
– ब्याज/अन्य प्रभार	33,931.19		33,931.19	
		47,022.22		47,022.22
योग		**47,121.89**		**47,140.47**

नोट सं. 6

दीर्घावधि प्रावधान

				(₹ लाख में)
		31 मार्च 2014		**31 मार्च 2013**
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान				
– सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना	514.60		395.12	
– अर्जित अवकाश	1,388.73		1,200.91	
– बीमारी अवकाश (एच पी एल)	548.09		505.78	
– पेंशन	2,225.74		1,818.71	
– अन्य	13.41		12.44	
		4,690.57		3,932.96
योग		**4,690.57**		**3,932.96**

कर्मचारी हितलाभ–एएस–15 के अनुसार अपेक्षित प्रकटन नोट क्रमांक 28 (XII) में दिया गया है।

नोट सं. 7

कारोबार शोध्य

		(₹ लाख में)
	31 मार्च 2014	**31 मार्च 2013**
कारोबार शोध्य	2,725.66	1,622.49
योग	**2,725.66**	**1,622.49**

नोट सं. 8

अन्य चालू देयताएं

		31 मार्च 2014		(₹ लाख में) 31 मार्च 2013
दीर्घावधि ऋण की चालू पूर्णताएं		17,103.58		5,526.87
उपचित ब्याज लेकिन उधारों पर देय नहीं		8.89		116.77
अन्य शोध्य :				
– ग्राहकों से अग्रिम		783.45		315.58
– परियोजनाओं के लिए डीजीसीए से अग्रिम (ब्याज सहित)	1,190.48		1,179.86	
घटा : परियोजना पर व्यय की गई राशि	1,066.68		971.99	
		123.80		207.87
– प्रतिभूति/बयाना जमा	101.42		119.53	
– सांविधिक देयताएं	393.47		299.16	
– नियत आस्तियों के क्रय पर देय	695.34		554.47	
– पूंजीगत व्ययों के लिए देय	22.05		19.87	
– कर्मचारियों को देय	74.23		138.58	
– अस्थायी खाता अधिविकर्ष	651.44		699.01	
– अन्य देयताएं	950.10		419.53	
		2,888.05		2,250.15
योग		**20,907.77**		**8,417.24**

नोट सं. 9

अल्पावधि प्रावधान

		(₹ लाख में)	
	31 मार्च 2014		31 मार्च 2013
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान			
- सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ योजना	15.00		14.50	
- अर्जित अवकाश	91.47		152.38	
- बीमारी अवकाश (एच.पी.एल)	44.90		50.73	
- अन्य	2,180.95		2,196.69	
लक्षद्वीप में हुई हानि का प्रावधान		2,332.2		2,414.30
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सतत		89.12		
विकास निधि के लिए प्रावधान		200.92		165.83
अन्य प्रावधान		39.31		76.36
(नोट संख्या 28 (VI) ख देखें)				
कराधान के लिए प्रावधान				
- संपत्ति कर		8.15		3.00
इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश		771.33		233.96
प्रस्तावित लाभांश पर कर		154.22		39.76
योग		**3,595.37**		**2,933.21**

नोट सं. 10

स्थायी परिसम्पत्तियाँ

	सकल ब्लॉक				संचयी मूल्यह्रास				नेट ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2013 को	**अतिरिक्त**	**निपटान/ समायोजन**	**31 मार्च, 2014 को**	**31 मार्च, 2013 तक**	**वर्ष के दौरान मूल्यह्रास**	**निपटान / समायोजन**	**31 मार्च, 2014 को**	**31 मार्च, 2014 को शेष**	**31 मार्च, 2013 को शेष**
मूर्त परिसम्पत्तियाँ										
1. क्रियाशील परिसम्पत्तियाँ										
भूमि पट्टे पर	58.91	–	–	58.91	15.03	0.65	–	15.68	43.23	43.88
भवन	4,408.00	4.09	–	4,412.09	1,640.46	131.19	–	1,771.65	2,640.44	2,767.54
संयत्र एवं उपस्कर										
–हेलीकॉप्टर एवं एयरो–इंजन	1,08,064.99	999.68	558.36	1,08,506.31	29,732.37	5,994.03	474.65	35,251.75	73,254.56	78,332.62
–एयरफ्रेम एवं इंजन उपस्कर रोटेबल्स	24,668.39	902.67	171.23	25,399.83	11,228.53	1,466.39	61.69	12,633.23	12,766.60	13,439.86
–कार्यशालाएं एवं ग्राउंड सहायता उपस्कर	3,437.93	120.75	8.47	3,550.21	1,156.84	156.18	6.57	1,306.45	2,243.76	2,281.10
–प्रशिक्षण सहायता उपस्कर	22.91	–	–	22.91	19.14	0.97	–	20.11	2.80	3.77
–वातानुकूलन	213.45	4.21	–0.47	218.13	56.47	9.73	–0.01	66.19	151.94	156.97
–विद्युत संस्थापनाएं	311.96	0.84	1.89	310.91	101.76	12.13	0.42	113.47	197.44	210.20
फर्नीचर एवं जुड़वार	625.39	5.90	–	631.29	227.49	33.96	–	261.47	369.82	397.89
वाहन	209.25	–	2.05	207.20	103.98	15.68	1.94	117.72	89.48	105.27
कार्यालय उपस्कर	221.04	10.23	0.34	230.93	90.97	9.62	0.21	100.38	130.55	130.77
कम्प्यूटर एवं अन्य संबंधित उपस्कर	707.75	1.63	11.96	697.42	380.22	87.37	11.01	456.58	240.83	327.53
योग (1)	**1,42,949.97**	**2,050.00**	**753.83**	**1,44,246.14**	**44,753.26**	**7,917.90**	**556.48**	**52,114.68**	**92,131.43**	**98,196.70**
गत वर्ष (1)	**1,28,504.47**	**14,606.61**	**140.14**	**1,42,970.94**	**37,376.68**	**7,338.40**	**-49.36**	**44,764.44**	**98,206.50**	**91,127.80**

स्थायी परिसम्पत्तियाँ

	सकल ब्लॉक								नेट ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2013 को	अतिरिक्त	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 तक	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	निपटान / समायोजन	31 मार्च, 2014 तक	31 मार्च, 2014 तक शेष	31 मार्च, 2013 तक शेष
II. सक्रिय उपयोग से निवर्तमान तथा असमर्थ परिसम्पत्तियाँ										
संयत्र एवं उपस्कर										
-हेलीकॉप्टर व एयरो-इंजन	5,778.08	-	-	5,778.08	5,050.46	-	-	5,050.46	727.62	727.62
-एयरफ्रेम एवं इंजन उपस्कर रोटेबल्स	9.91	-	-9.96	9.91	-	-	9.91	-9.91	19.82	9.91
-कार्यशालाएं एवं ग्रा. उंड सहायक उपस्कर	312.54	-	-	322.50	131.94	-	-6.82	138.76	183.73	180.59
-प्रशिक्षण सहायक उपस्कर	41.25	-	-	41.25	18.91	-	-	18.91	22.34	22.34
-विद्युत संस्थापनाएं	6.68	-	-	6.68	5.73	-	-	5.73	0.95	0.95
फर्नीचर एवं जुड़नार	34.06	-	-	34.06	31.44	-	-	31.44	2.62	2.62
कार्यालय उपस्कर	29.73	-	0.28	30.01	17.64	-	-0.18	17.82	12.19	12.09
संचार उपस्कर	20.98	-	-	20.98	11.18	-	1.99	9.19	11.79	9.80
वाहन	-	-	-2.05	2.05	-	-	-1.94	1.94	0.11	-
कम्प्यूटर	-	-	-11.38	11.38	-	-	-10.82	10.82	0.56	-
योग (II)	**6233.24**	**-**	**-23.67**	**6256.91**	**5267.30**	**-**	**-7.86**	**5275.16**	**981.16**	**965.92**
गत वर्ष (II)	**6,237.91**	**-**	**25.66**	**6,212.25**	**5,284.38**	**-**	**28.26**	**5,256.12**	**956.13**	**953.53**
सर्व योग (1+11+111) (क)	**1,49,183.20**	**2,050.00**	**730.16**	**1,50,503.05**	**50,020.56**	**7,917.90**	**548.62**	**57,389.84**	**93,113.18**	**99,162.64**
सर्व योग (गत वर्ष) (1+11+111)	**1,34,742.38**	**14,606.61**	**165.80**	**1,49,183.19**	**42,661.06**	**7,338.40**	**-21.10**	**50,020.63**	**99,162.63**	**92,081.33**
नोट सं. 11 **अमूर्त परिसम्पत्तियाँ**										
पूंजीगत सॉफ्टवेयर	240.46	-	-	240.46	193.46	21.98	-6.23	221.67	18.79	47.00
प्रशिक्षण लागत	157.06	-	-	157.06	18.32	31.41	-	49.73	107.33	138.74
योग (ख)	397.52	-	-	397.52	211.78	53.39	-6.23	271.40	126.12	185.74
गत वर्ष	240.46	157.06	-	397.52	171.48	40.30	-	211.78	126.12	185.74

नोट संख्या - 12

पूंजीगत कार्य प्रगति पर

(₹ लाख में)

विवरण	अथ यथास्थिति दिनांक 31-03-2013	अतिरिक्त	विलोप/ समायोजन	अंत यथास्थिति दिनांक 31-03-2014
पूँजीगत कार्य प्रगति पर				
(क) लाभप्रदता अनुरक्षण केन्द्र योजना, मुम्बई	19.42	–	–	19.42
(ख) हेलीकॉप्टरों के उन्नयन हेतु उपकरण समूह	1,157.10	–	440.02	717.08
(ग) विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के मरम्मत के लिए लंबित प्रेषण रक्षित	333.72	-	239.32	94.40
(घ) हेलीपोर्ट परियोजना, रोहिणी, नई दिल्ली	302.72	2.34	–	305.03
(ङ) पारगमन/निरीक्षण/अधिष्ठान में रोटेबल्स/भूतल सहायक उपस्कर	13.92	8.51	3.00	19.43
योग	**1,826.88**	**10.85**	**682.34**	**1,155.39**
घटाएं : संदेहास्पद पूंजीगत कार्य प्रगति पर के लिए प्रावधान				19.42
शुद्ध पूंजीगत कार्य प्रगति पर	**1,826.88**	**10.85**	**682.34**	**1,135.97**
गत वर्ष	**2,303.04**	**675.57**	**1,151.73**	**1,807.46**

नोट सं. - 13

गैर चालू निवेश

(₹ लाख में)

	31 मार्च 2014	31 मार्च 2013
गैर कारोबार (लागत पर अनुद्धृत)		
नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रा. लि. (प्रत्येक रु.10/- के पूर्ण प्रदत्त 28,93,353 इक्विटी शेयर)	289.34	289.34
योग	**289.34**	**289.34**

नोट संख्या - 14

दीर्घावधि ऋण और अग्रिम

				(₹ लाख में)
		31 मार्च 2014		31 मार्च 2013
(अप्रत्याभूत सिवाय इसके कि बताया गया हो)				
(क) सार्वजनिक क्षेत्र को ऋण, सन्देहास्पद समझे गए	725.00		725.00	
घटा: सन्देहास्पद ऋण का प्रावधान	725.00		725.00	
(ख) पूंजी अग्रिम		9.98		21.21
(ग) अग्रिम आयकर (प्रावधान का शुद्ध)		6,847.63		7,402.68
(घ) प्रतिभूति जमा				
अप्रत्याभूत, अच्छे समझे गए	95.30		323.46	
अप्रत्याभूत, सन्देहास्पद समझे गए	1.91		1.91	
	97.21		325.37	
घटा: संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	1.91		1.91	
(ङ) वसूली योग्य आयकर		95.30		323.46
(च) कर्मचारी को ऋण		5.88		5.88
प्रत्याभूत, अच्छे समझें गए	271.24		225.54	
अप्रत्याभूत, अच्छे समझे गए	17.69		17.56	
अप्रत्याभूत, संदेहास्पद समझे गए		12.08		12.08
	301.01		255.18	
घटा: सन्देहास्पद ऋण के प्रावधान	12.08		12.08	
(छ) अन्य को अग्रिम		288.93		243.10
अप्रत्याभूत, अच्छे समझे गए	347.75		152.15	
अप्रत्याभूत, सन्देहास्पद समझे गए	113.89		108.81	
	461.64		260.96	
घटा: सन्देहास्पद जमा के लिए प्रावधान	113.89		108.81	
		347.75		**152.15**
योग		**7,595.47**		**8,148.48**

नोट सं. 15

अन्य गैर चालू सम्पत्तियाँ

			(₹ लाख में)
	31 मार्च 2014		31 मार्च 2013
		(अप्रत्याभूत अच्छे समझे गए सिवाय इसके कि बताया गया हो)	
(क) प्रतिभूति जमा		277.94	1.60
(ख) प्रोदभूत ब्याज			
- कर्मचारी ऋण	271.28		296.70
	271.28		296.70
घटा: कर्मचारी ऋण पर उद्भूत सन्देहास्पद ऋण	22.85		23.57
		248.42	273.13
(ग) अन्य प्राप्य	2.92		138.62
घटा: संदेहास्पद प्राप्य हेतु प्रावधान	2.92		56.54
		-	82.08
योग		**526.36**	**356.81**

नोट सं. 16
इंवेन्ट्री

				(₹ लाख में)
		31 मार्च 2014		31 मार्च 2013
(प्रबंधन द्वारा सत्यापित और मूल्यांकित)				
(क) भंडार एवं स्टोर्स (मूल्य रहित प्रावधान पर)	7,953.30		8,744.05	
घटा: (i) अचल भंडार व स्पैयर्स हेतु प्रावधान	2,193.55		1,619.87	
(ii) इंवेन्ट्रीय के अभाव हेतु प्रावधान	53.13		39.60	
(iii) मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	453.14		453.14	
		5,253.48		6,631.44
(ख) मूल्य रहित अप्रचलन/हानि पर				
- रिपेयरेबल्स तथा रोटेबल्स स्पेयर	1,575.57		1,575.57	
घटा: (i) अप्रचलन आरक्षिति	1,436.27		1,436.27	
(ii) मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	139.30		139.30	
		-		-
- जेम मोड्यूल	501.37		501.37	
घटा: (i) अप्रचलन आरक्षिति	447.21		447.21	
(ii) मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	54.16		54.16	
		-		-
(ग) लागत पर राइट ऑफ घटाकर				
- परीक्षण औजार उपस्कर	414.09		437.57	
घटा: राइट ऑफ	369.55		378.32	
		44.54		59.25
- प्रशिक्षण सामग्री	27.17		27.17	
घटा: राइट ऑफ	27.17		27.17	
		-		-
(घ) मार्गस्थ माल (लागत पर)		190.25		24.84
(ङ) एविएशन टरबाइन फ्यूल (लागत पर)		25.52		12.00
योग		**5,513.79**		**6,727.53**

नोट सं. 17

कारोबार प्राप्त राशियां (अप्रत्याभूत)

			(₹ लाख में)	
	31 मार्च 2014		31 मार्च 2013	
– छः माह से अधिक का भुगतान पूर्व बकाया ऋण				
(क) अच्छे समझे	10,853.60		6,072.56	
(ख) संदेहास्पद समझे गए	315.83		343.22	
– अन्य ऋण: अच्छे समझे गए *	16,598.06		14,948.11	
	27,767.49		21,363.89	
घटा: संदेहास्पद ऋण हेतु प्रावधान	315.83		343.22	
		27,451.66		21,020.67
कुल		**27,451.66**		**21,020.67**

* ओएनजीसी लिमिटेड से प्राप्य ₹ 9060.14 लाख राशि (गत वर्ष ₹ 3240.43 लाख)

नोट सं. 18

नगद और नगद तुल्य मूल्य

			(₹ लाख में)	
	31 मार्च 2014		31 मार्च 2013	
(क) बैंकों में शेष				
– चालू खाता	762.45		773.08	
– निर्यात उपार्जन विदेशी मुद्रा खाता	470.68		484.59	
– फलेक्सी जमा खाता	1,244.36		2,155.50	
– सावधि जमा खाता	11,421.74		7,254.41	
– मार्जिन राशि (सावधि जमा)	1,571.71		1,878.89	
		15,470.94		12,546.46
(ख) हाथ नकदी		33.59		21.02
योग		**15,504.53**		**12,567.48**

टिप्पणी:

(i) मियादी जमा में रोहिणी परियोजना के लिए अलग से रखे रु. 3,321.00 लाख (विगत वर्ष 3,297.29 लाख) सम्मिलित है। संदर्भ नोट 28 (XV)

(ii) मार्जिन राशि बैंक गारंटी और साख पत्र को जारी करने के लिए बैंकों के पास रेहन रखी मियादी जमा को दर्शाता है।

नोट सं. 19

अल्पावधि ऋण और अग्रिम

(₹ लाख में)

	31 मार्च 2014		31 मार्च 2013	
(अच्छे समझे गए सिवाय इसके कि बताया गया हो)				
(क) कर्मचारियों को ऋण व अग्रिम				
प्रत्याभूत, अच्छे समझे गए	58.84		80.16	
अप्रत्याभूत, अच्छे समझे गए	505.50		431.46	
अप्रत्याभूत, संदेहास्पद समझे गए	6.73		3.90	
	571.07		515.52	
घटाएं: सदेहास्पद ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	6.73		3.90	
		564.34		511.62
(ख) अन्य को अग्रिम				
अप्रत्याभूत, अच्छे समझे गए	450.90		376.80	
अप्रत्याभूत, संदेहास्पद समझे गए	58.95		58.95	
	509.85		435.75	
घटाएं: संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	58.95		58.95	
		450.90		376.80
(ग) सांविधिक प्राधिकारियों के पास शेष		171.29		–
(घ) पूर्वदत्त व्यय		769.41		942.06
(ङ) प्रतिभूति एवं बयाना राशि जमा		69.09		74.12
योग		**2,025.03**		**1,904.60**

नोट सं. 20

अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ

(₹ लाख में)

	31 मार्च 2014		31 मार्च 2013	
(अप्रत्याभूत, अच्छे समझे गए)				
(क) प्रोदभूत ब्याज				
सावधि जमा	551.99		364.33	
कर्मचारियों के ऋण	21.96		23.66	
(ख) प्राप्य बीमा दावा		573.95		388.00
		1,546.76		1,770.84
(ग)बैंकों के पास सावधि जमा खाते/चालू खाता (परियोजना के लिए डीजीसीए से प्राप्त राशि के विरूद्ध प्रोद्भूत ब्याज सम्मिलित करते हुए)		123.80		207.87
(घ)अन्य		303.11		13.97
योग		**2,547.62**		**2,380.68**

नोट सं. 21

प्रचालनों से राजस्व

				(₹ लाख में)
		31 मार्च 2014		31 मार्च 2013
(क) सेवाओं की बिक्री				
हेलीकॉप्टर भाड़ा प्रभार	49,465.15		43,229.21	
घटाए: हेलीकॉप्टरों के गैर	500.56		81.49	
प्रावधान (एओजी) हेतु		48,964.59		43.147.12
कटौती				
(ख) अन्य प्रचालन राजस्व				
प्रचालनों व अनुरक्षण संविदाओं से आय	2,527.44		2,228.41	
प्रशिक्षण शुल्क एवं अन्य वसुली	44.16		105.14	
परिनिर्धारिती नुकासानी वसूली	90.00		–	
छूट प्राप्त	–		161.71	
		2,661.60		2,495.26
योग		**51,626.18**		**45,642.98**

नोट सं. 22

अन्य आय

				(₹ लाख में)
		31 मार्च 2014		31 मार्च 2013
ब्याज आय				
(क) बैंकों में जमा से ब्याज आय	1,161.79		1,013.43	
(ख) कर्मचारियों को दिए ऋण पर ब्याज	30.61		25.77	
		1,192.40		1,039.20
बीमा दावों के निपटाने पर		19.57		9.63
अधिशेष				
पूर्वावधि आय (शुद्ध) (नोट 25क देखें)		133.73		631.73
इंवेंट्री मदो की बिक्री से लाभ		7.48		–
विनिमय घट-बढ़ (शुद्ध)		494.36		429.79
अनापेक्षित प्रावधान-रीटेन बैंक		265.75		116.97
परिनिर्धारित नुकसानी (क्रय)		4.88		3.02
प्रकीर्ण आय		560.45		332.07
योग		**2,678.63**		**2,562.41**

नोट सं. 23

हेलीकॉप्टर प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय

		(₹ लाख में)
	31 मार्च 2014	**31 मार्च 2013**
हेलीकॉप्टर अनुरक्षण व्यय	10,437.35	9,067.13
ईंधन व्यय	4,058.79	2,899.91
बीमा व्यय	1,860.65	2,362.95
लौंडिंग पार्डिंग एवं अन्य व्यय	157.76	157.23
परिनिर्धारित नुकसानी	1,156.95	224.53
उपस्कर/विशेषज्ञ पारिश्रमिक प्रभार/लीज प्रभार	6.45	–
श्राइन बोर्ड को रॉयल्टी/कमीशन	192.61	218.08
नॉन मूविंग इंवेन्ट्री/जीवनावधि/ समाप्त मदों के लिए प्रावधान	575.99	231.08
बट्टे खाते डाले गए रोटेबल्स, स्टोर एवं स्पेयर्स	41.99	151.03
स्थायी परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास पर हानि	11.80	–
बट्टे खाते में डाले गए स्थायी परिसम्पत्ति	43.44	–
भंडारण, संभलाई प्रभार सह विलम्ब शुल्क	66.10	84.60
भाड़ा, परिवहन तथा ढुलाई	106.69	100.61
अन्य प्रचालन व्यय	23.69	14.42
योग	**18,740.26**	**15,511.99**

नोट सं. 24

कर्मचारी लाभ व्यय

		(₹ लाख में)
	31 मार्च 2014	**31 मार्च 2013**
वेतन, मजदूरी तथा अन्य लाभ	13,512.07	13,293.90
कर्मचारी कल्याण	45.72	54.75
भविष्य निधि एवं उपदान निधि हेतु योगदान	552.90	716.68
अन्य कर्मचारी व्यय	788.22	840.87
योग	**14,898.91**	**14,906.20**

नोट सं. 25

अन्य व्यय

		31 मार्च 2014		31 मार्च 2013
				(₹ लाख में)
मरम्मत और अनुरक्षण				
भवन	30.07		62.10	
उपस्कर	41.02		56.44	
अन्य	120.30		141.51	
		191.39		260.05
किराया		478.54		546.34
यात्रा तथा वाहन		1,770.75		1,816.81
क्रू एवं अन्य स्टॉफ प्रशिक्षण		396.12		588.20
बैंक प्रभार		33.13		55.37
विद्युत तथा जल व्यय		192.22		158.49
टेलीफोन, टैलीफैक्स व डाक		100.52		96.88
विज्ञापन व प्रचार		48.71		110.72
मुद्रण तथा लेखन सामग्री		81.24		77.55
वाहन चालन व अनुरक्षण		22.75		25.11
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक				
- सांविधानिक लेखापरीक्षा शुल्क	6.06		5.74	
- व्ययों की प्रतिपूर्ति	0.72		0.34	
		6.78		6.08
दरें, शुल्क तथा कर		60.07		130.84
परिसंपत्तियों की बिक्री से हानि		-		1.38
संदेहास्पद ऋणों व अग्रिमों के लिए प्रावधान		32.86		176.57
नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व व सतत विकास निधि के लिए प्रावधान		35.09		27.05
संपत्ति कर का प्रावधान		8.15		3.00
जुहू आवासीय परिसर (शुद्ध वसूली)		108.49		154.35
बीमा व्यय		41.01		45.14
अन्य व्यय		436.76		484.33
योग		**4,044.57**		**4,763.63**

नोट सं. 25क

पूर्वावधि मदें प्रतिनिधित्व करती है

		31 मार्च 2014		31 मार्च 2013
				(₹ लाख में)
क जमा –		429.14		
उपदान	14.53		–	
मूल्यह्रास	46.58		524.14	
पूर्व वर्षों की बिलिंग	–		115.41	
एलटीसी प्रावधान रीटेन बैक	158.31		34.88	
अन्य मदें		219.41		1,103.57
योग (क)				
ख नामे				
मूल्यह्रास	6.45		30.91	
हेलीकॉप्टर अनुरक्षण व्यय	–		147.08	
विनिमय घट बढ़ (शुद्ध)	–		147.08	
अन्य मदें	79.24		176.08	
योग (ख)		85.69		471.84
शुद्ध नामे/(जमा) (क-ख)		**–133.72**		**–631.73**

नोट सं. 26

असाधारण मदें

	31 मार्च 2014	31 मार्च 2013
		(₹ लाख में)
लक्षद्वीप में हानि के लिए प्रावधान	89.12	–
	89.12	–

नोट सं. 27

असाधारण मदें

		31 मार्च 2014		31 मार्च 2013
				(₹ लाख में)
क जमा				
बीमा दावे के निपटान पर अधिशेष	743.41		–	
		743.41		–
ख नामे		–		–
ग शुद्ध जमा/(नामे)(क-ख)		**743.41**		–

नोट सं. 28

वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणी

(31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लेखों के साथ संलग्न और उनका एक अंग)

(I) **देयताएं**

पूंजीगत लेखों निवेशों में निष्पादन के लिए शेष तथा अप्रवधानित संविदाओं की अनुमानित राशि (निबल अग्रिम भुगतान)

	₹ / लाख
31.03.2014	**31.03.2013**
6771.42	5981.24

(I I) **आकस्मिक देयताएं**

			₹ / लाख
विवरण		**31.03.2014**	**31.03.2013**
क.	बैंक को दी गई प्रति गारंटी	2284.06	2,671.24
ख.	साख पत्र	568.75	490.50

(ग) ऋण के रूप में न स्वीकार किए गए कंपनी के विरुद्ध दावे

1.

		₹ / लाख
विवरण	31-03-2014	31-03-2013
आई टी ए टी/सी आई टी (अपील) में आयकर की मांग का कंपनी द्वारा विरोध	5383.91	5383.91

आयकर विभाग ने मांग/अनेक वर्षों के लिए कंपनी को देय के विरुद्ध उपयुक्त राशि का समायोजन किया है।

कई मामलों में प्रारंभिक आंकलन के समय निर्धारण अधिकारी द्वारा आयकर की मांग अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा माफ कर दी गई है। कर मांगों में से अधिकांश भारत सरकार के ऋण पर देय ब्याज से संबंधित है जो आईटीएटी के समक्ष लंबित है। इस संबंध में नोट संख्या 5 पर संदर्भ आमंत्रित है।

2.

			₹ / लाख
विवरण		**31.03.2014**	**31.03.2013**
क.	न्यायालय मुकदमे/ मध्यस्थ अधीन मुकदमे	3832.26	3392.90
ख.	अन्य मामले	610.28	128.23

3.

		₹ / लाख
विवरण	**31.03.2014**	**31.03.2013**
वर्ष 2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिए जुर्माने को सम्मिलित करते हुए वैट के भुगतान हेतु मांग नोटिस	31,927.12	31,927.12

वर्ष 2006-07 से 2009-10 में कुछ ग्राहकों द्वारा हेलीकॉप्टर के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण से संबंधित बिक्री कर विभाग दिल्ली के द्वारा उठाए मांग से संबद्ध है।

कंपनी को निर्देश दिया गया है कि चूंकि यह ऐसे लेन-देनों के लिए सेवाकर का भुगतान करती है मूल्यवर्धित कर के भुगतान की मांग का प्रश्न नहीं उठता है।

वर्ष 2010-11 से 2013-14 के लिए मांग नोटिस प्राप्त नहीं हुआ हैं।

4.

		₹ / लाख
विवरण	31-03.2014	31-03-2013
2009-12 की अवधि के दौरान सेवाकर विभाग से कारण बताओ नोटिस	1655.90	शून्य

सेवाकर विभाग का कारण बताओ नोटिस वर्ष 2009-12 से संबंधित है, जो 31-03-2014 के बाद प्राप्त हुआ। उत्तर बनाया जा रहा है, तथापि कंपनी की अपेक्षा है कि इससे प्रचालन

और नकदी प्रवाह पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

5.

		₹ / लाख
विवरण	**31.03.2014**	**31.03.2013**
31-03-2011 के उपरांत भारत सरकार के दावे पर ब्याज (संदर्भ नोट सं. III अधोलिखित)	30633.02	28276.63

कारोबार की सामान्य कार्यप्रणाली में कंपनी विभिन्न कानूनी कार्यवाहियों में एक पार्टी के रूप में है और इन कार्यवाहियों के नतीजों से परिचालनों और नकदी प्रवाह के परिणाम पर किसी प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव की प्रत्याशा नहीं करती है।

(III) **भारत सरकार के दावें**

वर्ष 1986 में कंपनी ने 21 डॉफिन और 21 वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों के बेड़े का अर्जन ₹25,090.00 लाख की परियोजना लागत जिसका निधियन भारत सरकार द्वारा कंपनी में इक्विटी योगदान के रूप में किया था। यद्यपि कंपनी को सिर्फ ₹ 11,376.00 लाख के राशियों की इक्विटी उपलब्ध कराई गई थी जिसमें ओएनजीसी से ₹ 2,450.00 लाख का इक्विटी योगदान सम्मिलित था। कंपनी ने आंतरिक संसाधनों से ₹ 622.97 लाख के साथ इन पूंजीगत योगदान का उपयोग किया। ₹ 13,091.01 लाख की शेष राशि को छोड़कर कंपनी ने ऐसे पूंजीगत योगदान का उपयोग परियोजना लागत के लिए किया। ₹ 13,091.03 लाख के शेष प्रतिफल का भुगतान हेलीकॉप्टर के आपूर्तिकर्ताओं को भारत सरकार द्वारा किया गया भारत सरकार को देय राशि के रूप में समझा गया। कंपनी को दिनांक 31.03.2001 तक उक्त देय राशियों/देयताओं पर ब्याज के मद में ₹ 33,931.19 लाख का देय/जिम्मेदार बताया गया है और दिनांक 31.01.2001 के पश्चात् ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है जिसकी राशि दिनांक 31.03.2014 तक ₹ 30633.02 (विगत वर्ष ₹ 28276.63 लाख होती है) चूंकि वित्त मंत्रालय ने दिनांक 31.03.2014 तक कंपनी से उगाही किए जाने योग्य कुल बकाया ₹ 47,022.22 लाख की पुष्टि की है जिसमें ₹ 13,091.03 लाख मूलधन और ₹ 33,931.19 लाख ब्याज को दर्शाते हैं। कंपनी ने इस आधार पर कि 42 हेलीकॉप्टरों के आयात की परियोजना के लिए सकल राशि का निधियन इक्विटी योगदान के माध्यम से भारत सरकार को उक्त देयताओं और प्रोद्भूत ब्याज के अधित्याग के लिए समय समय पर अभ्यावेदन किया गया है। वित्त मंत्रालय के दावे से संबंधित दिनांक 29.04.2012 को वित्त मंत्रालय के साथ संपन्न बैठक के परिणामस्वरूप यह निर्णय लिया गया कि कंपनी के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012-17) के लिए प्रचलित प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों व ओएनजीसी की निविदा के अंतर्गत 5 वर्ष विंटेज वाले हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता और ₹ 47022.22 करोड़ का वित्त मंत्रालय का दावा कंपनी की समग्र वृद्धि में किस प्रकार अवरोधक है, को ध्यान में रखते हुए एक कारोबारी योजना तैयार की जाए। संशोधित कारोबारी योजना के आधार पर एसबीआई केपिटल सर्विसेज लि. को वित्तीय परामर्शी रिपोर्ट व अपनी संस्वीकृतियाँ करने का कार्य सौंपा गया बोर्ड की 133वीं बैठक में इस रिपोर्ट के अनुमोदन के उपरांत वित्त मंत्रालय मे आगे प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 02.07.2012 को नागर विमानन मंत्रालय में भेजा गया।

यह मामला वित्त मंत्रालय एवं नागर विमानन मंत्रालय के पास विचाराधीन है। नागर विमानन मंत्रालय प्रयासरत है कि भारत सरकार द्वारा ₹47,022.22 लाख की राशि का अधित्याग किया जाए। कंपनी और भारत सरकार के मध्य जब इस मामले पर अंतिम विचार किया जाएगा तो आवश्यक समायोजन किया जाएगा। कंपनी ने भारत सरकार के दावे को तुलन पत्र में 'अन्य दीर्घावधि' देयता के रूप में दर्शाया है।

(IV) **वेस्टलैण्ड आस्तियों का निपटान**

(क) वेस्टलैण्ड बेड़े के भूमिगत होने के पश्चात् 18

जनवरी, 1993 को सरकार ने निर्णय लिया कि वेस्टलैण्ड हेलीकॉप्टर बेड़े को इसकी इन्वेंट्री के साथ एक ग्लोबल टेंडर द्वारा बेच दिया जाए। इससे होने वाली आय को भारत सरकार तथा यूनाइटेड किंगडम की सरकार की परस्पर सहमति से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में लगाया जाए। तथापि इस ग्लोबल टेंडर पर प्रतिकूल अनुक्रिया के कारण सरकार ने 12 मई, 1994 को इन्हें इच्छुक पार्टियों को ही परस्पर मोलभाव करके बेच देने हेतु कम्पनी को अनुमति दी। सरकार ने वेस्टलैण्ड आस्तियों की बिक्री का निरीक्षण करने के लिए एक स्टियरिंग समिति का भी गठन किया था।

(ख) वेस्टलैण्ड हेलीकॉप्टरों (एक क्षतिग्रस्त हेलीकॉटर सहित) तथा संबंधित इन्वेन्ट्री की बिक्री न होने तक, इन आस्तियों को उनके बही मूल्य पर लिखा गया है, जो कुल ₹ 2,239.00 लाख है। कम्पनी ने बतौर सावधानी बही मूल्य समान 100 प्रतिशत का प्रावधान किया था। वर्ष 1999-2000 में ऐसी परिसम्पत्तियों के संबंध में बही मूल्य ₹ 723.00 लाख का समायोजन करने के बाद, शेष प्रावधान ₹ 1,516.00 लाख को अग्रेनीत किया गया है।

(ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान कम्पनी ने सरकार के अनुमोदन से वेस्टलैण्ड आस्तियों को पाउंड स्टर्लिंग 9,00,000 में बेचने हेतु यू.के. की एक फर्म के साथ अनुबंध किया था। इन आस्तियों को अधिक से अधिक दो शिपमेंट में भेजे जाने वाले पारेषण के अनुमानित मूल्य के बराबर भुगतान पर भेजे जाने की सहमति हुई थी। पहला शिपमेंट दिसम्बर 1999 में भेजा गया तथा कम्पनी को जनवरी, 2000 में पाउंड 4,50,000 (₹ 322.00 लाख) की वसूली हुई, जिसे कम्पनी ने तत्काल प्रशासन मंत्रालय के निदेशानुसार भारत सरकार के पास जमा कर दिया था। शिपमेंट में वेस्टलैण्ड हेलीकॉप्टर के कुछ आवश्यक पूर्जे कम्पनी की अभिरक्षा में है। द्वितीय शिपमेंट खरीददार द्वारा उठाए गए विवाद के कारण नहीं भेजा जा सका है। कम्पनी द्वारा खरीददार के खिलाफ करार की शर्तों के अनुसार विशिष्ट कार्यों तक ठेके संबंधी विभिन्न निबन्धनों के उल्लंघनों से हुई हानि की वसूली के लिए मध्यस्थता कार्यवाही प्रारंभ की गई है। यद्यपि क्रेता की वित्तीय स्थिति को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 13 अगस्त को याचिका का निपटारा मध्यस्थता के लिए कर दिया।

(घ) प्रथम शिपमेंट के अधीन किए गए लेन-देन को संपूर्ण बिक्री मानते हुए वर्ष के दौरान वेस्टलैण्ड आस्तियों की (लागत ₹ 5146.00 लाख, डब्ल्यू. डी.वी. ₹ 723.00 लाख) बिक्री के संबंध में आवश्यक लेखांकन समायोजन वर्ष 1999-2000 की लेखा बहियों में किया गया है। बेची गई इन्वेन्ट्री मदों के परिणामों का तथा मुंबई के माल गोदाम में रखी हुई इन्वेन्ट्री मदों के परिणामों का ब्यौरा अनुपलब्ध होने के कारण आकड़ों को औपबंधिक आधार पर लिया गया है। चूंकि वेस्टलैण्ड आस्तियों की बिक्री का ठेका इकमुश्त आधार पर किया गया है, मदवार बिक्री दाम की अनुपलब्धता में, प्रतिफल पाउंड स्टर्लिंग 4,50,000 (₹ 322.00 लाख) से 9 हेलीकॉप्टर, टेस्ट बेड तथा इन्वेन्ट्री मदों के कुल हासिल मूल्य को घटाकर निर्धारण किया गया है तथा इसे वित्त वर्ष 1999-2000 में लेखांकित किया गया है।

(ङ) पीएचएल के पश्चिमी क्षेत्र परिसर में रखे वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के भाग और इंवेंट्री मदों को वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान दिल्ली कार्यालय से मुम्बई स्थानांतरण के समय क्रेता द्वारा नियुक्त परिवहन द्वारा क्रेता के अनुदेशों से पथांतरित किया गया और मुंबई में माल गोदाम में पड़ी रही। वेस्टलैंड इंवेंट्री के प्रारंभिक अर्जन लागत तथा माल गोदाम में रखे हुए पूंजीगत मदों का मूल्य ₹ 3,250.00 लाख (ह्रासित मूल्य ₹450.00 लाख में)। माल गोदाम कंपनी और क्रेट फॉरवार्डरों द्वारा दायर एसएलपी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। इंवेंट्री मदों के सागर माल गोदाम निगम से कंपनी के पश्चिमी क्षेत्र में स्थानांतरण

का कार्य पूरा हो चुका है। तदनुसार आवश्यक अनुमोदन के उपरांत शेष वेस्टलैंड अस्तियों के निस्तारण के लिए कदम उठाए गए हैं अन्य इंवेंट्री मदों के साथ ऐसे हेलीकॉप्टर कंपनी में पड़े हैं। (जिन्हें बक्सों में रखा गया हैं परन्तु वर्ष के दौरान भौतिक सत्यापन नहीं किया गया) मिलकर दूसरे लादान का भाग बनाते है जिन्हें ₹ 647.00 लाख के बही मूल्य के अनुसार अग्रेनित किया गया है यद्यपि उपयुक्त अनुच्छेद IV (ख) के अनुसार पूर्णयता उपलब्ध कराया गया है। नागर विमानन मंत्रालय से संचालन समिति के पुनर्गठन का अनुरोध किया गया है। मंत्रालय ने शेष वेस्टलैंड आस्तियों के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट का निर्देश दिया है मूल्यांकन कर्ता के ₹25.73 लाख मूल्य दिया गया था। तथापि मंत्रालय ने पत्रांक दिनांक 7.11.2014 द्वारा अन्य मूल्यांकन कर्ता के द्वारा इन आस्तियों के पुर्नमूल्यांकन के लिए पुन: निर्देश दिया है। अन्य मूल्यांकन की नियुक्ति की जा रही है।

(V) **आवासीय फ्लैट/क्वार्टर्स**

(क) कम्पनी ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 25 वर्षों के लिए लीज पर दी गई भूमि पर 2002-03 के दौरान ₹ 2270.68 लाख की लागत से 242 फ्लैटों का निर्माण किया है तथा इसका उपयोग कर रहा है। कम्पनी ने 242 फ्लैटों में से 50 फ्लैटों को संयुक्त विकास करार के अधीन लीज भूमि की किराए के बदले में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को आबंटित किया है तथा परियोजना वास्तुविद द्वारा इन 50 फ्लैटों की निर्माण लागत ₹ 595.00 लाख वर्ष प्राक्कलित की गई है।

(ख) 1998 में कम्पनी ने कर्मचारियों के लिए एमएचएडीए, मुम्बई से 6 आवासीय फ्लैट खरीदे थे फ्लैट के स्वामियों तथा एमएचएडीए के बीच मुकदमेबाजी के कारण इन फ्लैटों को कम्पनी के नाम से पंजीकृत नहीं किया गया है हालांकि, कम्पनी ने वर्ष के दौरान अन्तिम आधार पर स्टॉप शुल्क और पंजीकरण प्रभार उपलब्ध कराया है और इस शर्त पर कि अंतिम भुगतान सोसाइटी के पक्ष में उचित कन्वेअन्स डीड का निष्पादन होने के पश्चात् किया जाएगा। कुछ सोसायटियों ने विभेदक कीमत निर्धारण के मुद्दे को लेकर एमएचएडीए, के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय में मुकदमा किया है। अत: इस स्थिति में स्टैम्प टयूटी और रजिस्ट्रेशन की राशि का निर्धारण कर पाना सम्भव नहीं है।

(ग) कम्पनी द्वारा लोखंडवाला कांस्ट्रक्शन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड से वर्ष 1991-1992 में कर्मचारियों के लिए 42 आवासीय फ्लैट खरीदे थे। निदेशक मंडल ने इन फ्लैटों को सार्वजनिक उपक्रमों को किराए पर देने का अनुमोदन किया है तथा तदनुसार, 29 फ्लैटों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 31 मार्च, 2014 का किराए पर दिया गया परन्तु अनुबंध करार की समय सीमा समाप्त हो गई है और लीज करार पर हस्ताक्षर लेने के प्रयास जारी है। किराए के भुगतान के रु. 45.61 लाख (टीडीएस का शुद्ध) दिनांक 25.08.2014 से प्राप्त हुआ है।

(VI) **स्थायी परिसंपत्तियाँ**

(क) यथास्थिति दिनांक 31.03.2014 ₹ 5615.03 लाख (गत वर्ष ₹ 4239.94) के सकल लागत से रोटेबल्स और ₹ 3309.18 लाख गत वर्ष (₹2863.15 लाख) की डब्लूडीवी अनुरक्षण के लिए विदेशी उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के पास पड़ी है। इनमें से 3645.10 लाख (गत वर्ष ₹1629.86 लाख) कर सकल लागत से रोटेबल्स ₹ 2249.48 लाख (गत वर्ष ₹ 1166.07 लाख) का डब्लूडीवी दिनांक 31 मार्च, 2014 के उपरांत वापस प्राप्त हो चुके हैं। शेष रोटेबल्स अब तक संबंधित पार्टियों के पास पड़े हैं इसकी पुष्टि प्राप्त की जानी है। मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) के प्रयास किए जा रहे है कि विधिवत मरम्मत किए अनुरक्षित मदों को भेजा जाए।

(ख) संविदाकर और कंपनी में मध्यस्था प्रक्रिया के लंबित निर्णय जो अब लंबित है के मध्य दिनांक 15.04.2010 से प्रयोग किए जा रहे नोएडा कार्यालय भवन को वर्ष 2010-11 में औपबंधिक रूप से ₹ 675.00 लाख पर पूंजीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त आपूर्तिकर्ता के पास लंबित

समापक भुगतान भवन के फनीर्चर और जुड़नार को ₹ 310.55 लाख (गत वर्ष ₹310.55 लाख) पर औपचारिक रूप से पूंजीकृत किया गया है।

(ग) स्थायी परिसंपतियों का भौतिक सत्यापन किया गया है और स्थायी परिसंपति रजिस्टर से मिलान की प्रक्रिया प्रगति पर है। बही और भौतिक शेष यदि कोई हो के मध्य अंतर के लिए समायोजन मिलान प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरांत किया जाएगा।

(घ) वर्ष के दौरान उधार लागत शून्य लाख रुपए (विगत वर्ष ₹ 61.37) की लागत से पूंजीकृत किया है।

(VII) कंपनी का विचार है कि चूंकि कंपनी के स्वामित्व वाले हेलीकॉप्टरों की उड़न योग्यता के लिए डी.जी.सी.ए द्वारा आवधिक/वार्षिक आधार पर सत्यापन किया गया है और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्त किया है, एतदर्थ हेलीकॉप्टरों के मूल्य हानि के लिए अलग अभ्यास पर विचार नहीं किया गया है।

(VIII) **इन्वेंट्री**

1. वर्ष के दौरान भौतिक सत्यापन के लिए पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित कमियाँ/अधिकता पायी गयी है:- ₹ लाख में

वर्तमान वर्ष		गत वर्ष	
कमियां	अधिकता	कमियां	अधिकता
26.28	43.29	38.36	8.04

भौतिक शेष और लेखा रिकॉर्ड का मिलान प्रगति पर है। मिलान के पश्चात् उचित समायोजिन किया जाएगा।

2. समीक्षाधीन वर्ष की अनुमोदित लेखा नीति के अनुसार अचल सामग्री, रक्षित, उपभोज्य प्रावधानों की इंवेंट्री की समीक्षा पर ₹ 575.99 लाख (विगत वर्ष ₹ 231.50 लाख) प्राप्त किए गए।

(IX) 1. उत्तरी क्षेत्र में प्राप्तियों के मामले में यह पाया गया है कि ₹ 2954.33 लाख (विगत वर्ष ₹ 963.99 लाख) की राशि के तीन वर्षों से अधिक के बिल मुख्यत: विभिन्न राज्य सरकारों के है। ₹ 2954.33 लाख के आंशिक भुगतान की राशि के बिल के मामले में 1384.05 लाख प्राप्त किया गया है। ₹ 71.99 लाख (विगत वर्ष ₹44.01 लाख) का प्रावधान संभव सांदिग्ध प्राप्तियों के लिए बही में किया गया है। बकाए बिल के लिए तगादा किया जा रहा है और प्रबंधन का दृष्टिकोण है कि केन्द्र/राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्रों से अधिकांश पुराने बकाए की वसूली तय समय में की जाएगी।

2. पश्चिमी क्षेत्र में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ ₹ 130.00 लाख का कारनेट जमा है जिसमें से 107.53 लाख की राशि का बिल (गत वर्ष 107.53 लाख) प्राप्त हुआ और दिनांक 31.03.2008 तक खाते में बुक किया गया है। ₹ 22.46 लाख (गत वर्ष ₹ 22.46 लाख) की राशि के शुद्ध शेष का आई.ओ.सी लिमिटेड से मिलान प्रक्रियाधीन है और जिन्हें दीर्घावधि ऋण और अग्रिमों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिसके विरुद्ध ₹ 22.46 लाख (गत वर्ष 22.46 लाख) का प्रावधान वर्ष के दौरान किया गया है।

3. कंपनी ने "हाई सी सेल्स" के आधार पर पार्टी से स्पेयर पार्ट खरीदे है जो कि पी.एच.एल हेतु माल आयात करती है। कोटेशन विदेशी मुद्रा में प्राप्त की जबकि भुगतान भारतीय रुपये में जारी किया गया। 'हाई सी सेल्स' की स्थिति में बिल क्रय दर विदेशी मुद्रा की आई.एन.आर में 'हाई सी सेल्स' के अनुबंध की हस्ताक्षरी दिनांक को विजया बैंक द्वारा प्रदान किया गया को सप्लायर को भुगतान देने के लिए माना जाएगा।

(X) सुरक्षित ऋण

क्रम संख्या	ऋणदाता	सीमा/ संस्वतीकृत तिथि (₹/ लाख)	31.3.2014 तक आहरण गिरावट (₹/लाख)	31.3.2014 तक पुनः भुगतान (₹/लाख)	ब्याज दर (मासिक अंतराल)	भुगतान आ. सू.ची	प्रतिभूति
1.	ओ.एन.जी.सी	27500.00 12/08/2010	16516.00 (9,585.00 शुद्ध इक्विटी में परिवर्तित)	9333.07	एस.बी.आई आधार दर राशि 1.5 प्रतिशत	60 समान मासिक किश्त	अदद 7 नए डॉफिन, एन 3 हेलीकॉप्टरों का दृष्टि बंधकीकरण
नोट: फ्रांस यूरोकॉप्टर से अर्जित 7 नए डॉफिन हेलीकॉप्टरों की लागत के 80 प्रतिशत वित्त पोषण के लिए अगस्त, 2010 में ऋण का बेचान किया गया।							
2.	विजया बैंक और एक्सिक बैंक संघीय ऋण						
(क)	विजया बैंक/रुपए मियादी ऋण अंतर्गत	9518.00 10/01/2012	9518.00	1057.56	एस.बी.आई. आधार दर + 1.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष + 0.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष (टीपी)	36 तिमाही किस्ते	अदद 2 नए एमआई-172 हेलीकॉप्टरों का दृष्टि बंधकीकरण
(ख)	एक्सिम बैंक/रुपए मियादी ऋण	9082.00 10/01/2012	8466.94	1411.16	एस.बी.आई आधार पर + 1.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष	36 तिमाही किस्ते	अदद 2 डॉफिन हेलीकॉप्टरों का दृष्टिबंधीकरण
नोट: हेलीकॉप्टरों की लागत के 80 प्रतिशत की सीमा तक बाहरी ऋण के माध्यम से वित्त पोषण के रूप में इन ऋणों को बैंकों द्वारा संस्वीकृत किया गया। यद्यपि पुर्नभुगतान के लिए कंपनी की देयता रूपए के शर्ताधीन विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव से तटस्थ है।							
3.	एन.टी.पी.सी लि.	5430.00 29/04/2010	5283.63	819.95	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष	120 समान मासिक किस्त	अदद डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टरों का दृष्टिबंधीकरण
नोट: वित्त पोषण समझौता एन.टी.पी.सी को एक वर्ष के लिए डॉफिन एन 3 के समक्ष भारित पट्टे पर है तथा उसके पश्चात् 10 वर्षों की अवधि के लिए नए डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टर भारित पट्टे पर है ।							

(XI) यथास्थिति दिनांक 31 मार्च, 2014 शेष की पुष्टि के लिए विविध देनदार और ऋण और अग्रिमों/जमाओं को परिचालित किया गया था परन्तु सीमित प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी। जबकि अधिकांश मामलों में ऋण की उगाही तब से की जा चुकी है।

(XII) **<u>कर्मचारियों के पारिश्रमिक और अन्य वित्त लाभ</u>**

(क) गैर-अधिकारी, गैर-तकनीकी कर्मचारियों के साथ 16.08.2011, गैर अधिकारी तकनीकी कर्मचारी के साथ दिनांक 16.07.2012 और अधिकारियों के साथ दिनांक 11.12.2012 को वेतन पुनरीक्षण समझौते के अनुवर्ती कंपनी ने ₹2746.34 लाख (गत वर्ष ₹ 2745.22 लाख) का प्रावधान दिनांक 31.03.2014 तक किया है। विगत वर्ष और चालू वर्ष में संवितरण किया जा चुका है, जिससे ₹ 37.24 लाख (गत वर्ष 697.11 लाख) बचता है जिन्हें अगले वर्ष में समुचित समायोजनों के लिए अग्रेनित किया गया है।

(ख) ₹ 2,275.74 लाख (गत वर्ष ₹ 1,818.71 लाख) की रकम प्रावधान पेंशन के लिए विगत वर्ष में किए जाने और ₹ 407.03 लाख (गत वर्ष 403.40 लाख) का चालू वर्ष में किए जाने के संबंध में कंपनी इस देयता के निधियन के लिए किसी योजना के अंतर्गत संभावना की तलाश कर रही है जिसे अभी अंतिम रूप दिया जाना है। पेंशन योजना एक निरूपित योजना है। जहां कंपनी की देयता वेतन के प्रतिवर्ष 10% के बराबर है जिस पर भविष्य निधि योगदान किया जाता है।

(ग) वर्ष के दौरान कंपनी ने प्राक्कलित आधार पर पायलटों और इंजीनियरों के लिए लाइसेंस संबंधित भत्तों की ₹ 1104.78 लाख (गत वर्ष ₹ 1024.60) राशि उपलब्ध करायी है।

(घ) **सेवानिवृत्त लाभ योजना**

1. **भविष्य निधि के लिए अंशदान**

कंपनी योग्य कर्मचारियों को सीमांकित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजना के अंतर्गत भविष्य निधि अंशदान प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत कंपनी को मूल वेतन के एक विनिर्दिष्ट प्रतिशत का अंशदान निधि लाभ के लिए करना अपेक्षित है। विधि के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अंशदान का भुगतान कंपनी द्वारा स्थापित भविष्य निधि न्यास को किया जाता है। कंपनी मासिक अंशदान और भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम दरों पर आधारित निधि अस्तियों में किसी भी प्रकार की कमी के लिए उत्तरदायी है। ऐसे अंशदान एवं कमियां यदि कोई हो का व्यय भुगतान वर्ष में किया जाता है।

2. **उपदान**

कंपनी के पास एक सुनिर्धारित लाभ उपदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच वर्ष या उससे अधिक की अनवरत् सेवा प्रदान की हो वह सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, सेवासमाप्ति, नि:शक्ल: या मृत्यु पर अधिकतम ₹ 10 लाख के विषयाधीन उपदान के योग्य है। कंपनी द्वारा उपदान योजना का निधियन किया जाता है जिसका प्रबंध पृथक न्यास द्वारा किया जाता है। इसका दायित्व एक्चूरियल मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

3. **सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना (पीआरएमबीएस)**

कंपनी में सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना है जिसके अंतर्गत किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसके/उसकी पति/पत्नी को पैनल में शामिल अस्पताल में कंपनी द्वारा निर्धारित उच्चतर सीमा के विषयाधीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। इसके देयता का मूल्यांकन एक्चूरियल आधार पर किया जाता है।

4. **अवकाश (अर्जित अवकाश/अर्द्ध वेतन अवकाश)**

कंपनी के कर्मचारियों के लिए कंपनी अर्जित अवकाश लाभ (कंपेंसेटेड एब्सेन्स को सम्मिलित करते हुए) और अर्द्ध वेतन अवकाश उपलब्ध कराती है जो वर्ष में क्रमश: 30 दिन और 20 दिन है। अर्द्ध वेतन अवकाश 50 वर्ष की आयु के पश्चात् छोड़ते समय अधिकतम 240 दिनों के लिए भुनाने योग्य है और अर्द्ध वेतन

अवकाश के कम्यूटेशन की अनुमति नहीं है। इसके दायित्व की पहचान एक्चूरियल वेल्यूएशन आधार पर की जाती है।

5. **सेवानिवृत्ति के समय बैगेज भत्ता**

बैगेज भत्ता इंगित करता है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात् कर्मचारी, परिवार के सदस्य के लिए यात्रा और भारत में किसी स्थान पर समान रूप से स्थानांतरण के लिए जहां कर्मचारी सेवानिवृत्ति उपरांत बसना चाहता है। एक्यूरियल वैल्यूएशन के आधार पर इसकी देयता को समान रूप से मान्य किया जाता है।

6. निम्नलिखित सारणी वित्तीय विवरणों में मान्य सेवानिवृत्ति लाभ-योजना की स्थिति निरूपित करता है।

	2013-2014			2012-2013		
विवरण	**आरंभिक देयता (₹ / लाख)**	**वर्ष के दौरान सृजित समायोजित (₹/लाख)**	**अंतिम देयता (₹/लाख)**	**आरंभिक देयता (₹/ लाख)**	**वर्ष के दौरान सृजित समायोजन (₹/लाख)**	**अंतिम देयता (₹/लाख)**
अर्जित अवकाश	1353.29	126.90	1480.19	1252.12	101.17	1353.29
अर्द्ध वेतन अवकाश	556.51	36.49	593.00	499.95	56.56	556.51
सेवानिवृत्ति उप. रांत चिकित्सा लाभ योजना	409.63	119.97	529.60	309.89	99.74	409.63
सेवा निवृत्ति के समय बैगेज भत्ता	13.57	0.65	14.22	12.00	1.57	13.57
योग	**2333.00**	**284.01**	**2617.01**	**2073.96**	**259.04**	**2333.00**

7. यथास्थिति दिनांक 31 मार्च, 2014 एक्च्यूरियल वैल्यूएशन के आधार पर वित्तीय विवरणों में मान्य सीमांकित लाभ योजना नीचे वर्णित है:-

		2013-2014			2012-2013		आंकड़े ₹/लाख
	विवरण	अवकाश नकदीकरण (अछु व अवेछु अनिधिबद्ध)	बैगेज भत्ता/ पीआरएमबी एस (अनिधिबद्ध)	उपदान (निधिबद्ध)	अवकाश नकदीकरण (अछु एवं अवेछु) (अनिधिबद्ध)	बैगेज भत्ता पीआरएमबी एस (अनि धिबद्ध)	उपदान (निधि बद्ध)
(क)	**दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन**						
i.	अवधि के प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1909.80	423.20	2964.06	1752.08	321.88	2615.75
ii.	ब्याज लागत	152.78	33.86	237.13	140.18	25.76	209.26
iii.	पूर्व सेवा लागत	–	–	–	–	–	–
iv.	चालू सेवा लागत	133.94	16.40	171.55	130.99	12.90	164.30
v.	उपह्रास/निपटान लागत	–	–	–	–	–	–
vi.	भुगतान किया गया लाभ	(181.94)	(12.02)	(159.88)	(258.63)	(18.73)	(151.54)
vii.	दायित्व/बाध्यता पर ऐक्चूरियल (अभिलाभ/हानि) संतुलित अंक	58.60	82.39	(82.90)	145.20	81.39	126.29
viii.	अवधि की समाप्ति पर दायित्व/ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	2073.19	543.82	3129.97	1909.80	423.20	2964.06
(ख)	**नियोजित परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**						
i.	अवधि के प्रारंभ में नियोजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–	3145.57	–	–	3044.89
ii.	नियोजित परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	–	–	262.65	–	–	251.81
iii.	अंशदान	–	–	–	–	–	–
iv.	भुगतान किया गया लाभ	–	–	(159.88)	–	–	151.54
v.	दायित्व पर ऐक्चूरियल अभिलाभ/ (हानि)	–	–	0.28	–	–	0.55
vi.	अवधि के समाप्ति पर नियोजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–	3248.63	–	–	3145.71
(ग)	**तुलन-पत्र में अभिज्ञान हेतु राशि**						
i.	अवधि के प्रारंभ में दायित्व/बाध्यता का वर्तमान मूल्य	2073.19	543.82	3129.97	1909.80	423.20	2964.06
ii.	अवधि की समाप्ति पर नियोजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–	3248.63	–	–	3145.71
iii.	तुलन-पत्र में अभिज्ञान किए गए शुद्ध परिसंपत्तियां/दायित्व	(2073.19)	(543.82)	118.66	(1909.80)	(423.20)	181.65
(घ)	**लाभ एवं हानि में अभिज्ञान हेतु राशि**						
i.	वर्तमान सेवा लागत	133.94	16.40	171.55	130.99	12.90	164.30
ii.	पूर्व सेवा लागत	–	–	–	–	–	–
iii.	ब्याज लागत	152.78	33.86	237.13	140.18	25.76	209.26
iv.	नियोजित परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	–	–	(262.65)	–	–	(251.81)
v.	अपह्रास/निपटान लागत	–	–	–	–	–	–
vi.	अवधि में अभिज्ञान शुद्ध ऐक्चूरियल अभिलाभ/हानि	58.60	82.39	(83.17)	145.20	81.39	125.75
vii.	लाभ हानि विवरण में अभिमान व्यय	345.33	132.65	62.85	416.37	120.04	274.49

कर्मचारी लाभों का निर्धारण करने में उपयोग की गई मूल धारणा इस प्रकार है:-

विवरण	सभी कर्मचारियों लिए अछु एवं अवेछु (अनिधिबद्ध)	सभी कर्मचारियों के लिए बैगेज भत्ता/पीआरएमबीएस (अनिधिबद्ध)	उपदान (निधिबद्ध)
छूट दर	8.00%	8.00%	8.00%
नियोजित परिसंपत्तियों पर रिटर्न की संभावित दर	-	-	8.27%
भविष्य में लागत वृद्धि/वेतन एस्केलेशन दर	6.00%	6.00%	6.00%
सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष
अपघर्षण दर:			
आयु (वर्ष) 30 वर्ष तक	3.00%	3.00%	3.00%
44 वर्ष तक	2.00%	2.00%	2.00%
44 वर्ष से अधिक	1.00%	1.00%	1.00%

उपर्युक्त सूचना एक्च्यूरी द्वारा यथा सत्यापित और लेखा परीक्षकों द्वारा स्वीकृत हैं:-

8. उपदान न्यास के मामले में कुल योजना आस्तियों का निवेश इस प्रकार है:-

क्र.स.	योजना आस्तियों की मुख्य श्रेणियां	31 मार्च, 2014 तक	31 मार्च, 2013 तक
		कुल योजना आस्तियों का %	
1.	सरकारी प्रतिभूतियां/आरबीआई के साथ विशेष जमा	58.97	62.80
2.	उच्च गुणवत्ता के कोरपोरेट बॉड	26.69	28.28
3.	बीमा कंपनियाँ	शून्य	शून्य
4.	म्यूचुअल फंड	शून्य	शून्य
5.	नकद एवं नकद समतुल्य बैंक राशि	7.37	0.75
6.	मियादी जमा	6.63	7.55
7.	इक्विटी	0.34	0.62

9. **पेंशन**

पेंशन अंशदानों के लिए नोट सं XIV (ख) में उल्लेख मिलेगा।

10. उपदान व्ययों को भविष्य निधि तथा उपादान निधियों में मान्यता दी गई है और पेंशन व अवकाश के नकदीकरण को वेतन तथा मजदूरी के अंतर्गत नोट 24 के अंतर्गत रखा गया है।

XIII. **इंश्योरेंस दावा**

(क) दिनांक 28 जून 2013 को डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टर निबंधन संख्या वीटी-पीएचजेड दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जब हेलीकॉप्टर उत्तराखंड में मातेली से हरसील तक राहत अभियान पर था। एयरक्रॉफ्ट के पिछले हिस्से में क्षति की रिपोर्ट की गई। घटना की सूचना न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि. को दी गई है जिनके पास हेलीकॉप्टर बीमित है। क्षति के कारण आंकलित मरम्मत लागत की निश्चित के मूल्यांकन के जाँच/निरीक्षण के उपरांत और बीमा सर्वेक्षक डीजीसीए से क्लीयरेंस मिलने के बाद हेलीकॉप्टर की मरम्मत पूरी हो गई और हेलीकॉटर ने दिनांक 14/10/2014 से उड़ान भरना प्रारंभ कर दी है। इंजीनियरिंग विभाग जनघंटों का प्रयोग, विदेशी मरम्मत भाड़े, हेलीकॉप्टर के पुनः निर्माण के लिए खरीद/प्रयोग किए स्पेयर्स पार्ट के आंकडे संकलित कर रहा है और आवश्यक इंश्योरेंस दावे, इंश्योरेंस कंपनी को जमा किए जाएँगे।

(ख) ₹ 875.00 लाख के लिए बीमित एक बेल हेलीकॉप्टर (बीटीपीएचएच) ने कटरा, जम्मू व कश्मीर में दिनांक 30 दिसम्बर, 2012 को एक हार्ड लैंडिंग बिना किसी अपघात के की। बीमा कंपनी ने हमारे द्वारा ₹ 875.00 लाख के दावे की अपेक्षा बीमा कंपनी ने नीति के शर्तों के अनुसार ₹ 40 लाख की कटौती के पश्चात् ₹ 835.00 करोड़ के लिए दावा स्वीकार किया है। बीमा कंपनी ने ₹ 686.00 लाख जारी किए तथा शुद्ध भुगतान राशि 835.00 लाख में से ₹ 149 लाख रोक लिए जब तक की प्रतिफल का अंतिमतः निपटान न हो और शेष राशि का पीएचएल को भुगतान किया जाएगा। पहंलि ने शेष राशि ₹ 149 लाख तत्काल भुगतान करने का मामला बीमा कंपनी के समक्ष उठाया है।

XIV. **कराधान**

(क) दिनांक 31/03/2007 से दिनांक 31/03/2014 को समाप्त वर्षों के लिए कर योग्य हानि को देखते हुए कंपनी आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 115 जे बी के अंतर्गत न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) के लिए देय है। कंपनी ने ₹ 5422.05 लाख की रकम के एमएटी का भुगतान तीन वर्षों में किया है। जिसमें ₹ 1411.12 चालू वर्ष में सम्मिलित है, जिसमें से ₹ 452.36 लाख के भुगतान स्व मूल्यांकन के अधीन शामिल है। यद्पि कंपनी द्वारा भुगतान किए एमएटी भविष्य में दस वर्षों में सामान्य आयकर दायित्वों के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है। विवेक के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान एम ए टी के क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए निर्णय लिया है कि यह सामान्य कर दायित्वों से कटौती के लिए पात्र होगा।

(ख) आयकर विभाग से वापस की गई उगाही समायोजित की जाने वाली ₹ 6847.63 लाख (गत वर्ष ₹ 7402.68 लाख) की राशि "दीर्घावधि ऋणों और अग्रिमों" के अंतर्गत दर्शाए गए हैं और ₹ 6567.60 लाख (गत वर्ष ₹ 6521.26 लाख) मूल्यांकन पूर्ण करने से संबंधित मूल्यांकन दिनांक 31/03/12 के समाप्त वर्ष तक किया गया और अब तक 771.92 लाख (गत वर्ष ₹ 881.42 लाख) से संबंधित निर्धारण पूरा किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्वमूल्यांकन के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में रुपए 491.89 लाख (अनंतिम) भुगतान योग्य है। पूर्ण निर्धारण से संबद्ध ₹ 6567.60 लाख (गत वर्ष ₹ 6521.26 लाख) के मामले की राशि की वापसी की जाती है या अतिरिक्त कर देयता यदि कोई हो की इस स्तर पर मात्रा

निर्धारण नहीं की जा सकती है।

कंपनी ने आयकर अपील न्यायाधिकरण में निर्धारण अधिकारी द्वारा किए प्रतिबंध के विरूद्ध अपील दर्ज कराई है और सीआईटी (अपील) द्वारा पुष्टि की गई है। ये अपीलें मुख्यत: कंपनी के केन्द्र सरकार/वित्तीय वर्ष 31.03.1997 से 31.03.2002 के लिए कर मुक्त बांड पर ब्याज के लिए देय ब्याज के दावे से संबंधित हैं। भारत सरकार की राशियों पर ब्याज की छूट के लिए (नोट सं. 28 (iii) देखें) कंपनी के अनुरोध पर सरकार का निर्णय लंबित है, अतिरिक्त कर देयता की राशि या वापसी यदि कोई हो जो कंपनी पर बकाया हो सकती है इस स्तर पर गणना योग्य नहीं है।

(ग) लेखा मानक (एएस 22) आय पर करों के लिए लेखा के प्रावधानों के अनुरूप कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2012-13 के लिए संचयी कर योग्य हानियों का पुनर्मूल्यांकन किया है। पूर्व की लाभप्रदता की जाँच के आधार पर भविष्य के लिए लाभ प्रक्षेपण का आंकलन और परिणामी वर्षों में आस्थगित कर देयता का व्युत्क्रमण और बुद्धिमतापूर्ण विषय के रूप में ₹ 14346.11 लाख (गत वर्ष रुपए 11148.93 लाख) की सीमा तक संचयी अनावशोषित मूल्यह्रास को चालू वर्ष में आस्थगित कर आस्तियों के लिए ऋण लेने के रूप में मान्यता दी गई है। कर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम 1961 के अनुच्छेद 143 (3) के अंतर्गत आंकलन वर्ष 2011-12 तक अनावशोषित मूल्यह्रास को सम्मिलित करते हुए कर योग्य हानि का आंकलन किया गया है।

तदनुसार एएस22 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 तक के ₹ 4644.44 लाख (गत वर्ष ₹ 3887.59 लाख) की राशि के शेष अनावशोषित मूल्यह्रास पर आस्थगित कर आस्तियों की समीक्षा उत्तरवर्ती अवधि में की जाएगी।

(घ) प्रधान कार्यालय में इनपुट सेवाओं पर सेवा कर के दावे के मामले में परीक्षण किया जा रहा है और राशि के परिमाण का निर्धारण करने के लिए और आउटपुट सेवाओं के विरुद्ध दावे के क्रेडिट के लिए समुचित कदम उठाए जाने है।

(XV) **<u>लागत पर इक्विटी शेयर (गैर सूचीबद्ध) में निवेश</u>**

कंपनी ने वर्ष 2009-10 के दौरान ₹ 289.34 लाख का निवेश इक्विटी अंशदान (गैर सूचीबद्ध) के द्वारा राष्ट्रीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान प्रा. लि. गोंदिया, महाराष्ट्र में किया था। निवेशित कंपनी ने यथास्थिति दिनांक 31.03.2012 तक ₹ 6468.52 लाख की प्रदत्त शेयर पूंजी के विरुद्ध ₹ 1789.44 लाख की हानि आंकलित की है। तथापि संस्थान में दीर्घावधि के हित पर विचार करते हुए इस निवेश के लिए क्षति पर प्रावधान नहीं किया गया है।

XVI. **<u>हेलीपोर्ट परियोजना</u>**

₹ 6400.00 लाख प्राक्कलित राशि से नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) की ओर से सरकार ने कंपनी द्वारा रोहिणी, नई दिल्ली में हेलीपोर्ट के निर्माण को अनुमोदन प्रदान किया है जिसका निधियन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(i) भूमि की लागत के पक्ष में सरकार द्वारा अनुदान के रूप में ₹ 1900.00 लाख

(ii) संसाधनों के विकास की लागत के 80% के पक्ष में सरकारी इक्विटी का कुल योग ₹ 3600.00 लाख

(iii) परियोजना लागत के 20% के रूप में ₹ 900.00 लाख का कंपनी योगदान।

हेलीपोर्ट परियोजना लागत के पक्ष में भारत सरकार के इक्विटी योगदान के रूप में कंपनी ने मार्च, 2014 तक ₹ 3600.00 लाख प्राप्त किए।

दिनांक 31.03.2014 तक परियोजना पर किए गए व्यय नीचे संक्षेप में हैं-

(आंकड़े ₹/लाख में)

विवरण	31.3.2014	31.3.2013
भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित-भूमि की लागत	1900.00	1900.00
भारत सरकार द्वारा गैर वित्त पोषित-भूमि की लागत	7.01	7.01

अभिकल्पन और परियोजना की आयोजन के लिए परामर्शदाताओं को भुगतान	44.18	44.18
सीडब्ल्यूआईपी चाहरदीवारी आदि पर व्यय सहित	253.87	251.53
योग	**2205.06**	**2202.72**
भारत सरकार से प्राप्त राशि	5500.00	5500.00
परियोजना के लिए निश्चित की गई निधि के रूप में बैंक के पास निवेश की गई सावधि जमा राशि	3294.94	3297.29

XVII. **<u>हडस्पर, पुणे में हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण अकादमी सह हेलीपोर्ट</u>**

कंपनी को डीजीसीए के स्वामित्व वाले हडस्पर, पुणे स्थिर वर्तमान ग्लाइडिंग सेंटर में हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण अकादमी सह हेलीपोर्ट के विकास का कार्य सौंपा गया है। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अनुमोदित किया गया था। डीजीसीए ने इस उद्देश्य से अप्रैल, 2010 में ₹ 1000.00 लाख की राशि जारी की थी। उक्त अग्रिम में से दिनांक 31.03.2014 तक किए व्यय नीचे दिए गए हैं:

	विवरण	31/3/2014 तक	31/3/2013 तक
क	– अप्रैल, 2010 में डीजीसीए से प्राप्त अग्रिम	1000.00	1000.00
	– कुल प्रोद्भूत और अर्जित ब्याज	190.48	179.86
	कुल निधि	1190.48	1179.86
ख	– एनबीसीसी को संवितरित राशि	1040.00	945.34
	– परियोजना लागत के लिए कंपनी द्वारा प्रोद्भूत राशि	26.68	26.65
	कुल संवितरण/व्यय	**1066.68**	**971.99**
ग	**बैंक के पास उपलब्ध शेष**		
	– चालू खाते में	4.39	39.51
	– सावधि जमा में	100.00	150.00
	– अर्जित ब्याज	19.40	18.36
	योग	**123.78**	**207.87**

XVIII. **<u>निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व/सतत विकास निधि</u>**

1. विगत वर्षों में कंपनी ने भारत सरकार, लोक उपक्रम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कर पश्चात लाभ निगमित और सतत विकास निधि सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए निम्नानुसार प्रावधान सृजित किए हैं:-

वित्तीय वर्ष	कर पश्चात लाभ (₹/ लाख में)	सीएसआर के लिए प्रावधान (₹/लाख में)	प्रोद्भूत व्यय (₹/लाख में)
2009-10	3558.86	124.56	23.51
2010-11	1850.60	64.78	0.00
2011-12	(1035.12)	0.00	0.00
2012-13	1169.82	35.09	0.00
योग		224.43	23.51

₹ 200.92 लाख (गत वर्ष ₹ 165.83 लाख) का अप्रयुक्त शेष भविष्य के उपयोग के लिए अग्रेनित की गई है।

2. वर्ष के दौरान कंपनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत् विकास निधि के लिए 2013-14 वर्ष के लिए डीपीई कार्यालय ज्ञापन सं. 15(7)/2012 डीपीई जीएल-104 दिनांक 12-04-2013 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कुल ₹ 35.09 लाख का प्रावधान किया है।

XIX. <u>परिचालन लीज के लिए दायित्व</u>

रद्द परिचालन लीजों के मामले में ₹ 478.54 लाख (गत वर्ष ₹ 546.34 लाख) के किराया व्ययों को लाभ और हानि की विवरणी में प्रभारित किया गया है। कंपनी ने गैर रद्दीकरण परिचालन हानियों में प्रवेश नहीं किया है।

XX. लक्षद्वीप डिटेचमैंट में वित्तीय अनियमिताएँ रिपोर्ट की गई है। सतर्कता विभाग ने जाँच संचालित की है और प्रबन्धन को रिपोर्ट सौंपी है। सतर्कता विभाग

द्वारा रिपोर्ट की गई अनुमानित वित्तीय हानि ₹ 129.21 लाख में समीक्षाधीन वर्ष में रुपए 89. 12 लाख का प्रावधान सृजित किया गया है। ₹ 89.12 लाख का आकड़ा अनुमानित कुल शशि ₹ 129.91 लाख में से है, तथा प्रबंधन ने ₹ 40.09 लाख की राशि कर्मचारियों को भुगतान योग्य यात्रा बिलों/क्रेडिट/सपोर्टिंग/इनवॉयस आदि ट्रैस आउट किया है तथा शेष राशि ₹ 89.12 लाख प्रावधानित है।

XXI. प्रावधान

(आंकड़े ₹./लाख में)

विवरण	01.04 .2013 को आदि शेष	वर्ष के दौरान सृजित	वर्ष के दौरान उपयोग/ अन्य समायोजन/ अन्तरण/ परावर्तन	31.03. 2014 को अंत शेष
आस्तियों की हानि	1602.73	11.80	6.02	1608.51
पेंशन सहित दिनांक 01.01. 2007 से वेतन एवं भत्तों के पुनरीक्षण के लिए प्रावधान	2989.65	408.15	1121.30	2276.50
पायलट एवं इंजीनियरों के लाइसेंस सम्बन्धित भत्तो के भुगतान हेतु प्रावधान	1024.60	1104.78	–	2129.38
संदेहास्पद ऋण/ अग्रिम	1353.42	32.85	106.70	1279.57
अचल इंवेंट्री/ जीवन कालातीत मदें, आदि	1659.47	602.27	15.07	2246.67
लक्ष्द्वीप डिटेचमेंट की हानि के लिए प्रावधान	–	89.12	–	89.12
लाभांश	233.96	771.33	233.96	771.33
लाभांश पर कारपोरेट कर	39.76	154.22	39.76	154.22

XXII. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

यथा अपेक्षित लेखांकन मानक-18 'संबधित पार्टी प्रकटीकरण' आईसीएआई द्वारा जारी प्रावधान निम्नवत है:-

(क) **प्रमुख प्रबंधन कार्मिक**

श्री अनिल श्रीवास्तव, भा.प्र.से., संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पवन हंस लिमिटेड, 23.03.2012 (अपराह्न) से।

(ख) **लेन देन (अंतरण)**

(1) श्री अनिल श्रीवास्तव, भा.प्र.से. वेतन: रुपए शून्य

(ग) ओएनजीसी लिमिटेड - इक्विटी अंशधारण-49% ₹ 12,035.00 लाख

अंतरण	वित्तीय वर्ष 2013-14	वित्तीय वर्ष 2012-13
	₹/लाख में	₹/लाख में
हेलीकॉप्टर किराया प्रभार	19494.36	19481.11
परिचालन एवं अनुरक्षण अनुबंध से प्राप्त आय	–	207.40
31 मार्च तक कारोबार प्राप्य (डेबिट)	9060.14	3240.43
सुरक्षित ऋण (प्राप्त)	–	–
चुकाया गया ऋण (मूल धन की राशि)	3134.00	2629.75
प्रदत्त ब्याज	1007.94	1340.24
बकाया ऋण (मूलधन की राशि)	7182.93	10561.73
31 मार्च तक उपचित ब्याज	–	98.58

XXIII. प्रति शेयर आय की निम्नानुसार संगणना की गई है:

	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2013
कर पश्चात् शुद्ध लाभ/(हानि)	₹ 3856.65 लाख	₹ 1169.82 लाख
बकाया इक्विटी शेयर के औसत की संख्या	2,45,616	2,45,616
प्रति शेयर आय (मूल तथा डाईलूटेड)	रुपए 1570	रुपए 476
₹ 10,000/- प्रति शेयर अंकित मूल्य		

XXIV. अतिरिक्त सूचनाएं

(क) प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक (वित्तीय बट्टे खाते

डालने के बाद)

		₹/लाख में
	31 मार्च, 2014	**31 मार्च, 2013**
(i) भंडार, पुर्जे व उपभोज्य मदें (शुद्ध)	5,240.24	6,577.75
(ii) परीक्षण संयंत्र/ग्राउंड सपोर्ट उपस्कर	44.54	59.25
(iii) मार्गस्थ माल	190.25	24.84
(iv) निरीक्षण के अधीन स्टॉक	13.25	53.69
(v) एटीएफ	25.52	12.00
योग	**5,513.80**	**6,727.53**

(ख) सीआईएफ आधार पर परिकलित आयातित सामग्री:

		(₹/लाख में)
	31 मार्च, 2014	**31 मार्च, 2013**
i) हेलीकॉप्टर एवं उपकरण	–	12,469.19
ii) भंडार, पुर्जे व उपभोज्य मदें	619.16	1,377.52
iii) एयरफ्रेम एवं एयरो इंजन उपस्कर रोटेबल्स	667.10	1,501.89
iv) परीक्षण औजार/ग्राउंड सपोर्ट उपस्कर/खुले औजार	20.91	105.89
v) मार्गस्थ माल/निरीक्षणधीन माल	51.88	73.01
vi) पूंजीगत सामान/अन्य मदें	16.52	70.56
योग	**1,375.57**	**15,598.06**

(ग) वित्त वर्ष के दौरान व्यय की गई विदेशी मुद्रा:

		(₹/लाख में)
	31 मार्च, 2014	**31 मार्च, 2013**
i) हेलीकॉटर एवं उपकरण	–	12,112.81
ii) भंडार, पुर्जे व उपभोज्य मदें	597.01	1,358.56
iii) एयरफ्रेम एवं एयरो इंजन उपस्कर रोटेबल्स	660.79	1,491.99
iv) परीक्षण औजार/ग्राउंड सपोर्ट उपस्कर/खुले औजार	20.74	105.46
v) विदेश यात्रा/विदेश प्रशिक्षण	4.21	216.66
vi) मार्गस्थ माल/निरीक्षणाधीन माल	51.67	72.62
vii) मरम्मत प्रभार	8,350.04	6,195.96
viii) पूंजीगत सामान/अन्य मदें	18.07	59.39
योग	**9,702.53**	**21,613.45**

(घ) आयातित और विदेशी कलपुर्जों व अतिरिक्त पुर्जों (खुले औजारों के बट्टे खाते को मिलाकर) की खपत का मूल्य:

	मूल्य (₹ लाख में)		**प्रतिशत**	
	31 मार्च, 2014	**31 मार्च, 2013**	**31 मार्च, 2014**	**31 मार्च, 2013**
आयातित	1,912.97	2,295.32	95.6%	95.9%
स्वदेशी	97.68	97.63	4.4%	4.1%
योग	**2010.65**	**2392.95**	**100.0%**	**100.0%**

(ङ) वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में आय

		₹/लाख में
	31 मार्च, 2014	**31 मार्च, 2013**
हेलीकॉप्टर किराया प्रभार	11,287.51	9,688.87
	11,287.51	9.688.87

(च) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक

		(₹/लाख में)
	31 मार्च, 2014	**31 मार्च, 2013**
i) वेतन, भत्ते तथा परिलब्धियाँ, भविष्य निधि तथा उपदान	शून्य	शून्य

XXV. कंपनी पर तुलन पत्र की तिथि पर सूक्ष्म व लघु उद्योग का 30 दिनों से अधिक का कोई बकाया देय नहीं है।

XXVI. चूंकि सामान्य परिचालन चक्र को परिभाषित करना संभव नहीं है इसके लिए 12 माह की अवधि की परिकल्पना की गई है और आस्तियों और देयताओं का दीर्घावधि और अल्पावधि में वर्गीकरण तदनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI (संशोधित) के आशय से की गई है।

XXVII. **सेगमेंट रिपोर्टिंग**

कंपनी के पास मात्र एक सेंगमेंट हैं जिसमें हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराना शामिल है। लेखांकन मानक-17 के अनुसार सेगमेंट रिर्पोटिंग कंपनी पर प्रयोज्य नहीं है।

XXVIII. दिनांक 14.01.2013 के प्रभाव से कंपनी का नाम पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड से परिवर्तित होकर पवन हंस लिमिटेड हो गया है।

XXIX. जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया हो चालू आंकड़ों को गत वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप वर्गीकृत किया गया है।

अनिल श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्रीमती मणि सथियावथी
निदेशक

संजीव बहल
कार्यपालक निदेशक

संजीव अग्रवाल
कम्पनी सचिव एवं महाप्रबंधक (विधि)

धीरेन्द्र सहाय
महाप्रबंधक (वि.एवं.ले.) तथा सी.एफ ओ

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 12.12.2014

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(रुपए/लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2014		31 मार्च, 2013	
क.	**प्रचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह**		6,123.39		2,793.71
	कर पूर्व शुद्ध लाभ के लिए समायोजन				
	मूल्यह्रास प्रभार	7,963.21		7,409.61	
	ब्याज आय	(1,161.79)		(1,039.20)	
	नियत आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि	(7.48)		1.38	
	असाधारण मदें	(743.41)		–	
	ब्याज लागत	3,180.68		2,851.16	
	स्थायी परिसंपत्ति, स्टोर एवं स्पेयर्श रिटेन ऑफ	85.43		151.03	
	प्रावधान	697.96		804.28	
	परिसंपत्तियों की क्षति से हानि	11.80		–	
			10,026.41		10,178.26
	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ		16,149.80		12,971.97
	समायोजन के लिए				
	कारोबार प्राप्य	(6,463.85)		(4,176.22)	
	ऋण व अग्रिम एवं अन्य आस्तियां	(458.96)		1,273.53	
	इंवेट्री	637.75		957	
	कारोबार शोध्य अन्य देयताएं व प्रावधान	2,677.33		(2,708.43)	
	प्रचालन से सृजित नकदी		(3,607.83)		(4,654.52)
	आयकर भुगतान		975.51		803.49
	प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह		**11,566.46**		**7,513.96**
ख.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	अचल आस्तियों की खरीद	(1,327.80)		(13,276.42)	
	प्राप्त ब्याज अचल आस्तियों की बिक्री/बीमा दावे	835.28		–	
	पूंजीगति कार्य प्रगति पर	(10.85)		(240.97)	
	प्राप्त ब्याज	1,161.79		1,039.20	
	निवेश गतिविधियों से उपयोग से शुद्ध नकदी प्रवाह		**658.42**		**(12,470.19)**
ग.	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	वित्त लागत	(3,180.68)		(2,851.16)	
	लाभांश	(233.96)		–	
	लाभांश पर कारपोरेट कर	(39.76)		–	
	दीर्घावधि उधार से आय	0.00		9,853.47	
	दीर्घावधि उधार का पुनर्भुगतान	5,833.43		(3,463.78)	
	वित्तीय गतिविधियों में शुद्ध नकदी प्रयोग		(9,287.83)		3,538.53
	नकदी तथा तत्समान नकदी में शुद्ध वृद्धि		2,937.05		(1,425.70)
	आरंभ में नकदी तथा तत्समान नकदी		12,567.48		13,993.19
	(लिएन के अंतर्गत रुपए 1878.89 लाख सहित)				
	अंत में नकदी और तत्समान नकदी		15,504.53		12,567.49
	(लिएन के अंतर्गत रुपए 1571.71 लाख सहित)				

टिप्पणी:

1) कोष्टक में दिए आंकड़े नकदी व्यय को निरूपित करते हैं।

2) उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण लेखाकंन मानक (ए एस)-3 नकदी प्रवाह विवरण में तय अप्रत्यक्ष प्रणाली से तैयार किया गया है।

नदेशक मण्डल के लिए व उनकी ओर से

कृते खन्ना एवं आनंदम

सनदी लेखाकार	अनिल श्रीवास्तव	श्रीमती मणि सथियावथी
फर्म रजि. नं. 1297-एन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक

बी. जे. सिंह	संजीव बहल	संजीव अग्रवाल	धीरेन्द्र सहाय
पार्टनर	कार्यपालक निदेशक	कम्पनी सचिव एवं महाप्रबंधक	महाप्रबंधक (वि.व.ले.)
(एम.सं. 7884)		(विधि)	एवं सी.एफ.ओ.

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 12-12-2014

सांविधिक ऑडिटर की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्य
पवन हंस लिमिटेड
पूर्ववर्ती पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड

वित्तीय विवरणियों की रिपोर्ट

हमने पवन हंस लिमिटेड (कम्पनी) की विचाराधीन वित्तीय रिपोर्टों का ऑडिट किया है जिनमें 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष का तुलन पत्र, समाप्त वर्ष में लाभ एवं हानि की विवरणी तथा संबंधित नकदी प्रवाह विवरण, विशिष्ट एवं प्रमुख लेखांकन नीतियों के संक्षेप तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त शाखा ऑडिटरों द्वारा पश्चिम क्षेत्र लेखों के संबंध में किए गए ऑडिट के स्पष्टीकरण से संबंधित अन्य सूचना सम्मिलित हैं।

वित्तीय विवरणियों के संबंध में प्रबंधन के उत्तरदायित्व

कम्पनी के प्रबंधन की यह जिम्मेदारी होगी की वह इन वित्तीय विवरणों को बनाते समय सत्य और निष्पक्ष वित्तीय स्थिति दर्शाये लेखांकन मानक कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत अधिसूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013, के 133 वें खंड के संबंध में कॉरपोरेट मामले में मंत्रालय द्वारा 13 सितंबर, 2013 को जारी सामान्य परिपत्र 2013 के अनुसार अध्ययन किया जाएगा और भारत में स्वीकृत सामान्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इन उत्तरदायित्वों के किसी वस्तुपरक मिथ्या कथन, जालसाजी अथवा चूक स्वरूप, से मुक्त वित्तीय रिपोर्टों की तैयारी एवं प्रस्तुति के लिए संबंधित आंतरिक नियंत्रण एवं प्रस्तुति के लिए संबंधित आंतरिक नियंत्रण की योजना, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण का उत्तरदायित्व शामिल है।

ऑडिटर के उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी है की हमारे ऑडिट पर आधारित वित्तीय विवरणों पर अपने विचार प्रस्तुत करें। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा ऑडिटिंग के संबंध में निर्धारित मानकों का अनुसरण करते हुए हमारे द्वारा ऑडिट कार्य किया जाता है। इन मानकों के अंतर्गत नीतिपरक आवश्यकताओं का पालन करते हुए हमें यह

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुर्लनक 'क'

प्रबंधन द्वारा दिया गया उत्तर

औचित्यपरक सुनिश्चय करना होता है कि क्या वित्तीय विवरणियां वस्तुपरक मिथ्या कथन से मुक्त हैं अथवा नहीं।

ऑडिट कार्य के लिए प्रक्रियाबद्ध निष्पादन के माध्यम से राशियों एवं वित्तीय विवरणियों में किए गए खुलासे के संबंध में ऑडिट प्रमाण एकत्र करना अपेक्षित होता है। वित्तीय विवरणियों के वस्तुपरक मिथ्याकथन, जालसाजी अथवा चूक के कारण, के जोखिमों के मूल्यांकन सहित प्रक्रियाओं का चयन ऑडिटर के विवेकानुसार किया जाता है। ऐसे जोखिमों का मूल्यांकन करते हुए ऑडिटर द्वारा स्थितियों के अनुरूप ऑडिट उचित प्रक्रिया तैयार करने के उद्देश्य से वित्तीय विवरणियों के निर्माण एवं सत्य प्रस्तुति के लिए कम्पनी के संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार किया जाता है। ऑडिट कार्य में प्रयुक्त लेखा नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखा अनुमानों की औचित्यता के मूल्यांकन सहित वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुतियों का मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है।

हमारा यह विश्वास है कि ऑडिट साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुए हैं, वह हमारे मान्य सुझावों की प्रस्तुति के आधार के लिए हमें प्राप्त ऑडिट प्रमाण उचित एवं पर्याप्त हैं।

मान्य सुझावों का आधार

1. पश्चिम क्षेत्र में वर्ष के दौरान एयर फ्रेम तथा एयरो इंजन उपकरण - रोटेब्लस पर संबंद्ध वर्ष के दौरान मरम्मत एवं अनुरक्षण पर व्यय की गई रुपए 455.70 लाख की राशि व्यय की गई जिसका पूंजीकरण किया गया। इसके अतिरिक्त मरम्मत एवं अनुरक्षण पर व्यय की गई रुपए 9.02 लाख लागत पिछले वर्ष में रोटेबल के मरम्मत व्यय की "पूर्व अवधि मदों" लेखाकरण नीति का पालन किया गया, रोटेबल की मरम्मत और अनुरक्षण के व्यय प्रभार का विवरण लाभ और हानि में दिया जाएगा।

   कम्पनी ने उपरोक्त पूंजीकृत राशि का विवरण लाभ/लाभ में प्रभार किया, वार प्रभाव तथा अचल परिसंपत्ति से पूर्व वर्ष में लाभ ₹ 456.05 इन अनुपयोग्य रोटेबल तथा एयरो इंजन दुर्घटनाग्रस्त वीटी-पीएचपी (सितम्बर, 2007 में लक्षद्वीप में दुर्घटनाग्रस्त हुआ) तथा बीटी-एसओके (चंडीगढ़ में दिसम्बर, 2010 में दुर्घटनाग्रस्त) हेलीकॉप्टरों से संबंधित हैं। अत: बाद में इन रोटेबलों शर्तों के अनुसार कंपनी के सीटीएल के अंतर्गत बीमा कंपनी के निपटाने पर प्रतिफल मूल्य के एक भाग के रूप में खरीदे गए थे। आगे सामान कार्यप्रवाली बढ़ाने पर, इन एयरो इंजन और रोटेबल को उनकी अनुप्योज्य स्थिति में लाने के लिए मरम्मत पर व्यय किया। ₹9.02 लाख की राशि जानकारी के अभाव में पिछले वर्ष लाभ हानि डेबिट में डाली गई लेखा खाते में पूंजीकृत हुई।

से निचला तथा पूर्व अवधि मदें ₹ 8.68 लाख से निचली की जा रही है।

2. 31 मार्च, 2012 के समाप्ति वर्ष तक संदेहास्पद ऋण के प्रावधान के लिए सम्बंधित लेखाकरण नीति में संशोधन किया गया। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्वयं शासित प्रदेशों से तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए बकाया बनाया गया है। कंपनी द्वारा विगत वर्ष में सात वर्ष से अधिक के बकाया ऋण वाले ग्राहकों को संदेहास्पद दर्शाते हुए प्रावधान किए गए हैं। लेखांकन नीति में किए गए इस संशोधन का कोई अकाट्य कारण हमें नहीं मिला।

31 मार्च, 2014 के अनुसार कंपनी द्वारा विगत तीन वर्षों से अधिक अवधि के केवल उत्तरी क्षेत्र से ही ₹3009.13 लाख के ऋण दाता स्थापित किए गए है। हमारे विचार से इन ऋणों की वसूली संदेहास्पद है और इन्हें संभव बनाया जाना चाहिए।

इन ऋणदाताओं के संबंध में केवल ₹71.99 लाख के ही प्रावधान किए गए है परिणामस्वरूप न्यूनतम ₹2937.14 लाख का प्रावधान है, विवरण में वर्ष के दौरान कर पश्चात् शुद्ध लाभ ₹1938.81 लाख हो गया। (₹2937.14 लाख घटाकर ₹198.33 लाख का आस्थगित कर प्रभाव) और विवरण में ₹2937.14 लाख द्वारा लाभ के संचित शेष की प्राप्तियाँ। 31 मार्च, 2013 समाप्ति की लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में यह समस्या का विषय था। संदर्भ नोट संख्या 28 (IX) (I)

केन्द्र शासित प्रदेशों की प्रक्रियागत औपचारिकताओं के कारण ऋण वसूली की गति धीमी होने तथा केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्ति में होने वाली देरी के कारण को मद्देनजर रखते हुए कम्पनी द्वारा अपनी बकाया राशियों के प्रावधानों के निर्माण से संबंधित लेखांकन नीति में संशोधन करते हुए केन्द्र / राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों से बकाया राशियों की वसूली की अवधि तीन वर्ष से बढ़ाकर सात वर्ष की गई है। तथापि, जब किसी ऋण के संबंध में वसूली संदेहास्पद प्रतीत होती है तो उसके लेखांकन पुस्तिकाओं में प्रावधान किए जाते हैं।

कम्पनी की यह अवधारणा है कि केन्द्र/राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों से 3 वर्ष के पश्चात् ऋण वसूली के प्रावधान किए जाने से किसी वर्ष विशेष में संदर्भ में कम्पनी के प्रचालन लाभ की सत्य छवि प्रस्तुत नहीं हो सकती है।

यह केन्द्र/राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों के बकाये के प्रतिपादन के साथ वित्तीय वर्ष 2012-13 में सांविधिक लेखा परीक्षकों के ध्यान में लाया गया।

3. 31.03.2014 का समाप्त वर्ष में आस्थगित कर परिसंपत्तियों के लिए परिकलन के प्रयोजन के लिए कंपनी ने ₹14,346.11 लाख अनावशोषित मूल्यह्रास के विपरीत वास्तविक अनावशोषित मूल्यह्रास ₹18,990.55 लाख राशि पर विचार किया। अनावशोषित मूल्यह्रास ₹14,346. 11 लाख के संबंध में हमें किसी भी प्रकार का अभिकलन स्पष्ट नहीं किया गया है। ₹18,990.55 लाख का अनावशोषित मूल्यह्रास

इस संबन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि करायोग्य भावी आय में मुकराई की संभावना वाली ऐसी अनावशोषित मूल्यह्रास एवं अग्रेषित हानियों को क्रियत्मिक विचार करते हुए सामायिक एवं आस्थागित कर संपात्तियों से परिणाम माना जाता है। तद्नुसार प्रततजनक प्रमाणों के साथ निश्चितता के आभास के साथ यदि किसी आस्थागित कर संपत्ति के संबंध में

लेखांकन मानक (एएस)-22 "करों एवं आय का लेखांकन" के अनुरूप नहीं है और वर्ष के दौरान करोपरांत एवं लाभ की विवरणी के संचित शेष में ₹1578.64 लाख के शुद्ध लाभ तथा इसी राशि को आस्थगित कर देयता को दर्शाया गया है। 31 मार्च, 2012 और 31 मार्च, 2013 में कंपनी ने डीटीए की गणन के लिए अनावशोषित मूल्यह्रास का केवल एक ही भाग लेगा। 31 मार्च, 2012 के समाप्ति वर्ष के लिए ₹3491.91 डीटीए राशि लोवर क्रेडिट के खाते में तथा 31 मार्च, 2013 के समाप्ति वर्ष के लिए ₹3173.68 लाख है। इन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट अर्हता प्राप्त की गई। यद्यपि इस विषय की रिर्पोटिंग के लिए आगे रिपोर्ट के विषय का विश्लेषण ऑडिट रिपोर्ट में विचार वहीं किया गया। (देखें नोट सं. 28 (XIV) (ग).

पर्याप्त भावी करायोग्य आय उपलब्ध होने की संभावना है तो उन्हें आस्थागित कर संपत्तियों के रूप में संपादित किया जा सकता है। वित्तीय निष्पादनों से संबंधित पूर्व रिकॉर्ड के पुनरीक्षण और एमआईएस के आधार पर वित्तीय वर्ष 2014 के लिए लाभ प्राक्कलन तथा 12वी पंचवर्षीय योजना में लाभ प्राक्कलन का प्रक्षेषण और कंपनी द्वारा ओएनजीसी, अंडमान और निकोबार प्रशासन, एनटीपीसी, लक्षद्वीप प्रशासन, हिमाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश जैसे ग्राहकों के साथ निश्चित दीर्घकालिक चार्टर अनुबंधों की उपलब्धता के आधार पर भावी कर योग्य लाभ का निर्धारण किया गया है। तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 के प्रारंभ से प्रारंभ होगा और वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान शुद्ध कर योग्य आय ₹1477.27 लाख और वित्तीय वर्ष 2014-15 से एवं उसके आगे से शुद्ध कर योग्य आय उपलब्ध हो जाएगी।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए तथा साथ ही परिसंपत्तियों की पहचान के लिए दूरदर्शिता-पूर्ण विचार वर्ष 2012-13 तक अनावशोषित मूल्यह्रास से ₹20467.82 लाख तक है। कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2011-12 में डीटीए के रूप में सिर्फ ₹ 3722.23 लाख पर विचार किया गया जो कि वित्त वर्ष 2007-08 से 2010-11 के लिए संतमी अनावशोषित मूल्यह्रास सीमित था, वित्तीय वर्ष 2012-13 में डीटीए के रुप में ₹7426.08 लाख की पहचान की गई थी और चालू वित्त वर्ष 2013-14 में ₹3197.80 लाख जो कि इसके अतिरिक्त एएस-22 के पूर्ण अनुसरण में अगले तूलन पत्र की तिथि में ₹4644.44 लाख की 2012-13 से संबंद्ध अनावशोषित मूल्यह्रास शेष है।

कर्मचारी हित, मंद गति, अचल मालसूचियां, संदेहास्पद ऋण तथा अग्रिम एंव नियमित सामाजिक उत्तरदायित्व/स्थायी विकास निधि से युक्त ₹3402.05 लाख की अन्य आस्थागित कर संपत्तियों को वित्तीय वर्ष 2013-14 तक के लिए विचार में लाया गया है जिसका आधार इस तथ्य के अनुसार है कि इन परिसंपत्तियों

		में अनुवर्ती वित्तीय वर्षो में चुकता/विपरीत होने की औचिव्यपरक संभावना है। हमारे मतानुसार यह एएस-22 के अनुसरण में है। तथापि, एएस-22 की अपेक्षाओं के अनुसार आस्थगित कर सम्पतियों की पर प्रत्येक तुलन पत्र में विचार किया जाएगा।
4.	माता वैष्णों देवी श्राइन बोर्ड पर 31.03.2014 तक ₹ 123.94 लाख की राशि बकाया है। 1 अप्रैल, 2014 से श्राइन बोर्ड के साथ संविदा समाप्त हो गई है। हमें सूचित किया गया है कि विभिन्न प्राधिकारों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा न करने के कारण अक्टूबर, 2014 की समाप्ति तक ₹ 123.94 लाख की राशि की वसूली नहीं की गई है। उपलब्ध जानकारी से, हम ₹ 123.94 लाख की राशि के संदर्भ में वसूली के लिए राय बनाने में असमर्थ हैं।	माता वैष्णों देवी श्राईन बोर्ड ने हमारे भुगतान को जारी करने के लिए विभिन्न एजेंसियों जैसे सुरक्षा, पानी, विद्युत और अन्य आवश्यक सेवाओं एजेसियों से अनापात्ति प्रमाण पत्र मांगा है। इस मामले को एजेंसियों के साथ आनापत्ति प्रमाण पत्र जारी रखे ताकि श्राइन बोर्ड से बकाया राशि जारी करवाई जा सके। 31.3.2014 तक माता वैष्णों देवी श्राइन बोर्ड से ₹109.77 लाख के लिए शेष पुष्टि प्राप्त हुई और वही प्रति लेखपरीक्षों को भेज दी गई। ₹13.97 लाख की शेष राशि के लिए सुलह की जा रही है।
5.	31 मार्च, 2012 के अनुसार उत्तरी क्षेत्र द्वारा हेलीकॉप्टर भाड़ा व्यय खाता से, हेलीकॉप्टर भाड़ा व्यय के ₹ 206.00 लाख कर माता वैष्णों देवी श्राइन बोर्ड (श्राइन बोर्ड) के खातों में क्रेडिट किए गए। पूर्व अवधि में क्रेडिट की गई रकम में से 31 मार्च, 2013 को ₹ 175. 26 लाख श्राइन बोर्ड के खाता से निकाले गए। हमें सूचित किया गया है कि इन प्रविष्टियों के समर्थन में आवश्यक विवरण श्राइन बोर्ड से प्राप्त किया जा रहा है। आगे ₹ 71.72 लाख अग्रिमों के रूप 'नो शो कस्टमर' के लिए जमा किए गए, जिसे उपभोक्ताओं के लिए प्रतिदेय के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, वर्तमान वर्ष के दौरान ₹ 71.72 लाख हेलीकॉप्टर भाड़ा व्यय खाता में जमा किया गया था जिसे लेखांकन मानक (ए एस) -5 की अपेक्षानुसार कि अवधि की मदों से पहले किसी भी यति में जमा होना चाहिए था। किसी अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि या पूर्व अवधि मदों और लेखांकन नीतियों में	अक्टूबर, 2011 के प्रभाव से ई-टिकट बुकिंग की पूर्ण जिम्मेदारी श्री माता वैष्णों देवी श्राइन बोर्ड ने ले ली है। जबकि पहले 50% पहलि द्वारा की जाती थी और शेष 50% की बुकिग प्रचालक द्वारा उनके ई-टिकेटिंग प्रणाली से की जाती थी। इससे पहले 'नो शो' यात्रियों को प्रत्येक प्रचालक द्वारा आय के रूप में देखा जाता था और श्राइन बोर्ड वास्तव में यात्रा पर जा रहे यात्रियों के अधार पर भुगतान करता था। बुकिंग प्रणाली में परिवर्तन के परिणाम स्परूप 'नो शो पेसेजंरो' से संबंधित टिकट लागत श्राइन बोर्ड द्वारा प्रारंभिक रूप से धारित किया जाता था। यह विकास इसके बाद का है और यह श्राइन बोर्ड के साथ करार का हिस्सा नहीं था।

परिवर्तन" का परिणाम हेलीकॉप्टर भाड़ा विवरण और पूर्व अवधि की मदों पर पड़ता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार उपर्युक्त पूर्ण विवरण के लिए समायोजन को हम सत्यापित करने में सक्षम नहीं है यही हमारे पास उपलब्ध नहीं है।

6. ₹ 3309.18 लाख हासिल मूल्य की अचल परिसम्पत्तियां जिसमें रोटेबल्स सम्मिलित है को विदेशो में स्थित विक्रेताओं को मरम्मत के लिए भेजा गया। उक्त रोटेबल्स की राशि के अतिरिक्त हासिल मूल्य ₹ 666.86 लाख के रोटेबल्स की कम्पनी द्वारा मरम्मत विक्रेता से पुष्टि नहीं की जा सकती। पुष्टि के आभाव में हम परिसंपत्तियों और समायोजनों के अस्तित्व में कुछ भी कहने में असमर्थ है। कम्पनी के वित्तिय विवरणों एवं इससे संबंधित अपेक्षित जानकारी यदि कोई है तो नोट संख्या 28 (VI) (क) का संदर्भ ग्रहण करें।

मरम्मत के लिए सभी मदें उन विक्रेताओं को भेजी गई थी जो इन मदों के वास्तविक मूल निर्माता भी है। रोसी मदें बहुत ही महत्वपूर्ण है मरम्मत/ओवरहॉल का टी ए टी बहुत महंगा है रोसी ज्यादातर मदों का निर्माण अब नहीं होता। मरम्मत की पुष्टि के लिए पार्टियों को मेल भेज दिए गए है। मरम्मत के लिए विदेश भेजे दिए गए राटेबलस और ₹457.58 लाख (₹425.21 लाख पक्षे और 32.37 लाख उ.क्षे. के लिए) की पुष्टि प्रप्ति हो गई है। लेखा परीक्षकों द्वारा शेष की पुष्टि हो रही है ह्रासित मूल्य ₹634. 99 लाख जिसमें से ₹579.22 लाख जिसमें से ₹579.22 लाख को वित्तीय वर्ष 2012-13 - 2013-14 मरम्मत/ओवरहॉल के लिए भेजा गया।

7. विगत वर्ष के दौरान कम्पनी ने पायलटों और अभियंताओं के अनुज्ञप्ति संबंधित भक्तों के दान किए अनुमानित आधार पर ₹ 1024.60 लाख दान किए और अनुबंधित कर्मचारियों के भक्तों के लिए ₹ 487.00 लाख का प्रावधान किया था। वर्तमान वर्ष के दौरान ₹ 487.00 लाख की राशि में से ₹ 366.87 लाख को वितरित किया गया और शेष ₹ 96.63 लाख की राशि को 'एसेस प्रोविज़न रिटन बैक' के रूप में चालू वर्ष में लाभ और हानि के विवरण के लिए रिवसर्ड किया गया। आगे ₹ 1104.78 लाख को पॉयलटों और अभियंताओं के अनुज्ञप्ति संबंधित भत्तों के लिए उपबंधित किया गया। प्रावधान कुल ₹ 2129.38 लाख के लिए प्रावधान को 31 मार्च 2014 के बही में दर्शाया गया है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुबंधित कर्मचारियों के लिए राशि ₹ 487.00 के स्थान पर ₹ 475.40 लाख का भत्तों के लिए रखा गया। बोर्ड ने पायलटों, ए.एम.ई और उड़ान अभियंताओं के अनुज्ञाप्ति संबंधी भत्तों के लिए एक उप-समिति का गठन किया है समिति सम्पूर्ण मामले पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है और अपनी अंतिम रिपोर्ट निदेशक मंडल के सम्मुख प्रस्तुत करेगी।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार मार्च, 2014 तक किए प्रावधान के संबंध में किसी भी प्रकार के सुधार प्रकट करने में असमर्थ हैं। नोट सं. 28 (XII) (ग) का संदर्भ ग्रहण करें।

8. अग्रिम आयकर में ₹ 6567.60 लाख की राशि पिछले वर्षों के उन वर्षों से सम्बद्ध है जिनके संबंध में आय कर निर्धारण पूरा किया जा चुका है। अग्रिम कर, स्त्रोत पर कर, आय कर के लिए प्रावधान, आय कर मार्गों, धनवासियों, प्राप्तियों इत्यादि का विवरण उपलब्ध न होने की स्थिति में 'दीर्घकालीन ऋणों एवं अग्रिमों' के तहत पूर्वोक्त दर्शित के लिए एकमत नहीं हो रहे हैं। 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में यह हमारा मुद्दा था। नोट 28 (XIV) (ख) का संदर्भ ग्रहण करें।

आय कर निर्धारण के संबंध में विस्तृत विश्लेषण/समाधान पूरा कर लिया गया है। आय कर अपीलिय ट्रिब्यून फॉरेम के समक्ष चूंकि पवन हंस द्वारा अपील की गई है अत: कम्पनी का यह मानना है कि एओ/सीआई (अपील) द्वारा जारी किए जाने वाले निर्धारण आदेश आय कर अपीलिय ट्रिब्यून द्वारा किए जाने वाले अंतिम प्रेक्षण/निर्णय की शर्त के साथ होगें। निर्धारण वर्ष 1997-98 से निर्धारण वर्ष 2002-03 के संबंध में कम्पनी द्वारा भारत सरकार की ₹ 5996.31 लाख की दावा की गई देयताओं के ब्याज के मामले पर निर्धारण अधिकारी सीआईटी (ए) द्वारा आय कर अपीलिय स्तर पर अपनी अपील दायर की गई है। इन निर्धारण वर्षों के लिए कम्पनी द्वारा विरोध प्रस्तुत करते हुए एवं उसके ब्याज का भुगतान आय कर विभाग को किया गया था। इसके पश्चात् निर्धारण अधिकारी द्वारा की गई धनवापसी का समायोजन किया गया था। आय कर अपीलिय ट्रिब्यून के निदेशों के अनुसार वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों के संबंध में वित्त मंत्रालय (एमओएफ) द्वारा किए ब्याज के संबंध में किए गए दावे के मामले पर पहले नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) तथा वित्त मंत्रालय (एमओसीए) तथा वित्त मंत्रालय (एमओसीए) तथा वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के मध्य निपटान होना आवश्यक है।

₹ 571.29 लाख की शेष राशि 26 एएस में गलत मेल होने/गलत कर कटौति प्रमाण पत्र के कारण हुई है जिसकी वसूली आय कर विभाग से की जानी है तथा पार्टियों/आय कर विभाग से की जानी है तथा पार्टियों/आयकर विभाग के समक्ष यह मामला पहले ही दिया जा चुका है।

9. कम्पनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी (मु.स.अ.) ने पश्चिमी क्षेत्र के लक्ष्यद्वीप डिटेचमेंट में जाँच

इसके लिए आवश्यक प्रावधान वित्तीय वर्ष 2013-14 के बहि खाते में किया गया। इस

की और ₹ 129.20 लाख की वित्तीय हानि की रिपोर्ट में प्रबंधन ने ₹ 40.09 लाख राशि के सहायक/बीजकों/बिलों/क्रेडिटों की पहचान की जो कर्मचारियों को देय थे और शेष ₹ 89.12 लाख के व्यवस्थापन के लाभ और हानि विवरण में 'अपवादित मदों' के रूप में दर्ज किया। आगे पश्चिमी क्षेत्र के लेखा परीक्षकों ने निर्दिष्ट किया कि उन्हें प्रबंधन द्वारा की गए किसी अन्य जाँच और वित्तीय विवरणों के सहम प्रभावों के जाँच की कोई जानकारी नहीं है। नोट संख्या 28 (XX) का संदर्भ ग्रहण करें।

संबंध के जांच का विवरण नोन संख्या 28(xx) में किया गया है।

10. मुख्य 'पूर्वअवधि मदों' के तहत कम्पनी ने ₹ 106.34 लाख की राशि यात्री सेवा फीस, वॉच एक्सटेंशन बिलों और पश्चिमी क्षेत्राधिकार के संघ शासित क्षेत्र लक्ष्यद्वीप के यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता के बिलों की वसूली को पिछले वर्ष के संबंध में हिसाब किया है? पश्चिमी क्षेत्र शाखा के लेखा परीक्षकों ने सूचना दी कि उन्हें इस राशि से संबंधित कोई सहायक प्रमाण पत्र/विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। सहायक प्रमाणपत्रों के अभाव में वे प्राद्भवन की निर्दिष्ट आय के बारे में बताने में असमर्थ है।

अदायगी करार के तहत ₹59,28,825/- को यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता की वसूली राशि के रूप में लक्ष्यद्वीप प्रशासन को भेज दी गई है। और पी एस एफ व वॉच एक्सटेंशन घंटों से संबंधित बिलों कि राशि ₹47,05,571/- को वित्तीय अनियमितताओं की जांच पूरी होने पर भेज पूरी होने पर भेज दिया जाएगा।

11. अपर सचिव, नागर विमानन मंत्रालय के दिनांक 30 सिंतम्बर, 2013 के पत्र के अनुसार कम्पनी को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्र) को निर्माण क्षेत्र के लिए लगभग 8000 वर्ग मीटर ₹ 2,025 अनुसार किराया देने तथा पश्चिमी क्षेत्र द्वारा प्रयोग किया गया लगभग 6625 वर्ग मीटर क्षेत्र को (भा.वि.प्र.) को वापस लौटाने निदेश हुआ है। इसी प्रकार की व्यवस्था राजमुन्द्री और चेन्नई डिटेचमेंटस् के लिए परिसर का पट्ट के लिए की है। पूर्वकथित व्यवस्था लंबित परिणाम के लिए (भा.वि.प्रा.) द्वारा दावा किए अतिरिक्त किराया देने का कोई प्रावधान नहीं है और न ही आकस्मिक देयता के रूप में विवादित किराया को दर्शाया गया है। सहायक प्रमाणपत्रों के अभाव में पश्चिमी क्षेत्र शाखा के लेखापरीक्षकों ने सूचना दी कि वे कम्पनी के वित्तीय विवरणों के प्रभाव पर कुछ भी कहने में असमर्थ है।

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निदेशों के आधार पर केवल पवन हंस द्वारा अधिकृत निर्मित क्षेत्र के लिए ही किराया लिया जा रहा है। दरों के अंतिम निर्धारण के लिए इस मामले पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ अनुवर्ती कार्रवाई जा रही है। इस मामले पर नोट संख्या 28(II)(2) के तहत किया गया है।

12. पश्चिमी क्षेत्र शाखा के लेखा-परीक्षकों ने बकाया का पुष्टिकरण निम्न से किया है:

बकाया पुष्टिकरण के लिए व्यापार प्राप्तियों दीर्घ अवधि व लघु अवधि ऋणों और प्राप्त बकायों, अन्य गैर-मौजूद व देनदारियां तथा ऐसे खातों के समाधान के अभाव के कारण वे समायोजनों/ प्रावधानों के संबंध में टिप्पणी करने में असमर्थ है। इस विषय में यदि कुछ है जिसका इस वर्ष के लाभ पर परिणामी प्रभाव है तो देनदारियों, परिसंपत्तियों और अधिशेष के संचयी बकाया को वित्तीय विवरण में दर्शाया गया है।

हमने अपने व्यापार के देनदार कर्मचारियों के अल्पावधि/दीर्घावधि ऋण/अग्रिमों के संबंध में बकाया पुष्टीकरण पत्र को वर्ष के अंत में भेजा है। आगे का व्यापार संबंधी प्राप्तियों/देनदारी की प्रतिक्रिया न्यूनतम है। व्यापार प्राप्तियों के ज्यादातर मामलों में राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त किया गया। इसी प्रकार व्यापार देनदारियों में मामलों में भी राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त हुई। कर्मचारियों से मासिक वसूली को उनके मासिक वेतन के अनुसार प्राप्त की जा रही है।

13. वर्ष के दौरान कम्पनी ₹ 1156.95 लाख के परिनिर्धारित नुकसान के लिए जिम्मेदार है जिसमें ₹ 328.44 लाख उत्तरी क्षेत्र में एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउण्ड (ए.ओ.जी) के लिए उड़ीसा सरकार की कटौती भी सम्मिलित है। इसमें ₹ 216.92 लाख पिछले वर्ष से संबंधित है जिसे लेखांकन मानक (एएस-5) "निश्चित अवधि के शुद्ध लाभ व हानि पूर्व अवधि मदों और लेखाकरण नीतियों में परिवर्तन" के अनुसार पूर्व अवधि मदों के रूप में डेबिट किया जाना चाहिए था।

एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउण्ड के लिए उड़ीसा सरकार की उगाही विवादित और इस मामले को वित्तीय वर्ष 2013-14 में लंबी चर्चाओं के बाद सुलझाया गया। इसलिए परिनिर्धारित नुकसान का चालू वित्तीय वर्ष में वर्णन है।

14. वर्ष के दौरान, गत वर्ष से संबंधित हेलीकॉप्टर भाड़ा व्यय ₹ 315.75 लाख को चालू वर्ष 'हेलीकॉप्टर भाड़ा व्यय खाते' में डेबिट किया गया क्योंकि पिछले वर्ष में यह अत्यधिक बिल के रूप में था। लेखाकरण मानक (एएस 5) "निश्चित अवधि के शुद्ध लाभ व हानि पूर्व अवधि के शुद्ध लाभ व हानि, पूर्व अवधि मदों और लेखाकरण नीतियों में परिवर्तन" के अनुसार हमारा मत है कि इस राशि को "पूर्व अवधि मदों" में डेबिट करना चाहिए था। परिणाम उपर्युक्त राशि द्वारा पूर्व अवधि मदों की न्यूनोक्ति और हेलीकॉप्टर भाड़ा व्ययों पर पड़ा है।

इसके उत्तर में देरी का कारण केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार तथा केन्द्र शसित प्रदेशों द्वारा जाए कटौती विवरणों का देरी से प्राप्त होना था। अत: कटौतियों का विवरणों में ही दर्शाया गया था। इसलिए, व्यय को चालू वर्ष में बही किया है।

15. परिसंपत्तियों की हानि लेखा नीति सं. 1 (ञ) में संदर्भित है लेखाकरण मानक (ए एस)-28 "परिसंपत्तियों हानि" की अपेक्षानुसार हेलीकॉप्टरों

प्रत्येक हेलीकाप्टर के लिए डीजीसीए द्वारा वार्षिक आधार पर उड़ान योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। अत: जब हेलीकॉप्

में हानि की पहचान करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। नोट सं. VII में, कम्पनी ने निर्दिष्ट किया है कि स्वामित्व हेलिकॉप्टरों की उड़ान योग्यता जीसीए ने प्रमाणित किया और राजस्व अर्जित किया है। लेखाकरण मानक-28 द्वारा अपेक्षित हानि आकलन की प्रक्रिया को हेलीकॉप्टर के मूल्यों के लिए आवश्यक नहीं माना जाता है। हमारे विचार से डीजीसीए द्व ारा जारी प्रमाणपत्र और अर्जित राजस्व को हेलीकॉप्टरों मूल्य में हानि को निर्धारित करने की प्रक्रिया के एवज में नहीं देखा जा सकता जैसा कि लेखांकन मानक-28 द्वारा अपेक्षित है। (इस प्रक्रिया के अभाव में परिसंपत्तियों की हानि के प्रावधान की मात्रा को निर्धारित नहीं किया जा सकता। यदि कोई है।) ऐसे प्रयोग के अभाव में यदि कोई परिसम्पत्तियों की हानि के लिए प्रावधान है तो उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता है।

टर के लिए उडान योग्यता प्रमाणपत्र जारी हो जाए इसका तात्पर्य है कि हेलीकॉप्टर कम्पनी के लिए राजस्व उत्पन्न करने में सक्षम है। यह हेलीकॉप्टर परिसमाना प्रचालन की अलग प्रकृति है इसलिए हानि के लिए प्रावधान उत्पन्न नहीं होता।

16. हम पिछले वर्ष दिनांक 30 अक्टूबर, 2013 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निम्नलिखित अवलोकनों की ओर आकर्षित करते है जिसमें कम्पनी की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

16.1 हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए आपूर्तिकताओं को दिया गया अग्रिम भुगतान के दिन की विनिमय दर के अनुसार किया गया था। इसे हेलिकॉप्टरों की प्राप्ति के दिन की विनिमय दर पर ₹ 176.57 लाख के परिणामी विनिमय लाभ के रूप में परिणामी विनिमय लाभ के रूप में फिर से दर्शाते हुए लाभ व हानि की विवरणी में क्रेडिट किया गया था। हमारे विचारानुसार ऐसा किया जाना लेखांकन मानक (एएस) 11 "विदेशी मुद्रा की दरों में परिवर्तन" के प्रभाव के अनुसरण में नहीं था तथा चूंकि अग्रिम एक अज़ैर गैर मौद्रिक मद है अत: इस मूल विनिमय पर अग्रेषित नहीं किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान कर के पश्चात का शुद्ध लाभ ₹ 128.72 लाख

पूंजीगत सामान की खरीद के लिए कंपनी द्वारा विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम का भुगतान किया जाता है। जिससे विदेशी मुद्रा में भुगतान की तिथि की विनिमय पर विदेशी मुद्रा का भुगतान किया जाना अभिप्रेत है। पूंजीगत सामान की प्राप्ति पर ऐसी संपत्तियों के विदेशी मुद्रा मुल्य को सोदे की तारीख के लिए विजया बैंक द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा दर पर परिवर्तित किया जाता है। चुकता किस गए ऐसे सामान के कुल मूल्य तथा इसके पंजीयन मूल्य के मध्य के अंतर को लाभ एवं हानि विवरणी में नामे/जमा किया जाता है। कम्पनी द्वारा लेखांकन नीति की इस संगत प्रक्रिया का पालन ए एस-11 के अनुसार किया जा रहा है। पिछले वर्ष लेखापरीक्षकों द्वारा उठाई गई अर्हता

अधिक दर्शाया तथा 31 मार्च, 2014 के अनुसार संचयी लाभ के विवरण भी दिया गया था।	का उचित उत्तर पर्याप्त रूप से भेजा पहले ही भेजा गया था। आगे, हेलीकॉण्टरों की खरीद के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान कोई अग्रिम भुगतान नहीं था और वित्तीय वर्ष 2013-14 की समाप्ति पर भी कोई अग्रिम भुगतान के रूप में कोई अग्रिम भुगतान के रूप में कोई बकाया राशि नहीं थी। आगे वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान हेलीकॉटर पूंजीकरण मौजुद नही था।
16.2 हेलीकॉप्टर की अधिप्राप्ति के संबंध में कम्पनी द्वारा वायु एवं ग्राउंड कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए ₹157.06 लाख का व्यय किया और अगले पांच वर्ष की अवधि के दौरान परिशोधन के लिए इसे 'अमूर्त सम्पत्ति' के रूप में दर्शाया है। हमारे मतानुसार लेखांकन मानक (एएस) 26-'अमूर्त परिसम्पत्ति' की परिभाषा में प्रशिक्षण लागत को अमूर्त परिसम्पत्ति नहीं माना जाता तथा ऐसी लागतो को लाभ एवं हानि की विवरण ी में प्रभारित किया जाना चाहिए। इसके परिण ााम स्वरूप वर्ष के दौरान कर पश्चात लाभ के रूप में ₹104.19 लाख की राशि अधिक दर्शाई गई है।	परिभाषित भावी आर्थिक हितों के लिए ए एस-26 की धारा संख्या 20 तथा धारा संख्या 21 के साथ पठनीय धारा संख्या 6.1 तथा 6.2 के अनुसार वायु एवं ग्राउंड कर्मियों की विदेश प्रशिक्षण लागत 5 वर्ष तथा ₹25 लाख प्रत्येक के मूल्य के सेवा बॉड विधिक अधिकारों द्व ारा संरक्षित हैं तथा कोई पॉयलट/इंजीनियर 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व बांड की शर्तों अथवा निबंधनों के प्रति चूक करता है तो ये बांड लागू किए जा सकेगें। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार भी पूर्वकाल में कर्मचारियों द्वारा कंम्पनी को बांड राशि का भुगतान किया गया है। पिछले वर्ष लेखा परीक्षकों द्वारा उठाई गई अर्हता का उचित उत्तर पूर्ण रूप से पहले ही भेजा गया थ। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान प्रशिक्षण के लिए किसी भी प्रकार का पूंजीकरण नहीं था।
17.1 उपर्युक्त 1 से 3 अनुच्छेदों के संदर्भ में, क्या हमारे द्वारा दिए गए अवलोकनों को स्वीकार किया गया। (क) कर पूर्व लाभ ₹3393.19 लाभ कम हो सकता था। (ख) वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ और शेयरधारकों की निधियों ₹689.62 लाख कम हो सकती थी। (ग) पूर्व अवधि मदों में ₹469.62 लाख वृद्धि की ना सकती थी।	अनुच्छेदों 1 से 3 में लेखापरीक्षकों अर्हताओं से संबंधित विवरण का पर्याप्त उत्तर दिया गया है।

(घ) वर्ष के दौरान मूल्यह्रास ₹7.62 लाख कम किया जा सकता था।

(ङ) मौजूद कर व्यय (न्यूनतप वैकल्पिक कर) ₹96. 96 तक कम किया जा सकता था।

(च) आस्तगित कर व्यय तथा आस्थगित कर देयताएं ₹2607.98 लाख तक कम की जा सकती थी।

(छ) वास्तविक अचल परिसंपत्तियों का हासित मूल्य ₹456.06 लाख तक कम किया जा सकता था। उपर्युक्त में पिछले वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट की अर्हताओं का प्रभाव सम्मिलित नहीं है। पैराग्राफ 16.1 तथा 16.2 उपर्युक्त में संदर्भित हैं।

(ज) व्यापार प्राप्तियों को ₹2937.14 लाख तक कम किया जा सकता था।

पैराग्राफ 16.1 से 16.2 तक में लेखापरीक्षकों के अर्हताओं से संबंधित बिन्दुओं का पर्याप्त विवरण दिया गया है।

17.2 उपर्युक्त पैराग्राफ 4 से 15 तक में उपलब्ध जानकारी के अनुसार हम समायोजनों का निध रिण नहीं कर पाए जो कि इस मुद्दों के समाधान के लिए अपेक्षित होगी।

पैराग्राफ 4 से 15 तक में लेखापरीक्षकों अर्हताओं संबंधित बिन्दुओं का पर्याप्त विवरण दिया गया हैं।

मान्य सुझाव

हमारे पास उपलब्ध सुचना तथा हमें उपलब्ध कराएं गए स्पष्टीकरणों, मान्य सुझावों के आधार के पैराग्राफ के अतिरिक्त पैराग्राफ 1 से 3 तथा उपर्युक्त से संबंधित पैराग्राफ में इन मामलों पर होने वाले संभावित प्रभावों तथा मान्य सुझावों के आधार के पैराग्राफ 4 से 15 में कम्पनी के वित्तीय विवरणें पर पड़े परिणामी कुल प्रभाव जो समायोजन और निर्धारण योग्य नहीं है उपर्युक्त संबंधित पैराग्राफों में से उभरे है में इन मामलों पर होने वाले संभावित प्रभावों को ध्यान में रखते हुए हमारा सुझाव है कि निम्नलिखित मामलों में वित्तीय विवरणियों में अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित पद्वति से अपेक्षित सूचनाएं तथा भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्वांतों के सादृश्य में सत्य एवं स्पष्ट स्थिति प्रस्तुत होनी चाहिए।

संबंधित पैराग्राफ में अपने हमारे उत्तर दिए जा रहे हैं।

(क) कम्पनी की स्थिति के संबंध में 31 मार्च, 2014 के तुलन पत्र के मामले में;	कोई टिप्पणी नहीं
(ख) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ के संबंध में लाभ एवं हानि विवरणी के मामले में;	कोई टिप्पणी नहीं
(ग) उस स्थिति को समाप्त वर्ष के अगभ प्रवाह विवरणी के मामले में।	कोई टिप्पणी नहीं
मामले पर महत्व निम्नलिखित संदर्भों की और ध्यान आकर्षित किया जाता है:	इस मामले पर त्वरित निर्णय के लिए नागर विमानन मंत्रालय (एम ओ सी ए) के माध्यम से वित्त मंत्रालय (एम ओ एफ) से अनुशीलन किया जा रहा है। विस्तृत व्याख्या नोट सं. 28(III) में दे दी गई है।
(i) भारत सरकार द्वारा ₹47022.22 लाख की राशि के दावे के संबंध में नोट संख्या 28(III) जिसके लिए कम्पनी द्वारा सरकार से अधित्याग हेतु अनुरोध किया गया है।	
(ii) नव प्रचालित सेवानिवृत्ति योजना के लिए पिछले वर्षों में किए गए ₹1818.71 लाख के प्रावधान तथा वर्ष के दौरान ₹407.03 लाख के और प्रावधान के संबंध में नोट संख्या 28 XII (ख) प्रावधान की गई इस राशि का निधियन नहीं किया गया है।	निदेशक मंडल द्वारा सेवानिवृत्ति योजना का अनुमोदन डीपीई दिशानिर्देशों के तहत दिया गया था तथा अब इसे अनुमोदन के लिए नागर विमानन मंत्रालय को भेजा जा रहा है। उपर्युक्त स्पष्टीकरण को ध्यान से देखते हुए इस मान्य को ड्रॉप करने का अनुरोध किया है।
(iii) न्यूनतम वैकल्पिक कर से और ध्यान आकर्षित किया जाता है। वर्ष के दौरान न्यूनतम वैकालिपक कर के नाम ₹1450.00 लाख राशि के प्रावध ान के बदले उपर्युक्त नोट में ₹1411.12 लाख गलती से प्रदर्शित हो गई थी। इसी प्रकार संचयी न्यूनतम वैकलिपक कर के प्रावधान के लिए ₹5407.75 लाख के बदले नोट में ₹5422.05 लाख गलती से प्रदर्शित हो गए थे।	न्यूनतम वैकल्पिक कर के ₹1450.00 को अस्वीकृतियों (यदि कोई हो) के रूप में विचार किया गया है। तथापि, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एम ए टी के तहत ₹1411.12 लाख को दत्त/देय किया गया है जिसे लाभ व हानि विवरण में उपस्थित बहि लाख के आधार पर जोड़ा गया है।
(iv) नोट संख्या 28(XIV)(ग) में अनवशोषित मूल्यह्रास को आस्थगित कर परिसंपत्ति के रूप में नहीं जोड़ गया है। पिछले वर्ष की राशि ₹3887.59 लाख गलती से निर्दिष्ट हो गई थी जबकि सही राशि ₹9781 लाख है।	पिछले वर्ष लेखों फे नोट्स में असावधानी से लिपिकिस त्रुटि होने के कारण ₹9781.71 लाख के बदले ₹3887.59 लाख प्रदर्शित गया है। तथापि इसका कोई भी प्रभाव वित्तीय विवरणों पर नहीं है। त्रुटि के लिए खेद है।
(v) नोट सं. 28(IX)(1) जहां त्रृणियों की (तीन वर्ष से अधिक) बकाया राशि को ₹2954.33 लाख दर्शाया गया है। उपर्युक्त नोट में प्रबंधन ने निर्दिष्ट किया है कि तीन वर्ष से पुरानी प्राप्तियों में से ₹1384.05 लाख वसूल किए गए	उ. क्षे. के. लेखों के नोट्स में असावधानी से लिपिकिय त्रुटि होने के कारण ₹3009.13 लाख के बदले ₹2954.33 लाख प्रदर्शित हो गया है लिपिकिय त्रुटि के कारण ही आगे ₹64.25 लाख के बदले गलती से ₹1384.05 लाख हो

है कम्पनी से हमें ₹1384.05 लाख राशि की रसीद से संबंधित कोई विवरण प्राप्त नहीं किया गया है।	गया। तथापि इसका कोई भी प्रभाव वित्तीय विवरणों पर नहीं है। त्रुटि के लिए खेद है।
(vi) दावा की रसीद से संबंधित नोट संख्या 28(XIII) में ₹743.41 लाख को 'अन्य साधारण मदों' के रूप में समझा गया है। उपर्युक्त मुद्दों के संदर्भ में हमारा सुझाव अर्ह ताप्राप्त नहीं है।	हम समझते है कि हेलीकाप्टर की प्रलक्षित कुल हानि साधारण परिनियोजन नहीं है यह अन्य साधारण मद है जो नियमित आधार पर नहीं घटित होती। यह प्रक्रिया कम्पनी में लगातार अपनाई गई है।
अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट	
(1) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 (4क) के उपबंधों के अनुसार भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कम्पनीज (आडिटर्स रिपोर्ट) आर्डर, 2003 में की अपेक्षाओं के अनुसरण में हम पैराग्राफ 1 से 5 में विनिर्दिष्ट मामलों की एक विवरणी अनुबंध के रूप में प्रस्तुत कर रहे है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(2) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227(3) के अनुसरण में हम सूचित करते हैं कि	संबंधित पैराग्राफों के लिए उत्तर भेजा गया है
(क) मान्य सुझाव के आधार के पैराग्राफ में दर्शाए गए मामलों के अतिरिक्त ऑडिट उद्देश्य से हमारी जानकारी **तथा विश्वास के अनुसार अपेक्षित जारी सूचना तथा स्पष्टीकरण हमारे द्वारा प्राप्त किए गए है:**	
(ख) हमारे विचारानुसार कम्पनी की लेखाकंन पुस्तिकाओं की जांच से यह प्रतीत होता है कि कम्पनी द्वारा विधि के अनुसार अपेक्षित सभी पुस्तिकाओं, पश्चिमी क्षेत्रों के स्टॉक रिकार्डों के अनुरक्षण के के अलावा हमारे द्वारा दौरा न की गई शाखा (पश्चिमी क्षेत्र) से हमें प्राप्त हुई है। शाखा के ऑडिटर की दिनांक 19 नवम्बर, 2014 की पश्चिमी क्षेत्र से सम्बद्ध रिपोर्ट हमें प्रेषित की गई है तथा उस पर उचित कारवाई हुई है;	कोई टिप्पणी नहीं।
(ग) इस रिपोर्ट के लिए अपेक्षित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि तथा नकदी प्रवाह की विवरणियां लेखांकन पुस्तिकाओं एवं हमारे द्वारा दौरा न की गई शाखाओं से प्राप्त आडिट विवरणियों से समर्थित है;	कोई टिप्पणी नहीं।

(घ) मान्य सुझाव के आधार के पैराग्राफ के पैराग्राफ 3, 5, 13, 14, 15 और 16 में विनिर्दिष्ट मामलों के अतिरिक्त हमारे विचारानुसार तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि तथा नकदी प्रताह की विवरणियां निगम मामला मंत्रालय द्वारा जारी कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत पठित सामान्य परिपत्र 15/2013 दिनांक 13 सितम्बर, 2013 में संदर्भित लेखांकन मानकों के अनुसरण में हैं;

संबंधित पैराग्राफों के लिए उत्तर भेजा गया हैं।

(ड़) हमें प्रस्तुत की गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी कार्य विभाग द्वारा जारी दिनांक 22.03.2002 के सामान्य परिपत्र संख्या 08/2002 के परिप्रेक्ष्य में सरकारी कम्पनी अधि नियम, 1956 की धारा 274(1) के प्रावधानों की प्रयोज्यता के प्रति छूट प्राप्त है

कोई टिप्पणी नहीं।

खन्ना एवं आनंदम
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 1297-ए)
बी. जे. सिंह
पार्टनर
सदस्यता संख्या 7884

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 12.12.2014

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध
(हमारी समान तिथि के ऑडिट रिपोर्ट के संदर्भ में)

प्रबंधन का उत्तर

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमारे मतानुसार तथा हमें प्रस्तुत सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर कम्पनी के व्यवसाय/वर्ष के दौरान गतिविधि के आधार पर आदेश की पैराग्राफ 4 की निम्नलिखित धाराएं कम्पनी पर लागू नहीं होती है।

कोई टिप्पणी नहीं।

धारा संख्या	संक्षिप्त सार
vi	जनता से जमाराशि की प्राप्ति
viii	लागत रिकार्डों का अनुरक्षण
xii	शेयरों तथा लाभांशों इत्यादि को बंधक रखते हुए ऋण तथा अग्रिम प्रदान करना।
xiii	चिटफंड/म्यूचल फंड़/ सोसायटियों से संबंधित धारा
xiv	शेयर, लाभांश इत्यादि में ट्रेडिंग
xv	बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से अन्यों द्वारा प्राप्त ऋणों की प्रतिभूति देने
xviii	कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत पार्टियों तथा कम्पनियों को शेयरों का अधिमान्य आवंटन
xix	वर्ष के दौरान लाभांश जारी करना
xx	पब्लिक इश्यू के मध्यम से धनजिन

अन्य धाराओं के संबंध में हम निम्नानुसार सूचित करते है:-

(I) अचल संपत्तियों के संबंध में:

1. कम्पनी द्वारा अचल संपत्तियों के मात्रात्मक एवं स्थिति के पूर्ण विवरण दर्शाने वाले रिकार्ड का उचित अनुरक्षण किया गया है तथा **इस रिकार्ड में केवल पश्चिमी क्षेत्र के मामले में ऐसे रिकार्ड का अनुरक्षण नहीं किया गया है। रिकॉर्डों के गैर-अनुरक्षण से संबंधित टिप्पणी पिछले वर्ष की लेखापरीक्षक रिपोर्ट में दर्शाई गई है साथ ही लेकिन इस रिपोर्ट के संबंध में प्रबंधन ने विनिदिष्ट किया है कि रिकॉर्डों को संकलित किए जा रहे है।**

पश्चिमी क्षेत्र में रजिस्टर अचल परिसंपत्ति को वित्तीय बहि के अनुसार पूर्णत: किए जा चुके है। तथापि रोटेबलस के संबंध में, जो पूंजीकृत सूची घटकों की प्रकृति के हैं की लगातार मुम्बई से डिटेचमेंट या ओ ई एम के बीच रिपेयर के लिए संचलित होते है। ऐसे रिकॉर्ड संचलन को अचल परिसंपत्ति रजिस्टर में संकलित करना संभव नहीं होता। तथापि ऐसे रोटेबलस के संचलन का रिकोर्ड सामग्री विभाग के स्टॉक कॉर्ड में रिकार्ड किया जाता है।

उत्तरी क्षेत्र तथा प्रधान कार्यालय के वि. व. ले.

(क) हमें प्रदान की गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर उत्तरी क्षेत्र की अचल परिसपत्तियों का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा किया गया है। **तथापि भौतिक रूप से सत्यापित की गई अचल परिसंपत्तियों का कुल मूल्य हमें उपलब्ध नहीं करवाया गया है। भौतिक रूप से सत्यापित अचल संपत्तियों की पुस्तिका शेष से समाधान की प्रक्रिया की जा रही है। पश्चिमी क्षेत्र और प्रधान कार्यालय के मामले में अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया प्रगति पर है और अभी पूरी नहीं हुई है। तदनुसार विसंगतियों की विवरणी यदि कोई है तो पश्चिमी क्षेत्र तथा प्रधान कार्यालय से रिकॉर्ड के भौतिक सत्यापन संभव नहीं है। आगे मरम्मत के लिए भेजे गए रोटेबल्स और विदेशों में स्थिति विक्रेताओं पर रखे रोटेबलस ₹666.86 लाख का ह्रासित मूल्य के मामले में कम्पनी की ओर से विक्रता के स्टाक की कोई स्वीकृति न तो कम्पनी को प्राप्ति हुई है और न ही इसकी सत्यापन रिपोर्ट ही।**

(ग) हमारे विचारानुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अचल संपत्तियों के एक संपोषित भाग का निपटान नहीं किया गया है।

विभाग के अचल परिसंपत्तियों के रजिस्टर में अचल परिसंपत्तियों का कुल मूल्य प्रदर्शित है। आगे भौतिक रिकॉर्ड और लेखा बहि के बीच समाधान जल्दी ही पूर्ण होना प्रत्याशित है।

पश्चिमी क्षेत्र के मामले में, वित्तीय बहि के अनुसार परिसंपत्ति रजिस्टर पूर्णत: अद्यतन किया है अजे, भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया भी पूर्ण की जा चुकी है। तथापि, भौतिक रिकॉर्ड तथा बहि रिकॉड के संबंध में समाधान की प्रक्रिया जारी है।

दिए है जो ओ ई एम (ओरिजनल इक्यूप्मेंट मेनुफैक्चर) भी है। यह विशेष मदें है जिनका टी ए टी (टर्न अराऊड टाइम) के लिए मरम्मत/ओवरहॉल बहुत महंगा होता है क्योंकि इसमें से ज्यादातर मदों का अब निमोण नही होता। पार्टियों को रिपेयर हेतु मदों की स्वीकृत के लिए मेल (Mail) भेज दिए है आगे, विदेश में पड़े रोटेबलस के लिए ₹457.58 लाख (₹425.21 लाख प. क्षे. और ₹32.37 लाख उ. क्षे.) की स्वीकृत प्राप्त हो चुकी है, शेष स्वीकृतियां लेखा परीक्षाकों द्वारा सत्यापित है और ₹634.49 लाख राशि पर हासिल मूल्य की स्वीकृत प्रतीक्षित है जिसमें से वित्तीय वर्ष 2013-13 एवं 2013-14 में ₹579.22 लाख मरम्मत/ओवर हॉल के लिए भेजे गए थे और शेष मदों की मरम्मत/पुन: प्राप्ति के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की गई है।

कोई टिप्पणी नहीं

(II) इसकी मालसूचियों के संबंध में:

हमें प्रदान की सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान केवल वेस्टलैंड हैलीकॉप्टर्स के भण्डारण एवं पुर्जों की मालसूची के अतिरिक्त मालसूची के अतिरिक्त मालसूची के संबंध में नियमित अंतराल पर भौतिक सत्यापन किया गया है। पश्चिम क्षेत्र के मामले में मुख्य भण्डारों में में रखे गए उच्च

भण्डार एवं पुर्जों के विगलित वेस्टलैंड लीक के मामले में, भैतिक सत्यापन कंपनी द्वारा वेस्टलॅड हैलीकॉप्टरों/सूची मुल्यांकन करके इनका उद्देश्य से बीमा सर्वेक्षक की नियुक्ति की गई थी। निबटान के लिए संभावित हानियों को 100 प्रतिशत वहीं मूल्य के प्रावधान के बराबर खाता बटी में प्रदर्शित किया है इसके लिए नोट सं. 28(iv) का संदर्भ ग्रहण करें।

मूल्य की भण्डारण मदों एवं पुर्जों को प्रबधन द्व ारा भोतिक सत्यापन किया गया है। मुख्य भण्डार में रखी गई अन्य मदों के लिए पश्चिम क्षेत्र ने भण्डारण तथा पुर्जी की ऐसी मदों के लिए पिछले तीन वर्षों से जारी सत्यापन के कार्यक्रम के अनुसार कार्य कर रही है तथा तदनुसार ऐसी मदों की मालसूची का सत्यापन भी वर्ष के अंत में किया जाता है। **भण्डारण एवं पुर्जों के विलगितस्टॉक के मामलों के लिए ऐसे मामलों पर क्षेत्रीय मुख्यालय कारवाई होती है तथा वर्ष के अंत में विलगित भण्डार एवं पुर्जो का रिकार्ड संबंधित डिटैचमेंट से प्राप्त भौतिक के आधार पर रखा जाता है। अत: इसके नियंत्रण की व्यवस्था परिसीमित है।**

पश्चिमी क्षेत्र के मामले में माल सूची मैन्युअल स्टॉक रजिस्टर का सभी डिटेचमेंटस में रख-रखाव किया जा रहा है और बेस प्रबंधक को सूची रजिस्टर को सतत सं उद्यतन रखने अनुदेश दिए गए है।

(ख) हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा वर्ष में नियमित अंतराल के दौरान मालसूचियों का भौतिक सत्यापन किया गया था। विलगन स्थलों पर उपलब्ध मालसूचियों का सत्यापन वर्ष के अंत में किया जाता है। हमारे विचारानुसार मालसूचियों के सत्यापन की प्रक्रिया औचिन्यपरक है परन्तु इसमें सुधार किया जाना चहिए।

सूची के सत्यापन की प्रक्रिया में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए गए थे।

(ग) हमारे मतानुसार तथा हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा माल सूचियों के उचित रिकार्ड का अनुरक्षण कर रही है तथा भौतिक सत्यापन के दौरान ध्यान में लाई गई अनियमितताओं जा महत्त्वपूर्ण नहीं पाई गई है। तथापि पश्चिमी क्षेत्र में, डिटैचमेंट के संबंध में उचित रिकार्ड का अनुरक्षण नहीं किया गया है जिससे अपेक्षित विवरण उपलब्ध नहीं होता है। मालसूचियों के भौतिक सत्यापन के दौरान ध्यान में लाई गई अनियमिताओं को काफी लम्बे से पुस्तिकाओं में समायोजित नही किया गया है। पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अवलोकन किया गया है लेकिन इसका प्रबंधन द्वारा इस पर कोई कारवाही नहीं की गई।

पश्चिमी क्षेत्र के मामले में, मालसूची मैन्यूअल स्टॉक रजिस्टर का सभी डिटेचमेंट्स में रख-रखाव किया जा रहा है और बेस प्रबंधक को सूची रजिस्टर को सतत् रूप से उद्यतन रखने के अनुदेश दिए गए है ताकि समय-समय पर खाता और भौतिक रिकार्डों के बीच मिलान किया जा सके।

(III) प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों तथा दिए गए रिकॉर्ड के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की

कोई टिप्पणी नहीं

	धारा 301 के अंतर्गत बताए गए रजिस्टर मे कोई पर्टियां कवर नहीं हैं। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 4 की धारा (iii)(क) से (iii)(छ) लागू नहीं होती है।	
(iv)	हमारे मतानुसार तथा हमें उपलब्ध करवाई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार मालसूची एवं चल सम्पति की खरीद तथा सामान एवं सेवाओं की बिक्री के संबंध में कम्पनी के व्यवसाय एवं आकार के सम्मेय में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा कंपनी की लेखा बहियों और अभिलेखों की जाँच तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हमें उपर्युक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में प्रमुख खामियों को सुधारने का प्रयास में न तो चूक नजर आया है और न ही सूचित किया गया।	कोई टिप्पणी नहीं
(v)	(क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अनुसरण में रजिस्टरों में ठेकों अथवा व्यवस्थाओं से संबंधित आवश्यक विवरण उचित रूप से भरा गया है।	कोई टिप्पणी नहीं
	(ख) हमें प्रदान की गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे ठेकों तथा व्यवस्थाओं के संबंध में सौदे उस मूल्य पर किए गए हैं जो तत्समय के दौरान प्रचलित बाजार के लिए उचित थे।	
(vi)	हमारे विचारानुसार कम्पनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार कम्पनी में आंतरिक ऑडिट व्यवस्था नहीं है। आंतरिक ऑडिट के कार्यकलाप सनदी लेखाकारों की दो फर्मों से बाहरी स्रोत के रूप में करवाए जाते हैं जो अर्द्ध वार्षिक आधार पर आंतरिक ऑडिट करती हैं। आंतरिक सुधार कारवाई में देरी होती है। कार्रवाई न किए जाने की रिपोर्ट तैयार की जाती है तथा प्रबंधन को नियमित आधार पर प्रस्तुत की जाती है।	आंतरिक लेखक परीक्षा का कार्य बाहरी दो स्वावलंबी लेखा परीक्षा फर्मों के चार्टरित लेखाकारों को सौपा गया जिन्होंने कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा की और इसकी नियमित रिपोर्ट को भी प्रस्तुत किया है। आंतरिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणी का उत्तर पहले से ही दे दिया गया है और इनका अनुसरण की किया गया है। लेखापरीक्षा समिति की बैठक 25.11. 2014 में आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा की गई है और कारवाई रिपोर्ट शीघ्र ही लेखापरीक्षा रिपोर्ट शीघ्र ही परीक्षा समिति क्षेत्र सौप दी जाएगी।
(vii)	(क) हमारे हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा प्रस्तुत पुस्तिका एवं रिकार्ड तथा हमारे द्वारा की गई जांच के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर (स्त्रोत्र पर से	कोई टिप्पणी नहीं

कर कटौती कें संबंध में), बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, अन्य वैध ानिक देयताओं के संबंध में कोई भी निर्वादित देयताओं का भुगतान शेष नहीं है ये देय तिथि से 6 माह से अधिक की अवधि के लिए 31 मार्च, 2014 तक के बकाया में थे।

कम्पनी द्वारा सामान्यत: भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, बिक्री कर, सम्पदा कर, उत्पाद शुल्क, अधिभार तथा उचित प्राधिकरणों द्वारा लागू अन्य सामग्री वैधानिक देयताओं जैसी निर्वादित विधिक देयताओं का भुगतान नियमित रूप से किया जाता है।

(ख) हमें प्रदान की गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर (स्रोत में कटौती की गई कर के संबंध में) सेवाकर, बिक्रीकर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क तथा अधिभार किसी भी विवादित खाते में जमा नहीं किया गया है। विवादित वैधानिक देय का ब्यौरा, जिसे जमा नहीं किया गया है, निम्नवत है:-

मांग की प्रकृति	वित्तीय वर्ष	राशि (रुपए लाख में)	किस फॉरम के लिए बकाया निर्वादित है
सीएसटी, ब्याज एवं जुर्माना	2006-07	818.96	व्यवसाय एवं कर आयुक्त, दिल्ली
सीएसटी, ब्याज एवं जुर्माना	2007-08	784.71	व्यवसाय एवं कर आयुक्त, दिल्ली
सीएसटी, ब्याज एवं जुर्माना	2008-09	853.63	व्यवसाय एवं कर आयुक्त, दिल्ली
सीएसटी, ब्याज एवं जुर्माना	2009-10	735.41	व्यवसाय एवं कर आयुक्त, दिल्ली
	योग	3192.71	

आय कर मामलों के संबंध में नोट संख्या 28 (xiv) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इसमें उल्लिखित कारणों से जमा न किए गए विवादित आय कर की प्रमात्रा की जानकारी प्राप्त करना असंभव है।

राशि को प्रासंगिक देयता के तहत नोट सं. 28(II)(3) में रखा गया है।

मामले अलग-अलग आयकर प्राधिकारी से संबंधित है हमारे नोट सं 28(II)(ग) व 28(XIV)(ख) का संदर्भ ग्रहक करें।

(viii) 31 मार्च, 2014 की यथास्थिति के अनुसार कम्पनी को कोई संचित हानि नहीं हुई है। वित्तीय वर्ष की उस तारीख को दिन तक तथा तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कम्पनी को कोई नकदी हानि नहीं हुई है। **हालाकिं, हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैरा पर आधारित पैरा ४ से १५ में निर्दिष्ट मात्रात्मक नहीं है तदनुसार ऐसी अर्हता के प्रभाव को इस खण्ड के संबंध में टिप्पणी करने के प्रयोजन के लिए ध्यान में सहीं रखा गया है।**	हमारे विचार से इसका वित्तीय विवरणों में कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
(ix) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी द्वारा किसी बैंक, ओएनजीसी तथा एनटीपीसी से प्राप्त ऋणों की देयताओं के पुनर्भुगतान के संबंध में कोई चूक नहीं की गई है।	कोई टिप्पणी नहीं
(x) हमारे मतानुसार तथा हमें प्रस्तुत सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार आवधिक ऋण के उद्देश्य से दिए गए आवेदन पर ऋण की प्राप्ति हो गई है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xi) हमारी जानकारी तथा हमें प्रस्तुत सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी द्वारा अल्प कालिक आधार पर कोई निधि तैयार नहीं की गई है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xii) हमारे वही खाता और कंपनी रिकॉर्डों की जांच के दौरान भारत में सामान्यत: आपनाई जाने वाली लेखा-परीक्षा पद्धति का प्रयोग किया गया तथा हमें प्रस्तुत सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान का कंपनी किसी प्रकार का वस्तुगत घोटला पाया गया। **तथापि पश्चिम क्षेत्र के मामले में लक्ष्यद्वीप डिटैचमैंट में ₹ १२९.२० लाख की वित्तीय अनियमितता कंपनी द्वारा अन्वेषित की गई थी जिसे हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पैरा ९ में प्रतिवेदित कि गई है।**	इसे पहले से ही नोट सं. 28(XX) में तथा मुख्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 7 में प्रदर्शित है।

खन्ना एवं आनन्दम
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 1297-ए)
बी. जे. सिंह
पार्टनर
सदस्यता संख्या 7884

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 12.12.2014

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख'

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के संबंध में पवन हंस लिमिटेड के लेखों के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत विर्निर्दिष्ट वित्तीय रिर्पोटिंग फ्रेमवर्क के अनुसरण में 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए **पवन हंस लिमिटेड** की वित्तीय विवरणियों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के भारत में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक ऑडिटर्स इन वित्तीय रिपोर्टों के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत अपने व्यावसायिक निकाय भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित ऑडिटिंग मानको के अनुसरण में स्वतंत्र ऑडिट पर आधारित अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 की ऑडिट रिपोर्ट में उनके ऐसा किए जाने का उल्लेख किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (ब) के अंतर्गत 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के संबंध में **पवन हंस लिमिटेड** की वित्तीय विवरणियों का अनुपूरक ऑडिट किया है। अनुपूरक ऑडिट स्वतंत्र रूप से वैधानिक ऑडिटरों के कार्य सम्बद्ध दसतावेजों तक पहुंच बनाए बिना किया गया है तथा प्रमुखत: यह वैधानिक ऑडिटर एवं कम्पनी कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ चुनिन्दा लेखांकन रिकॉर्डो की जांच तक सीमित है। मेरे द्वारा किए गए ऑडिट के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ ऐसा उल्लेखनीय नहीं आया है जिसके संबंध में कोई टिप्पणी की जा सकें अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत वैधानिक ऑडिटरों की रिपोर्ट में अनुपूरक किया जा सके।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा
परीक्षक की ओर से तथा कृते

(विमलेन्द्र पटवर्धन)
वाणिज्यिक ऑडिट के प्रधान निदेशक
तथा पदेन सदस्य, ऑडिट बोर्ड-1, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 9 फरवरी, 2015